रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III —Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2015/वैशाख 29, 1937
No. 168] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2015/VAISAKHA 29, 1937

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2015

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम 2015

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 .– पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की उप–धारा (2) की धाराओं (ड.) (ड), (ढ़), (ण) और (त) के साथ पठनीय धारा 52 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः –

अध्याय – 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ–(1) इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम (पेंशन निधि) विनियम, 2015 है।

इन विनियमों का उद्देश्य पेंशन निधियों की निगरानी, पर्यवेक्षण और अन्तः नियंत्रण के लिए ढांचे का मानकीकरण करना है ताकि अभिदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने और उचित जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से अंतः नियंत्रण और परिचालन के उच्च मानक स्थापित किये जा सकें।

(2) वे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन विनियमों में, जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो –

क. "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है।

ख. कारोबारी दिन : से सभी दिन अभिप्रेत हैं सिवाय साप्ताहिक अवकाशों (शनिवार तथा रविवार) और वे अन्य दिन जब न्यासी बैंक की नियत शाखा परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (1881 का 26)के तहत या वह दिन जब मुख्य स्टॉक एक्सचेंज और ऋण बाजार जो स्कीम के तहत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करते हैं, कारोबार के लिये बंद रहते हैं।

ग. ''अनुपालन अधिकारी'' से पेंशन निधि से उत्तरदायी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे उस रूप में पदाभिहित और अधिनियम या उसके अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों या जारी की गई अधिसूचनाओं, परिपत्रों या अनुदेशों का पेंशन निधि द्वारा अनुपालन किये जाने को मॉनीटर करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

घ. ''वित्त वर्ष'' का आशय वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि अभिप्रेत है।

ड. ''राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास'' से न्यासी बोर्ड अभिप्रेत है जो अभिदाताओं की आस्तियों को उनके लाभार्थ धारित करते हैं।

च. ''प्रधान अधिकारी'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो पेंशन निधि के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी हो तथा शामिल हैं–

(i) कोई पूर्णकालिक निदेशक, कार्यपालक निदेशक, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य वित्तीय अधिकारी, कारपोरेट निकाय के मामले में,

(ii) निदेशक मंडल द्वारा प्रधान अधिकारी के रूप में नामित कोई व्यक्ति, और

(iii) कोई प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति या जिसके निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कोई व्यक्ति, निदेशक मंडल या कोई एक या अधिक निदेशक हों या उसके अनुरूप कार्य करने के अभ्यस्त हों।

छ. ''मूर्त निवल मूल्य'' में चुकता पूंजी तथा मुक्त रिजर्व व शेयर प्रीमियम सहित, शामिल होगा किन्तु पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त, और निवेश उतार–चढ़ाब तथा लाभ व हानि लेखा में जमा शेष, लाभ व हानि लेखा में नामे शेष को निकाल कर, संचित हानियां व अमूर्त आस्तियां शामिल होंगी।

(2) प्रयुक्त शब्दों और वाक्यांशों जो इन नियमों में प्रंयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, अधिनियम में उनके निर्धारित अर्थ मान्य होंगे।

अध्याय–2

पेंशन निधि का पंजीकरण

3. **पंजीकरण का प्रमाण पत्र** –(1) प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन स्कीमों की परिसम्पत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्राधिकरण पेंशन निधियों का पंजीयन करेगा और पंजीकरण (अनुसूची 1 के तहत निर्दिष्ट प्ररूप में) प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

(2) बहु पेंशन निधियों का विकल्प उपलब्ध होगा।

(3) पेंशन निधियों की संख्या का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, जो सार्वजनिक हित में पेंशन निधियों की संख्या में बदलाव कर सकता है। परन्तु यह कि कम से कम एक पेंशन निधि सरकारी कंपनी होगी।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजनार्थ पद ''सरकारी कंपनी'' का आशय कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में दिए अनुसार होगा।

(4) कोई भी पेंशन निधि अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (1) की धारा (ख) में संदर्भित राष्ट्रीय पेंशन स्कीम या किसी अन्य पेंशन स्कीम से संबंधित कोई गतिविधि शुरू नहीं कर सकेगा, सिवाय अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत निर्मित विनियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुसार और उसके अन्तर्गत।

(5) कोई भी पेंशन निधि, जिसे अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई किसी चयन प्रक्रिया के तहत या उस रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था उस अस्थायी अवधि के लिये प्राधिकरण द्वारा किये गए उल्लेखानुसार उस शुल्क का भुगतान करके, इन विनियमों की अधिसूचना से छह माह की अवधि तक ऐसा करती रहेगी या जब तक विनियम 4 के अन्तर्गत निर्दिष्ट नई चयन प्रक्रिया के तहत पेंशन निधियों का चयन नहीं हो जाता।

4. **पंजीकरण के लिए आवेदन और आवेदन शुल्क–**(1) प्राधिकरण द्वारा जब कभी पेंशन निधि को पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं तो जो निकाय इन विनियमों के तहत पात्रता की शर्तें पूरी करता है और इन पेंशन निधियों के प्रायोजक के रूप में कार्य करने के लिये, आवेदन पत्र अनुसूची–2 के भाग–क में उल्लेखानुसार अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के साथ तथा उसके भाग–ख में उस शुल्क की भुगतान विधि के अनुसार, कर सकता है।

(2) प्रायोजकों के बीच, संयुक्त उद्यम भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वह संयुक्त उद्यम किसी एक ही वित्तीय सेक्टर विनियामक के अधिकार क्षेत्र में आता हो या बाद में आएगा। संयुक्त उद्यम कम से कम संस्था के बाह्य ज्ञापन निष्पादन करने के चरण में हों और संयुक्त उद्यम को प्रायोजक की नियुक्ति की तारीख से एक माह में पूरा कर लेना चाहिए।

(3) प्राधिकरण कुछ ऐसे अतिरिक्त नियम एवं शर्तें भी उपलब्ध करा सकता है जिन्हें चयन प्रक्रिया में आवश्यक समझा जाए और प्रायोजकों को उन नियमों एवं शर्तों को पूरा करना होगा।

5. **अपेक्षाओं के अनुरूप आवेदन** – (1) किसी भी आवेदन को विनियम 4 के तहत, साथ–साथ निम्नलिखित आधार पर अस्वीकृत किया जा सकेगा :

क. जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है और जिसमें प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी नहीं है,

ख. अधिनियम या विनियमों में उल्लिखित सुसंगत अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, या

ग. प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी नहीं है, या

घ. गलत, मिथ्या या भ्रामक प्रकृति का है, या

ड.. आवेदक ने इन विनियमों के तहत निर्धारित किये अनुसार न्यूनतम पात्रता अपेक्षाओं और चयन प्रक्रिया का आवेदने की तिथि को अनुपालन नहीं करता है, या

च. प्राधिकरण की राय में सार्वजनिक या अभिदाताओं के या प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन स्कीम या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या किसी अन्य पेंशन स्कीम के क्रमिक विकास के हित में नहीं है,

(2) उप–विनियम (1) में उल्लिखित आधार पर किसी आवेदन को नामंजूर करने के पूर्व, प्राधिकरण द्वारा आवेदक को उन त्रुटियों को, तत्प्रस्कीमर्थ विनिर्दिष्ट समय के भीतर दूर करने के लिए अवसर दिया जा सकता है :

परंतु, यदि आवेदन मिथ्या या भ्रामक जानकारी देने के कारण नामंजूर किया गया है, तो यह अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और आवेदक इन विनियमों या अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए नामंजूरी की तारीख से एक वर्ष तक कोई आवेदन नहीं करेगा।

6. **सूचना अथवा स्पष्टीकरण को प्रस्तुत और प्रकट करना** – (1) प्राधिकरण आवेदन पत्र के निपटान के उद्देश्य से कुछ और सूचना या स्पष्टीकरण मांग सकता है, और तदुपरांत किसी अन्य विषय के बारे में में जिसे प्राधिकरण आवश्यक समझे।

(2) आवेदक अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राधिकरण द्वारा उस सम्बंध में निर्धारित की गई अवधि में उसके समाधानप्रद रूप में प्रस्तुत करेगा तथा प्राधिकरण को प्रतिवेदन भेजेगा।

(3) प्राधिकरण अभिदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक द्वारा आवेदन पर दी गई सूचना को वेबसाइट तथा आवेदक की वेबसाइट पर भी देकर, जैसेकि प्राधिकरण द्वारा उल्लेख किया गया है, सार्वजनिक करेगा।

(4) इन विनियमों के कारण वेबसाइट पर दी गई सूचना में किसी वस्तुगत बदलाव की सूचना प्राधिकरण को दी जाएगी किंतु बदलाव होने से पन्द्रह दिनों के अंदर।

7. **सूचना का सत्यापन** –(1) पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते समय, जो आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा, प्राधिकरण यदि उचित समझे तो आवश्यकतानुसार किसी भी प्रकार सूचना का सत्यापन कर सकता है जिसमें दस्तावेजों, कार्यालय स्थल का वस्तुतः सत्यापन करना शामिल हो सकता है और कार्यालय स्थान, बुनियादी ढांचे तथा प्रौद्योगिकी उपलब्धता जो आवेदक के यहां होनी चाहिए, का निरीक्षण कर सकता है।

(2) सूचना के सत्यापन हेतु, प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति को,` जिसमें उसके अधिकारियों या किसी बाह्य लेखा परीक्षक भी शामिल है, नियुक्त कर सकता है।

8. **पात्रता मानदंड** – (1) निम्नलिखित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी आवेदक पेंशन निधि के प्रायोजक के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है :–

क– पेंशन निधि के प्रायोजक को निधि प्रबंधन (इक्विटी तथ ऋण बाजार) का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो,

ख– पेंशन निधि का प्रायोजक वित्तीय कारोबारी गतिविधियां करने वाला निकाय हो, और जिसका विनियमन देश के किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, और प्राधिकरण द्वारा होता हो,

ग– प्रायोजक, एकल या संयुक्त रूप से, पिछले प्रत्येक पांच वित्त वर्षों के अंतिम दिन कम से कम पचीस करोड़ रूपये की सक्रिय मूर्त निवल मूल्य की परिसम्पति धारित करता हो,

घ– प्रायोजक ने कम से कम पिछले पांच वर्षों में से तीन वित्त वर्षों में कर उपरांत लाभ अर्जित किया हो और इसके अतिरिक्त पिछले पांच वर्षों में कोई नकदी हानि न हुई हो,

ड.– प्रायोजक को पेंशन निधि हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अलग लिमिटेड कंपनी निगमित करनी होगी, प्रायोजक की पूंजी निवेश की क्षमता हो जिससे पेंशन निधि में कम से कम पचीस करोड़ रुपए या अधिक, जैसाकि प्राधिकरण द्वारा चयन प्रक्रिया में निर्दिष्ट किया गया है, मूल्य की सक्रिय निवल परिसम्पति हो,

च– किसी विदेशी कंपनी द्वारा या तो स्वयं या अपनी सहायक कंपनियों या अपने नामितों के माध्यम से या किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी संघ द्वारा चाहे वह भारत के बाहर देश के किसी कानून के तहत पंजीकृत हो या नहीं, इक्विटी शेयरों की सकल धारिता पेंशन निधि में उस निधि की चुकता पूंजी के छबीस प्रतिशत से अधिक न हो या वह प्रतिशत जिसे बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के प्रावधानों के तहत भारतीय बीमा कंपनी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो भी अधिक हो,

छ– प्रायोजक सुनिश्चित करेगा कि पेंशन निधि में बाजार आधारित प्रक्रिया से न्यूनतम निर्धारित प्रतिलाभ स्कीम में प्राप्त करने की क्षमता हो जिसमें अभिदाता द्वारा खरीदी गारंटी शामिल हो सकती है,

ज– प्रायोजक ने पेंशन निधि की मूर्त निवल परिसम्पति में कम से कम बीस प्रतिशत अंशदान किया हो या अंशदान करे। जिस निकाय ने पेंशन निधि की चुकता पूंजी के बीस प्रतिशत का अंशदान किया है वह इन विनियमों में प्रायोजक हेतु निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करेगा,

झ– पेंशन निधि का प्रायोजक या पेंशन निधि स्वयं प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी अन्य पेंशन निधि में कोई इक्विटी स्टेक धारित नहीं करेगी,

ञ– पेंशन निधि का प्रायोजक या पेंशन निधि केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण एजेंसी याअभिरक्षक अभिरक्षक या न्यासी बैंक में इक्विटी स्टेक की छब्बीस प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धारित नहीं करेगी,

(2) प्रत्येक आवेदक उप–विनियम 1 में निर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता मानदंड अवश्य पूरा करेगा।

(3) पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के प्रस्कीमर्थ, प्राधिकरण ऐसे किसी या सभी मामलों पर विचार करेगा जो प्रायोजक या पेंशन निधि की गतिविधियों से सम्बद्ध हैं तथा ऐसे सभी मामलों को भी जिन्हें वह पेंशन क्षेत्र से संबंधित समझती है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी अन्य पेंशन स्कीम, सहित किंतु निम्नलिखित तक सीमित नहीं :–

क– प्रायोजक पेंशन निधि को पर्याप्त और आवश्यक बुनियादी ढांचा, समर्पित जनशक्ति, प्रणाली और प्रक्रियाएं, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना सुरक्षा प्रणालियां उपलब्ध कराएगा जिनमें भावी बदलावों या अन्य अपेक्षाओं जैसेकि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, को अपनाने की क्षमता हो,

ख– पेंशन निधि के कम से कम पचास प्रतिशत निदेशकों को वित्त और वित्त से संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त व्यावसायिक अनुभव हो,

ग– पेंशन निधि सुनिश्चित करेगी कि मुख्य कर्मचारियों जैसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य निवेश अधिकारी, निधि प्रबंधक, परिचालन प्रबंधक, अनुपालन अधिकारी और या उन अन्य अधिकारियों जैसाकि प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाता है, को संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त व्यावसायिक अनुभव हो,

घ– ऐसी पेंशन निधि के निदेशक मंडल में कम से कम पचास प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक होंगे,

ड.– प्रायोजक और पेंशन निधि अनुसूची–2 में उल्लेखानुसार एक 'उपयुक्त एवं उचित व्यक्ति' है,

च– पेंशन निधि के प्रधान अधिकारी या प्रायोजक को कभी चरित्र हीनता का दोषी नहीं पाया गया या आर्थिक अपराध या प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन का अपराधी नहीं पाया गया या किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों या अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश जारी नहीं किए गए।

छ– क्या प्रायोजक या उसके किसी संबंधित संस्था को भारत में किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक विनियामक एवं विकास प्राधिकरण और पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण शामिल हैं, द्वारा पूर्व में पंजीकरण प्रमाणपत्र देने से इंकार किया गया और यदि हां, तो उस इंकार करने के क्या कारण थे,

ज– क्या प्रायोजक या उसके किसी प्रधान अधिकारी पर पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी वित्तीय विनियामक द्वारा (धारा (छ) का संदर्भ लें) या किसी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा विनियमों, विनियामक के निदेशों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों का उल्लंघन करने पर दोषी पाया गया हो अथवा शास्ति का अधिरोपण किया गया,

झ– पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना अभिदाताओं के हित में है,

ञ– कोई अन्य मानदंड जिसे प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण के लिये आवेदन आमंत्रित करते समय निर्धारित किया हो।

(4) यदि कोई निकाय उप–विनियम (3) में उल्लिखित कोई एक या अधिक मानदंड पूरा नहीं कर रहा हो तो वह आवेदन में कारणों का उल्लेख करते हुए प्राधिकरण से छूट मांग सकता है।

(5) इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आवेदक को कोई छूट पाने का अधिकार हो।

(6) प्राधिकरण सार्वजनिक हित में और लिखित में दिये जाने वाले कारणों के आधार पर छूट दे सकता है। प्राधिकरण ऐसी परिस्थितियों में पंजीयन प्रमाण पत्र अनुदत्त करने के लिए ऐसी शर्ते अधिरोपित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(7) प्राधिकरण का निर्णय कि कोई आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं, अंतिम होगा।

(8) केवल आवेदन करने या पात्रता मानदंडों को पूरा करने से आवेदक को पेंशन निधि के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र लेने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है।

(9) पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया और पंजीकरण शुल्क – (1) पेंशन निधि के पंजीकरण के लिये चयन प्रक्रिया के तहत प्राधिकरण द्वारा आमंत्रण के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों का इन विनियमों और चयन प्रक्रिया में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

(2) अधिकतम मूल्य के प्रस्ताव को विनियम 20 में निर्धारित किये अनुसार निवेश प्रबंधन फीस स्वीकार करने के लिये ऑफर भेजा जाएगा।

(3) उप–विनियम (2) के तहत भेजे ऑफर को स्वीकार करने के बाद, प्राधिकरण, उन नियमों और शर्तों के के अधीन जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, आवेदक को पेंशन निधि स्थापित करने की अनुमति दे सकता है और भाग–ख (व्याख्या) में दी गई विधि से तृतीय अनुसूची के भाग–क में उल्लेखानुसार अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क प्राप्त होने पर पेंशन निधि का पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुसूची–1 में दिये फार्मेट में प्रदान किया जा सकता है।

10. मध्यवर्तियों के साथ प्रलेखीकरण – (1) परिचालन शुरू करने से पूर्व, पेंशन निधि अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित करारों का निष्पादन करेगी –

(क) अनुसूची–11 में उल्लेखानुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के साथ निवेश प्रबंधन करार,

(ख) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के साथ अप्रकटीकरण करार,

(ग) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अन्य मध्यवर्तियों के साथ करार जैसेकि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए यथा केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण , न्यासी बैंक (अनुसूची–3) और अभिरक्षक अभिरक्षक (अनुसूची–9) या उल्लेखानुसार कोई अन्य मध्यवर्ती।

(घ) प्राधिकरण द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई अन्य करार।

(2) यदि करारों की व्याख्या के बारे में मध्यवर्तियों के बीच कोई मतभेद हो तो उसे निर्णय के लिये प्राधिकरण को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(3) पेंशन निधि अन्य क्षेत्रों के विनियामकों द्वारा प्रभावी अधिनियमों या नियमों के तहत अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगी और खाता खोलने, हस्ताक्षरियों को प्राधिकृत करने, डिजीटल हस्ताक्षर प्राप्त करने, कनैक्टीविटी प्रदान करने, सॉफ़्वेयर इंस्टाल करने और अन्य ऐसे मामलों के लिये अन्य मध्यवर्तियों की दस्तावेजी अपेक्षाओं को पूरा करेगी ताकि कानून के अंतर्गत किसी प्रकार की अयोग्यता न हो अथवा पेंशन निधि के रूप में कार्य करने में परेशानी न हो

11. कारेबार शुरू करना – (1) पेंशन निधि द्वारा अपना परिचालन आरंभ करने के लिये जिस हेतु उसे पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया, दस्तावेजन और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पेंशन निधि प्राधिकरण से ''कारोबार आरंभ करने के लिये प्रमाणपत्र'' जारी करने का अनुरोध करेगी।

(2) कारोबार आरंभ करने के लिये प्रमाणपत्र का अनुरोध करते समय, प्रायोजक या पेंशन निधि प्रतिवेदन व मांग करेगी कि उसे पेंशन निधि के तौर पर कार्य करने के लिये अपेक्षित अनुमोदन और अनुमति प्रांप्त है और इस रूप में कार्य करने के लिये कानूनी या अन्य आधार पर कोई अक्षमता नहीं है।

(3) प्राधिकरण संतुष्ट होने पर कि पेंशन निधि स्कीम गत आस्तियों के प्रबंधन के लिये अपना परिचालन शुरू करने के लिये पूरी तरह तैयार है, अनुसूची–4 में दिये फार्मेट में पेंशन निधि का ''कारोबार आरंभ करने के लिये प्रमाणपत्र'' जारी कर सकता है जिसके बाद पेंशन निधि कारोबार आरंभ कर सकती है।

(4) पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पेंशन निधि पंजीकरण की तारीख से छह माह के अंदर अपना परिचालन शुरू कर सकती है। इस परिचालन को शुरू करने के लिये समय सीमा में वृद्धि प्राधिकरण द्वारा अधिकाधिक छह माह तक लिखित कारणों के आधार पर प्रदान की जाएगी।

12. पंजीकरण के लिये नियम तथा शर्तें – पेंशन निधि को दिये गये पंजीकरण प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी, नामतः –

(क) प्रायोजक और पेंशन निधि अधिनियम, नियमों और इन विनियमों में उल्लेखानुसार पात्रता अपेक्षाओं को हर समय पूरा करेंगे और उनका अनुपालन करेंगे तथा पेंशन निधि के रूप में पंजीकरण से संबंधित सभी प्रतिवेदन, वारंटियां, सूचना, प्रकटीकरण, रिपोर्टें, दस्तावेज या विवरणियां सत्य, पूर्ण, सही और हर प्रकार से ठीक हैं और उसमें किसी वस्तुनिष्ठ तथ्य के बारे में कुछ भी असत्य या भ्रामक कथन नहीं है या किसी वस्तुगत तथ्य को छुपया नहीं गया है। प्रायोजक या पेंशन निधि पूर्व में प्रस्तुत सूचना या ब्योरों में कोई वस्तुगत बदलाव होने पर, जिसका प्रभाव उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र पर पड़ता हो, प्राधिकरण को सूचित करेगी।

(ख) प्रायोजक और पेंशन निधि ने प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन स्कीमों के प्रबंधन के लिये पेंशन निधि के रूप में पंजीकरण स्वीकृति हेतु सभी अपेक्षित कार्रवाई व कदम उठा लिये हैं और अपनी बाध्यताओं के सम्यक निष्पादन के लिये बाध्य कर लिया है,

(ग) पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये अनुसार 25 करोड़ रुपए या अधिक मूल्य की मूर्त परिसम्पति धारित करेगी,

(घ) प्रायोजक और पेंशन निधि सुनिश्चित करेगी कि पेंशन स्कीमों कान तो परिचालन ,प्रबंधन और ना ही चयनित प्रतिभूतियों का परिचालन प्रायोजक, पेंशन निधि के निदेशकों या सम्बद्ध व्यक्तियों के हित में या अभिदाताओं के विशेष वर्ग को लाभ पहुंचान के लिये किया जाए और पेंशन स्कीमों के मामलों के प्रबंधन में हितों के टकराब से परहेज करेगी तथा सभी मामलों में अभिदाताओं के हितों को सर्वोपरि रखेगी। पेंशन निधि यह सुनिश्चित करने के लिये कि अभिदाताओं के हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए पर्याप्त कार्रवाई करेगी एवं विवेक का प्रयोग करेगी ।

(ड.) पेंशन निधि प्राधिकरण के निदेशानुसार या इन विनियमों में जैसा उल्लेख किया गया है, पक्षों से करार करेगी और निष्पादित करारों की शर्तों का अनुपालन करेगी,

(च) पेंशन निधि अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय प्राप्त सभी लेन देनों, अभिलेखों, आंकड़ों और सूचना की गोपनीयता बनाए रखेगी और प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना वे आंकड़े या सूचना साक्ष्य के रूप में या किसी अन्य प्रयोजन के लिये सिवाय कानूनी प्रक्रिया के तहत अपेक्षानुसार या प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के द्वारा दिये निर्देश के, प्रस्तुत नहीं करेगी या आज्ञा नहीं देगी,

(छ) प्रायोजक और पेंशन निधि अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और विनियमों या प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों, निदेशों/अधिसूचनाओं या परिपत्रों का हर समय व पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबन की अवधि के दौरान और परिसम्पत्तियों या दस्तावेजों के अंतरण के दौरान जब तक विनियम 34 में उल्लिखित सभी कार्रवाई पूरी न हो जाए, अनुपालन करेगी।

(ज) पेंशन निधि कि प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, अभिदाता और मध्यवर्तियों को समुचित, सही, सुस्पष्ट और समय पर सरल भाषा में निवेश नीतियों, निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और अपने प्रबंधन की पेंशन स्कीमों के सामान्य मामलों की जानकारी का प्रसार सुनिश्चित करेगी पेंशन निधि अभिदाताओं को अपेक्षित सूचना तथा अनुसूची–5 में दिये फार्मेट में तथा आवधिक आधार पर जैसाकि प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अपेक्षित होता है, प्रेषित करेगी।

(झ) प्रायोजक पेंशन निधि की वांछनीयता और जारी रखने की आवधिक समीक्षा करेगा। यदि किसी पेंशन स्कीम में काफी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो प्रायोजक पेंशन निधि में कोई विशेष बदलाव होने के बारे में प्राधिकरण को शीघ्र सूचित करेगा,

(ञ) प्रबंधन या स्वामित्व या शेयरधारिता पद्धति में कोई मुख्य बदलाव होने पर या पेंशन निधि के प्रायोजक के नियंत्रण हित में कोई बदलाव होने पर, प्राधिकरण की पूर्व अनुमति ली जाएगी। प्रमुख कार्मिकों में कोई परिवर्तन होने पर प्राधिकरण को बदलाव होने से पन्द्रह दिनों के अंदर सूचित किया जाएगा,

(ट) प्रायोजक और पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अधिसूचित 'आचार संहिता' और अनुसूची–6 में उल्लिखित का अनुपालन करेगी,

(ठ) पेंशन निधि कोई मुख्य कार्य किसी तृतीय पक्ष को नहीं सौंपेगी। किसी अन्य को कार्य का प्रत्यायोजन प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा,

(ड) पेंशन निधि कोई अन्य कार्य नहीं करेगी सिवाय प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन स्कीमों या निधियों से संबंधित कार्य के।

13. वार्षिक शुल्क – प्रत्येक पेंशन निधि प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल से पूर्व या पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने से 15 दिन के अंदर अनुसूची–3 में उल्लिखित या प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित वार्षिक शुल्क जमा करेगी।

अध्याय – 3

स्कीमं, मूल्यांकन, लेखांकन, आय अभिज्ञान

14. स्कीम और निवेश दिशानिर्देश – (1) पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित स्कीमों का प्रबंधन पेंशन निधि के प्रबंधन के ऐसे नियमों के अनुरूप तथा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथा अनुमोदित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(2) कोई भी पेंशन निधि अभिदाताओं की निधियों को भारत से बाहर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निवेश नहीं करेगी,

(3) अभिदाता द्वारा क्रय की गई बाजार आधारित गारंटी तंत्र के सिवाय कोई भी निहित या स्पष्ट लाभ का आश्वासन नहीं होगा ,

(4) जो अभिदाताओं न्यूनतम सुनिश्चित लाभ चाहते हैं, के पास अपनी निधियां प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित,ऐसी स्कीमों में निवेश करने का विकल्प होगा जो न्यूनतम लाभ का आश्वासन देती हैं।

(5) पेंशन निधि अभिदाताओं को अपनी निधियों का 100 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का विकल्प देगी।

15. स्कीम परिसम्पतियों का मूल्यांकन–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम धारित और प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन स्कीमों के तहत पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

16. अनुपयोज्य आस्तियां, अभिज्ञान, वर्गीकरण और व्यवस्थापन –(1) अनुपयोज्य आस्तियां, अभिज्ञान, वर्गीकरण और व्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

(2) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास ट्रेंड की निगरानी करेगा और निष्पादित आस्तियों में हानियों की पहचान तथा आय अभिज्ञान, वर्गीकरण और रिपोर्ट के तहत अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली के संबंध में प्राधिकरण को सूचित करेगा,

17. लेखा बहियां और अभिलेख – (1) पेंशन निधि पेंशन स्कीमों के परिचालन की बहियां और अभिलेख का रख रखाव यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि आय कर अधिनियम, कंपनी अधिनियम एवं लागू अन्य अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन उस प्रकार से हो रहा है जो अपेक्षित है या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित है,

(2) प्रत्येक पेंशन निधि प्रत्येक योजना के लेखाओं की उचित बहियों, अभिलेख तथा दस्तावेजों का रख रखाव करेगी ताकि स्कीम के मामलों के बारे में सही व निष्पक्ष जानकारी दी जा सके और प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को उस स्थान की जानकारी देगी जहां लेखा बहियों, अभिलेख तथा दस्तावेजों का रख रखाव किया जा रहा है, यदि पेंशन निधि के पंजीकृत कार्यालय में रख रखाव नहीं किया जा रहा हो। पेंशन निधि ही लेखा बहियों, अभिलेख तथा दस्तावेजों के रख रखाव और उनके सही होने के लिये उत्तरदायी होगी ।

(3) पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित लेखा नीतियों का पालन करेगी।

18. स्कीमों का निवल आस्ति मूल्य – (1) प्रत्येक स्कीम का प्रति यूनिट प्रारम्भिक मूल्य दस रुपये होगा।

(2) पेंशन निधि प्रत्येक स्कीम के निवल आस्ति मूल्य की गणना स्कीम की निवल आस्तियों को (प्राधिकरण द्वारा आस्तियों के मूल्य से अनुमोदित अनुमत्य प्रभारों को निकाल कर ज्ञात किया जाए) प्रत्येक स्कीम के मूल्यांकन के समय बकाया यूनिटों से विभाजित करके ज्ञात किया जाएगा।

(3) प्रत्येक स्कीम की यूनिटों के निवल आस्ति मूल्य की गणना की जाएगी और प्रत्येक 'कारोबारी दिन' को घोषित की जाएगी।

19. वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट – (1) पेंशन निधि आस्तियों का स्कीम–वार निपटान सुसंगत लेखा तारीख पर करने और अवधि के दौरान निष्पादकता देने के साथ ही अभिदाताओं को प्रोद्भूत आय के वितरण और संचयन के बारे में सूचना सही व निष्पक्ष रूप में इन विनियमों या प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार देने के लिए अनुसूची–7 में दिये अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी।

(2) पेंशन निधि को प्राधिकरण द्वारा उल्लिखित विधि से अपनी स्कीमों का संपरीक्षित लेखा पाना अपेक्षित होगा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में शामिल होगी। लेखा परीक्षक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को रिपोर्ट करेगा।

(3) प्रत्येक पेंशन निधि संपरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति तथा अन्य सूचना व उसके द्वारा धारित निवेशों और जमाओं का ब्योरा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रत्येक वित्त वर्ष बंद होने की तारीख से साठ दिनों के अंदर अग्रेषित करेगा ताकि उसकी समग्र स्कीम–वार विवरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को मिल जाए।

(4) स्कीमों की वित्तीय विवरणी पेंशन निधि के निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित होनी चाहिए और उसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रेषित किया जाए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का न्यासी मंडल पेंशन निधि की स्कीमों ओं की वित्तीय विवरणी पर पेंशन निधि के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षर करने के बाद, अनुमोदित करेगा और प्रतिहस्ताक्षर करेगा। स्कीम की वित्तीय विवरणी प्राधिकरण को प्रत्येक वित्त वर्ष बंद होने की तारीख से नब्बे दिनों में प्रस्तुत की जाएगी।

(5) स्कीमों का प्रत्येक तुलन पत्र और राजस्व लेखा कंपनी अधिनियम के तहत समय–समय पर अधिसूचित किये अनुसार लेखा मानकों के अनुरूप होगा सिवाय एएस 3 (नकदी प्रवाह विवरणी) और एएस 17 के (वर्गवार रिपोर्टिंग), जहां तक वे पेंशन स्कीमों पर लागू होते हैं और इन विनियमों के पूरी तरह असंगत नहीं है।

(6) प्रत्येक स्कीम की वार्षिक रिपोर्ट और पोर्टफोलियो ब्योरा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा अनुमोदित होने के बाद पेंशन निधि संबंधित पेंशन निधि की वेबसाइट पर प्रत्येक वित्त वर्ष बंद होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर डाली जाएगी।

(7) स्कीम–वार वार्षिक रिपोर्ट या उसका संक्षिप्त सारांश पेंशन निधि द्वारा केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण को अभिदाताओं को अग्रेषित करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सभी अभिदाताओं को प्रेषित संक्षिप्त सारांश में दी गई रिपोर्ट में एक टिप्पणी होगी कि पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट पेंशन निधि की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी जहां पूरी रिपोर्ट दी गई है।

(8) वार्षिक रिपोर्ट निरीक्षण के लिये पेंशन निधि के मुख्य कार्यालय में उपलब्ध होगी और उसकी एक प्रति अभिदाता को केवल दो सौ रुपये या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अन्य शुल्कों का भुगतान करने पर उपलब्ध होगी।

(9) पेंशन निधि प्रत्येक छमाही बंद होने अर्थात 31 मार्च और 30 सितम्बर, से एक माह के अंदर अपनी स्कीम–वार विवरणियां और स्कीम पोर्टफोलियो की असंपरीक्षित विवरणी अपनी वेबसाइट पर डालेगी।

(10) उप–विनियम (9) में संदर्भित अर्ध वार्षिक असंपरीक्षित रिपोर्ट में प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय–समय पर प्रकाशित तथा ऐसा अन्य ब्योरा जो स्कीम के परिचालनों की सही और निष्पक्ष तस्वीर देखने के लिये आवश्यक है, शामिल होगा।

20. निवेश प्रबंधन शुल्क – (1) उपलब्ध सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, पेंशन निधि अभिदाता से निवेश प्रबंधन शुल्क वसूल कर सकेगी।

(2) निवेश प्रबंधन शुल्क प्रभार की दर और विधि का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा और जिसकी अभिदाताओं के हित में और पेंशन सेक्टर के क्रमिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए समीक्षा की जा सकेगी।

(3) निवेश प्रबंधन शुल्क की गणना वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रबंधाधीन आस्तियों के आधार पर दैनिक प्रोदभूत आधार और पेंशन निधि को चुकता निधि के आधार पर की जाती है।

(4) निवेश प्रबंधन शुल्क में ब्रोकरेज शामिल होती है किंतु अभिरक्षक शुल्क एवं अनुमत्य कर शामिल नहीं होते हैं। अन्य सभी व्यय पेंशन निधि द्वारा वहन किये जाएंगे और पेंशन निधि द्वारा उनकी प्रतिपूर्ति या स्कीम में प्रभारित नहीं किये जाएंगे।

(5) पेंशन निधि अपने प्रभारों (निवेश प्रबंधन शुल्क) को दैनिक आधार पर निवल आस्ति मूल्य पर लगाएगी और प्रोदभूत प्रभार (आय) उनके द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा अनुमोदन के बाद, न्यासी बैंक में रखे स्कीम के बैक खाते से वसूल करेगी।

अध्याय – 4

पेंशन निधि के सामान्य दायित्व और उत्तरदायित्व

21. आचार संहिता – प्रत्येक प्रायोजक या पेंशन निधि अनुसूची–6 में दी गई आचार संहिता का अनुपालन करेगा।

22. पेंशन निधि के उत्तरदायित्व और कार्य – (1) पेंशन स्कीमों ं का प्रबंधन स्कीमों, अधिनियम के प्रावधानों, न्यास विलेख, नियमों, विनियमों, प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुसार और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निर्धारित समय सीमाओं में किया जाएगा।

(2) पेंशन निधियों का दैनिक प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पेंशन निधि द्वारा किया जाएगा।

(3) पेंशन निधि अपने कार्यों को करते समय अभिदाताओं के बेहतर हित में सेवा का उच्च स्तर, उपयुक्त सावधानी, समझदारी, कार्यकुशलता, निपुणता व सतर्कता बरतेगी। पेंशन निधियां सट्टेबाजी, काल्पनिकं निवेश या लेन देन नहीं करेंगी।

(4) पेंशन निधि अर्हता प्राप्त व निष्ठावान वृत्तिकों या कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। पेंशन निधि अपने कार्मिकों या प्राधिकृत व्यक्तियों जिनकी सेवाएं प्राप्त की गई हैं, के कार्यों व गलतियों के लिये उत्तरदायी होगी। यह जिम्मेदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने या निलम्बित या वापस लेने पर भी या प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन अपने नियंत्रण में लेने पर भी बनी रहेगी।

(5) पेंशन निधि अपने वित्तीय कार्यात्मक दायित्वों के निर्वहन के लिये अन्य मध्यवर्तियों से सम्पर्क व समन्वय करेगी और साथ ही करार करेगी, प्रौद्योगिकी मंच तैयार करेगी।

(6) पेंशन निधि पेंशन स्कीमों के परिचालन से संबंधित खाते, अभिलेख, रजिस्टर और दस्तावेजों का रख रखाव करेगी ताकि प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित हो और लेन देनों व कारोबारी गतिविधियों की लेखापरीक्षा में सुविधा हो।

(7) पेंशन निधि इन विनियमों, दिशानिर्देशों या परिपत्रों के अनुसार, या प्राधिकरण द्वारा जैसा कहा जाए या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय–समय पर अपेक्षित, आवधिक और अनुपालन रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी।

(8) पेंशन निधि अभिदाताओं के हित में अनुसूची–5 में प्राधिकरण द्वारा किये गये उल्लेखानुसार सूचना ऐसी रीति और प्ररूप में सार्वजनिक करेगी।

(9) पेंशन निधि निवेशों और जोखिम प्रबंधन के लिये अनुसूची–10 में उल्लेखित नवेश समिति और जोखिम समिति का गठन, उसकी संरचना, कार्यों, नीतियों और अन्य समान मामलों के लिये बेहतर अभिशासन विधियों को अपनाएगी

(10) पेंशन निधि हितों के टकराव से बचेगी जो पेंशन निधि के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन के समय और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को उन घटनाओं की रिपोर्ट करते समय उठ सकते हैं।

(11) पेंशन निधि अपने प्रायोजकों से पेंशन निधि संबंधी कारोबारी गतिविधियों को पृथक रखना सुनिश्चित करेगी।

(12) पेंशन निधि अभिदाताओं से संबंधित जानकारी और पेंशन निधि से संबंधित कार्रवाई की गोपनीयता तथा अपने नियंत्रणाधीन सभी सूचनाओं की सिवाय प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या किसी कानूनी प्रावधान के तहत अपेक्षित हो सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

(13) पेंशन निधि ऐसे प्रतिवेदन और वारंटियां देगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिये आवश्यक हैं।

(14) पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित शुल्कों, प्रभारों, उद्ग्रहणों और प्रतिभूति जमाओं का संदाय करेगी जिसके लिये

(15) पेंशन निधि के परिचालनों और निष्पादकता की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समीक्षा की जाएगी।

(16) पेंशन निधि की पेंशन स्कीमों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।

(17) पेंशन निधि की प्राधिकरण द्वारा अन्य लेखा परीक्षा और निरीक्षण किया जाएगा।

23. निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन प्रणालियां एवं नियंत्रण – (1) प्रत्येक पेंशन निधि में नियंत्रणों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों की समीक्षा, निगरानी, मूल्यांकन करने की पर्याप्त व्यवस्था होगी।

(2) पेंशन निधि परिचालनों या निष्पादकता की निगरानी, समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास नोडल एजेंसी होगी।

24. अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति – (1) प्रत्येक पेंशन निधि वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के अधिकारियों में से एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो अधिनियम के प्रावधानों, नियमों एवं विनियमों, प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों या अनुदेशों के अनुपालन की निगरानी के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) अनुपालन अधिकारी उसके द्वारा पाए गए किसी उल्लंघन की एक स्वतंत्र रिपोर्ट प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को शीघ्र भेजेगा।

25. प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को सूचना – (1) प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास पेंशन निधि से उसके कार्यकलाप से संबंधित किसी भी कार्य के बारे में कोई सूचना किसी भी समय मंगा सकता है।

(2) जब प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा उप–विनियम (1) के तहत कोई सूचना मंगाई जाती है तो पेंशन निधि का यह कर्तव्य होगा कि वह अपेक्षित सूचना प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करे।

अध्याय – 5

निरीक्षण और लेखा परीक्षा

26. निरीक्षण और लेखा परीक्षा – (1) प्राधिकरण, यदि वह आवश्यक समझे, किसी समय प्रत्यक्ष रूप से या अपने किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि या लेखापरीक्षक के माध्यम से किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत इस विनियम के अधीन याथविनिर्दिष्ट प्रयोजन भी है, पेंशन निधि की लेखा बहियों, खातों, अभिलेख के साथ–साथ टेलीफोन रिकार्ड और इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड तथा दस्तावेजों का निरीक्षण और संपरीक्षा कर सकेगा।

2. उपविनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजन के अंतर्गत निम्नलिखित भी हो सकते हैं –

क. बुनियादी ढांचागत क्षमताओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना,

ख. सुनिश्चित करना कि खातों, अभिलेखों और दस्तावेजों का उचित रख रखाव किया जाता है,

ग. सुनिश्चित करना कि क्या आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियां, प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय स्थापित किए गए हैं और पेंशन निधि द्वारा उनका पालन किया जा रहा है।

घ. सुनिश्चित करना कि क्या अधिनियम के प्रावधानों या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों या जारी किए गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों या अधिसूचनाओं का पालन किया जा रहा है,

ड. अभिदाताओं, नोडल कार्यालयों , मध्यवर्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे किसी विषय पर, जो प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि को सौंपे गए हैं, प्राप्त शिकायतों की जांच पड़ताल करना,

च. अभिदाताओं या पेंशन प्रणाली के हित में किसी अन्य मामले में स्वतः संज्ञान से जांच करना।

(3) प्राधिकरण –

(क) निरीक्षण या लेखापरीक्षा करने के लिए एक या अधिक प्राधिकृत प्रतिनिधियों या अर्हक लेखापरीक्षक को उप–विनियम (1) में संदर्भित, नियुक्त कर सकता है।

स्पष्टीकरण – इस उप विनियम के प्रयोजनके लिए, 'अर्हक लेखापरीक्षक' का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 में निहित है।

(ख) यदि प्राधिकरण ऐसा उचित समझे तो किसी अर्हता प्राप्त मूल्यांकक को नियुक्त करे या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को एक अर्हता प्राप्त मूल्यांकक की नियुक्ति करने के लिये कहे,` इस धारा के तहत किसी भी मूल्यांकन पर होने वाले व्यय पेंशन निधि द्वारा वहन किए जाएंगे।

27. निरीक्षण या लेखापरीक्षा के पूर्व सूचना – (1) विनियम 26 के अधीन कोई निरीक्षण या लेखापरीक्षा करने के पूर्व प्राधिकरण या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या लेखापरीक्षक पेंशन निधि को दस कार्य दिवस की सूचना देगा :

परंतु यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अभिदाताओं के हितों की तत्काल रक्षा के लिए निरीक्षण या संपरीक्षा आवश्यक है तो किसी सूचना की अपेक्षा नहीं होगी।

2. निरीक्षण या लेखापरीक्षा के दौरान, पेंशन निधि जिसका निरीक्षण या लेखापरीक्षा की जा रही है, इन विनियमों के अधीन यथा उपबंधित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए बाध्य होगा।

28. निरीक्षण और लेखापरीक्षा संबंधी दायित्व– (1) पेंशन निधि का यह कर्तव्य होगा कि जिसके कार्यों का निरीक्षण या लेखापरीक्षा की जा रही है और उसके प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण को या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या लेखापरीक्षा को अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखी बहियों, लेखाओं, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को, निर्दिष्ट उपयुक्त समय में, जैसाकि उसे अपेक्षित हो, उन विवरणियों एवं प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे गये कायों से संबंधित सूचना के साथ प्रस्तुत करे।

(2) पेंशन निधि प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या लेखापरीक्षक को उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभोग में रखे गए परिसर तक युक्तियुक्त पहुंच की अनुज्ञा देगा और पेंशन निधि. या किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में की किन्हीं बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों और कंप्यूटर डाटा की परीक्षा करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा भी प्रदान करेगा और ऐसे दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां भी, जो प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की राय में सुसंगत हों, निरीक्षण या लेखापरीक्षक के प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराएगा।

(3) पेंशन निधि का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या लेखापरीक्षक को निरीक्षण या लेखापरीक्षा के संबंध में ऐसी सभी सहायता प्रदान करे जिसे प्राधिकरण या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या लेखापरीक्षक निरीक्षण या लेखापरीक्षा के संबंध में उचित मांग करे।

29. लेखापरीक्षा की प्रक्रिया (आन्तरिक और स्कीम)– पेंशन निधि की आन्तरिक लेखापरीक्षा, स्कीम लेखापरीक्षा और अन्य लेखापरीक्षाएं प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित रीति के अनुसार की जाएंगी।

30. रिपोर्ट प्रस्तुत करना – (1) निरीक्षण या लेखापरीक्षा पूरी होने पर, प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह अभिदाताओं के हित में करना उचित व उपयुक्त समझे।

(2) प्राधिकरण, स्वतः संज्ञान से अथवा निरीक्षण रिपोर्ट या लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर, विचार करने के पश्चात जो भी मामला हो, जैसा भी उचित समझे, अपनी ओर से मामले में जांच पड़ताल या पूछताछ करने का आदेश दे सकता है।

31. निरीक्षण या लेखापरीक्षा शुल्क का भुगतान – प्राधिकरण को प्रत्यक्ष या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण या लेखापरीक्षा पर हुए व्यय को विनियम 26 के उप–विनियम (1) के तहत वसूल करने का हक होगा।

32. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निरीक्षण और लेखापरीक्षा –(1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास वार्षिक आधार पर, या उस अवधि में जिसका निर्धारण प्राधिकरण द्वारा स्कीम के अनुसार किया जाए, पेंशन निधि का निरीक्षण या लेखापरीक्षा या दोनों, प्रत्यक्ष या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुसार करेगा। पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या

उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उसके अधिभोग में रखे गए परिसर तक युक्तियुक्त पहुंच, की अनुज्ञा देगा लेखा बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों और उस निरीक्षण या लेखापरीक्षा के लिऐ अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराएगा, जो भी मामला हो।

(2) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रत्यक्ष या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण या लेखापरीक्षा कराये जाने पर हुए व्यय को वसूल करने का हक होगा।

(3) लेखापरीक्षा या निरीक्षण के विषय क्षेत्र का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।

अध्याय– 5

व्यतिक्रम के मामले में प्रमाण पत्र निलंबित या निरस्त करना

33. पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त या निलंबित करना – (1) प्राधिकरण की किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसे कंपनी द्वारा किया गया हो, पेंशन निधि को प्रदान किया पंजीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित किसी भी स्थिति में निलंबित, निरस्त या वापस लिया जा सकता है, नामतः

क– किसी ऐसी शर्तों और नियमों का पालन करने में असफल रहता है जिसके आधार पर उसे पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है,

ख. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या उसके अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं, निदेशों, अनुदेशों या परिपत्रों का उल्लंघन करता है,

ग. स्वेच्छा से प्राधिकरण द्वारा दिये पंजीकरण प्रमाणपत्र को वापस करने का अनुरोध करता है,

घ. एक रिसीवर, रिसीवर और प्रबंधक, प्रशासक या समान व्यक्ति परिसम्पतियों, और पेंशन निधि के उद्यमों या प्रायोजक के लिये नियुक्त किया जाता है,

च. पेंशन निधि या पेंशन निधि का प्रायोजक–

(i) परिसमापन हो जाता है (प्राधिकरण द्वारा पूर्व में लिखित अनुमोदित शर्तों पर पुनर्गठन अथवा विलयन के उद्देश्य के अतिरिक्त),

(ii) कारोबार बंद कर देता है,

(iii) पंजीकरण के किसी नियम या शर्त के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा दिये गये प्रतिनिधित्व,वारंटी अथवा उदघोषणा का निष्पादन अथवा अनुपालन करने मे विफल रहता है अथवा प्राधिकरण से नोटिस मिलने से दस कार्य दिवसों में उस उल्लंघन या भूल को ठीक नहीं कर पाता है,

(iv) अपना कारोबार इस प्रकार करता है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं के हित में नहीं है,

(v) प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी जांच में सहयोग नहीं करता है,

(vi) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या किसी अन्य पेंशन स्कीम के तहत कारोबार में हेरफेर करता है,

(vii) गलत कारोबारी कार्यकलाप करता है।

छ. यदि पेंशन निधि या प्रायोजक, प्राधिकरण की राय में, पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये भ्रष्ट या छलपूर्ण कार्य करता है या उसे किसी सरकारी प्राधिकरण या विनियामक द्वारा कालीसूची में डाला गया है,

ज. यदि पेंशन निधि या प्रायोजक प्राधिकरण को झूठा बयान या सूचना प्रस्तुत करता है जिसका वस्तुगत प्रभाव प्राधिकरण या अभिदाताओं के अधिकारों, दायित्वों या हितो पर पड़ता है,

झ. यदि पेंशन निधि या प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित आवधिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता है,

ञ. यदि पेंशन निधि या प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा उसके पेंशन कारोबार से संबंधित यथा अपेक्षित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करता है,

ट. यदि पेंशन निधि के स्वामित्व, प्रबंधन या प्रमुख अधिकारियों में कोई बदलाव होता है जिससे प्राधिकरण की राय में अभिदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है,

ठ. बाजार प्रतिलाभ या समान बेंचमार्क से नीचे विवरणियां प्रमुख रूप से और निरन्तर तैयार करता है,

ड. अभिदाताओं के हितों के विरूद्ध ढंग से काम करता है।

त. प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी जांच में सहयोग नहीं करता है,

थ. अधिनियम की धारा 28 के तहत यथा निर्दिष्ट कोई व्यतिक्रम पूर्ण कार्य करता है,

द. कोई अन्य कारण जिस कारण प्राधिकरण की राय में प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन, निरस्तीकरण या वापस लेना आवश्यक हो।

(2) प्राधिकरण पूर्वाग्रह के बिना, उप–विनियम (1) के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन, निरस्तीकरण या वापस लेने के बजाय पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों को बदलने या संशोधित करने का निदेश दे जिसे वह उचित समझे या कोई अन्य आदेश पारित करे जिसे वह अभिदाताओं के हित में लाभकारी समझता हो, कारणों को लिखित दर्ज किया जाए।

(3) पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन, निरस्तीकरण या वापस लेने के आदेश तब तक जारी नहीं किये जाएंगे जब तक कि संबंधित व्यक्ति को विनियमों के अनुसार जांच में सुनने का उपयुक्त अवसर नहीं दिया जाए।

34. पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन अथवा निरस्तीकरण अथवा अभ्यर्पण करने के प्रभाव – (1) पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन, निरस्तीकरण या वापस लेने की तारीख से, पेंशन निधि –

(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अथवा अन्य पेंशन स्कीमों, जो भी मामला हो, के अन्तर्गत कोई नया लेन देन नहीं कर सकता है,

(ख) आस्तियों, अभिलेखों, दस्तावेजों या सूचना के बारे में जो पेंशन निधि के पास या नियंत्रण में हो, एक निर्धारित समय सीमा में और इस प्रकार ऐसी कार्रवाई करे जो संगत विनियमों के तहत अपेक्षित हो या प्राधिकरण द्वारा जैसा निदेश दिया जाए,

(ग) आस्तियों, अभिलेखों, दस्तावेजों या सूचना को जो उसके पास या नियंत्रण में हो, दूसरी पेंशन निधि को प्राधिकरण द्वार निर्दिष्ट ऐसी रीति और प्ररूप में अपने व्यय पर अंतरित करे (घ) पेंशन निधि या प्रायोजक अपने प्रबंधाधीन सभी आस्तियों को अपने खर्चे पर और जब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो, सुगम अंतरण के लिये अपेक्षित सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा और ऐसी आस्तियों के अंतरण के बारे में ऐसी सार्वजनिक घोषणा या प्रकटीकरण करे जो अभिदाताओं के लिये हितकर हो। वह यह भी सुनिश्चित करे कि संबंधित आस्तियों, अभिलेखों, दस्तावेजों या सूचना का अंतरण प्राधिकरण द्वारा जारी निदेशों के अनुसार किया गया है। पेंशन निधि या प्रायोजक द्वारा किसी प्रकार से असहयोग या बाधा डालने पर पेंशन निधि या उसके प्रायोजक पर जुर्माना लगाया जा सकता है,

(ड.) इन आस्तियों का अंतरण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा,

(च) पेंशन निधि या प्रायोजक तब तक प्राधिकरण के निदेशों का अनुपालन करेगा जब तक वे सभी अंतरण या कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती या जब तक पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित रहता है।

35. अभिहित प्राधिकारी की नियुक्ति – (1) जहां अभिहित प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि पेंषन निधि ने, जिसे इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति ने विनियम 28 में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कोई चूक की है वहां वह मुख्य महाप्रबंधक की श्रेणी के किसी अधिकारी को या किसी समतुल्य श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) किसी ऐसे अधिकारी की, जिसने अभिकथित अतिक्रमण की बाबत अन्वेषण या निरीक्षण किया है, अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति नहीं की जाएगी।

36. सूचना का जारी किया जाना – (1) अभिहित प्राधिकारी, यदि उसे ऐसे युक्तियुक्त आधारों का पता चलता है तो वह, पेंशन निधि या किसी संबंधित व्यक्ति को, उससे यह दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उसे प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द का दिया जाए या क्यों न उसमें उपबंधित कोई अन्य कार्रवाई की जाए, एक सूचना जारी करेगा।

(2) उपविनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना में, सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए अभिकथित अतिक्रमण को, अधिनियम, विनियमों, निदेशों या परिपत्रों के उन उपबंधों को उपदर्शित करते हुए, जिनकी बाबत अतिक्रमण करने का अभिकथन किया गया है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उपविनियम (1) के अधीन जारी सूचना के साथ ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां, जिनका अभ्यारोपण करने में अवलंब किया गया है और दस्तावेजों के सुसंगत भाग के उद्धरण, ऐसी रिपोर्टें, जिनमें किए गए अन्वेशण या निरीक्षण, यदि कोई हो, में दिए गए निष्कर्ष अंतर्विष्ट हों, उपाबद्ध की जाएंगी।

(4) सूचना प्राप्त करनेवाले व्यक्ति से, सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर, जो उसकी तामिल होने की तारीख से इक्कीस दिन से अधिक नहीं होगी, अभिहित प्राधिकारी को एक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

37. सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा उत्तर – (1) सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अभिहित प्राधिकारी को सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन, उसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत करेगाः

परन्तु अभिहित प्राधिकारी सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दर्शित पर्याप्त आधारों के आधार पर और ऐसे विस्तार के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् सूचना में विनिर्दिष्ट समय को बढ़ा सकेगा।

(2) यदि सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उस प्रयोजन के लिए प्रदत्त समय के भीतर हेतु दर्शित करने वाली सूचना का उत्तर नहीं देता है तो अभिहित प्राधिकारी मामले में, ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए एकपक्षीय कार्रवाई के लिए अग्रसर हो सकेगा।

38. व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई –अभिहित प्राधिकारी, सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अभ्यावेदनों, यदि कोई हो, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अधिनियम, विनियमों, प्राधिकरण द्वारा दिए गए निदेशों या परिपत्रों पर विचार करने के प्श्चात् एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जहां तथ्यों से यह प्रमाणित होता है वहां निम्नलिखित की सिफारिश करेगा –

(क) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन;

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण;

(ग) आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई नया कार्य या संविदा प्राप्त करने या नवीन स्कीम प्रारम्भ करने से विवर्जित करना;

(घ) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के प्रधान अधिकारी को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्त्ती या अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के साथ नियोजित या सहयोजित होने से विवर्जित करना;

(ड.) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति की किसी षाखा या किसी कार्यालय को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई क्रियाकलाप करने से विवर्जित करना;

(च.) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चेतावनी देना।

39.सिफारिश पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया – (1) अभिहित प्राधिकारी से कार्रवाई करने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित सदस्य उस पर विचार करेगा और सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक कारण दर्शित करने वाली सूचना, जिसके साथ अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न होगी, जिसमें सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इस बारे में कि उसके विरूद्ध कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत समुचित निदेश पारित करना भी है, क्यों नहीं की जानी चाहिए, लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई हो, जारी करेगा।

(2) सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, सूचना प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर अभिहित सदस्य को एक उत्तर भेजेगा जो उस उत्तर पर, यदि सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्राप्त होता है, विचार करने और उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्रता से समुचित आदेश पारित कर सकेगा और उत्तर प्राप्त होने या सुनवाई करने के एक सौ बीस दिन के भीतर आदेश पारित करने का प्रयास करेगा।

(3) अभिहित सदस्य, जहां प्रश्नगत विषय वस्तु सारवान रूप से समान या समरूप प्रकृति की है, वहां सूचना प्राप्त करने वाले अनेक व्यक्तियों के संबंध में एक समान आदेश पारित कर सकेगा।

40. आदेश की संसूचना – (1) इन विनियमों के अधीन किसी अभिहित प्राधिकारी द्वारा दी गई प्रत्येक रिपोर्ट और अभिहित सदस्य द्वारा पारित प्रत्येक आदेश तारीख सहित हस्ताक्षरित होगा।

(2) इन विनियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति पेंशन निधि या संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी और उसे प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

41. शास्ति या न्यायनिर्णयन –पेंशन निधि या किसी संबंधित व्यक्ति पर शास्ति का अधिरोपण, यदि कोई हो, अधिनियम और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015 के अनुसार किया जाएगा।

42. प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील –पेंशन निधि या कोई अन्य संबंधित व्यक्ति, यदि अभिहित सदस्य द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट है तो अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, –

(क) 'अभिहित प्राधिकारी' से विनियम 31 के उपविनियम (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) 'अभिहित सदस्य' से प्राधिकरण का तत्प्रयोजनार्थ अभिहित अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य अभिप्रेत है;

(ग) 'सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस अध्याय के अधीन सूचना जारी की गई है।

अध्याय– 7

विविध

43. **स्पष्टीकरण और निदेश जारी करने के प्राधिकरण की शक्ति**– इन विनियमों के प्रत्ययन या व्याख्या कोई कठिनाई होने पर, प्राधिकरण को टिप्पणियों और परिपत्रों के रूप में स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति होगी जो पेंशन निधि पर बाध्यकारी होंगे।

44. **निदेश** – इन विनियमों और निदेशों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों तथा इन विनियमों के तहत जारी आदेश जो प्राधिकरण द्वारा जारी किये हो सकते हैं, के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, प्राधिकरण अभिदाताओं के हित में या पेंशन निधि के उचित प्रबंधन के लिये वांछित निदेश जारी कर सकता है,

परंतु प्राधिकरण कोई निदेश जारी करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिये उपयुक्त अवसर देगाः

परंतु इसके अतिरिक्त यदि परिस्थितियों के कारण कोई अंतरिम निदेश शीघ्र जारी करना अपेक्षित हुआ तो प्राधिकरण निदेश जारी करने के बाद शीघ्र ही संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिये उपयुक्त अवसर देगा।

अनुसूची–1

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि)

[विनियम 9(3) देखिए]

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

पेंशन निधि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 27 की उप–धारा (3) और उसके साथ पठित विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण**.....** को अधिनियम और उसके अधीन निर्मित विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन पेंशन निधि के रूप में कार्य करने के लिए यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है। पेंशन निधि का रजिस्ट्रीकरण कोड.....है।

तारीख :––––––––––

स्थान ––––––––

आदेश द्वारा

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से

अनुसूची – 2

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि)

विनियमावली, 2015

[विनियम 8(3)(च) देखें]

'उपयुक्त एवं उचित' के लिये मानदंड

यह निर्धारण करने के लिए कि क्या प्रायोजक या पेंशन निधि एक 'उपयुक्त एवं उचित व्यक्ति' है, प्राधिकरण इसके लिये कुछ भी उपाय, जिसे वह उचित समझे, निम्नलिखित सहित जो आवेदक या मध्यवर्ती , प्रधान अधिकारी और प्रमुख प्रबंधनकर्ता, कुछ भी हो, के संबंध में यहीं तक सीमित नहीं होगा :

(क) वित्तीय निष्ठा,

(ख) अपराधी या सिविल देनदारियां न हों,

(ग) सक्षमता,

(घ) अच्छी ख्याति और चरित्र

(ड.) कुशलता और ईमानदारी, और

(च) वित्तीय शोधन क्षमता और निवल सम्पत्ति

ऐसे प्रायोजक या पेंशन निधि को नियुक्ति के लिये 'उपयुक्त एवं उचित व्यक्ति' नहीं माना जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित कोई अयोग्यता हो :–

क– प्रायोजक या पेंशन निधि या उसके प्रधान अधिकारी या प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को अनैतिकता, आर्थिक अपराध, प्रतिभूतियां कानून या घोखा देने के किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो,

ख– प्रायोजक या पेंशन निधि को समापन आदेश दिये गये हों,

ग– प्रायोजक या पेंशन निधि या उसके प्रमुख प्रवर्तक को दिवालिया घोषित किया गया हो और अभी उससे मुक्त नहीं किया गया हो,

घ– प्रायोजक या पेंशन निधि या उसके प्रमुख अधिकारी या प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों में व्यापार करने या पूंजी बाजार में जाने पर रोक, प्रतिबंधित या विवर्जित करने के लिये आदेश (बिचौलिये के रूप में नियुक्ति को निलंबित करने के आदेश के अतिरिक्त), किसी विनियामक प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा जारी किये गये हों और आदेश में उल्लिखित अवधि समाप्त होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि नहीं बीती हो,

ड.– प्राधिकरण या संबंधित वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा शेयरों के परोक्ष लेन देन, धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यापारिक गतिविधियां या बाजार संबंधी हेराफेरी के आधार पर प्रायोजक या पेंशन निधि की नियुक्ति के आदेश निरस्त किये गये हों और आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि नहीं बीती हो,

च– प्रायोजक या पेंशन निधि या उसके पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध हिस्सेदार से कोई लाइसेंस वापस लेने या देने या अनुमोदन करने से इंकार करने के आदेश जिसका पूंजी बाजार पर प्रभाव पड़ता हो, संबंधित वित्तीय सेक्टर के विनियामक या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये हों और आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि नहीं बीती हो, प्राधिकरण कारणों को लिखित में दर्ज करके, प्रायोजक या पेंशन निधि को धारा (घ)(ड.) व (च) में उल्लेखानुसार तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व नियुक्ति के लिये अनुमति दे सकता है,

छ. प्रायोजक या पेंशन निधि वित्तीय आधार पर मजबूत न हो,

ज. किसी सरकारी या सांविधिक प्राधिकरण द्वारा प्रायोजक या पेंशन निधि या उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उसके किसी निदेशक या कर्मचारियों या संबंधित ग्रुप एजेंसी को किसी कार्रवाई, या जांच पड़ताल या किसी अन्य प्रकृति की कोई कार्रवाई करने का नोटिस दिया है जो प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन स्कीमों के प्रायोजक या पेंशन निधि के कारोबार पर रोक लगाते, प्रतिबंध लगाने या अन्य प्रकार से बाधा उत्पन्न करता हो और भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड सहित किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा उसके विरूद्ध इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जा रही हो जो प्राधिकरण द्वारा विनियोजित पेंशन स्कीमों के प्रायोजक या पेंशन निधि के रूप में उसकी सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो,

झ. प्राधिकरण द्वारा ऐसे किसी अन्य कारण को लिखित में दर्ज किया जाए जो उसकी राय में उस प्रायोजक या पेंशन निधि या उसके प्रधान अधिकारी या प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पेंशन या वित्तीय बाजार में कार्य के अयोग्य ठहराते हों।

स्पष्टीकरण –धारा (छ) के प्रयोजनार्थ, प्राधिकरण प्रायोजक या पेंशन निधि की पूंजी पर्याप्तता या मूर्त निवल मूल्य पर विचार कर सकता है जहां कहीं नियुक्ति के संगत आवेदन में ऐसा उल्लेख किया गया हो।

अनुसूची – 3

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि)

विनियमावली, 2015

[विनियम 4(1), 9(3) और 13 देखें]

विनियमों के अन्तर्गत देय शुल्क

भाग क

प्राधिकरण को देय शुल्क की राशि

शुल्क की प्रकार	राशि	प्रकार/गणना	भुगतान का समय
आवेदन शुल्क	10,00,000 रु.	अप्रतिदेय/सपाट दर	पेंशन निधि के प्रायोजक के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय
पंजीकरण शुल्क	25,00,000 रु.	अप्रतिदेय/सपाट दर	पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करते समय (एक बार)
वार्षिक शुल्क	प्रबंधन के तहत आस्तियों का 0.005 प्रतिशत या 10,00,000 रु., जो अधिक हो	अप्रतिदेय/प्रबंधन के तहत आस्तियों का प्रतिशतः पिछले वित्त वर्ष की 31 मार्च को प्रबंधन के तहत आस्तियों पर विचार किया जाएगा।	प्रत्येक वित्त वर्ष की 15 अप्रैल तक देय या पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के बाद पन्द्रह दिनों में

स्पष्टीकरण :

1. इस भाग के प्रयोजनार्थ, ''प्रबंधन के तहत आस्तियां'' का अर्थ होगा कि पेंशन निधि द्वारा धारित आस्तियों का दर्शित मूल्य जैसे कि नीचे भाग–ख के उप–अनुच्छेद 6 के तहत दर्शाया गया है।

2. भाग–क में दर्शित शुल्क ''पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण'' के नाम नई दिल्ली में देय मांग ड्राफ्ट या बैंकर चेक द्वारा या ई–भुगतान द्वारा देय होगा।

3. पेंशन निधि तिमाही आधार पर यथानुपात वार्षिक शुल्क का भुगतान करेगी, यदि कारोबार वर्ष के कुछ भाग में किया गया हो। वार्षिक शुल्क के साथ प्रबंधन के अधीन आस्तियों की विवरणी संलग्न की जाएगी जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट फार्मेट में होगी और उसे पेंशन निधि के संचालन प्रमुख द्वारा सत्य एवं सम्पूर्ण प्रति सत्यापित किया जाएगा। पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा निर्धारण निर्दिष्ट विस्तारण काल शुल्क का भुगतान करेगी यदि पंजीकरण के लिये निर्धारित समय सीमा में विस्तारण प्रदान किया गया हो।

4. प्राधिकरण को सभी या कोई शुल्क समय–समय पर संशोधित करने का अधिकार होगा।

अनुसूची – 4

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि)

विनियमावली, 2015

[विनियम 11(3) देखें]

कारोबार आरंभ करने के लिये प्रमाण पत्र

———————————————— जिसे पेंशन निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ——————————पर —————————— को एत्तद्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेशन योजनाओं के लिए पेंशन निधि के रूप में कारोबार शुरू करने के लिए..... तिथि 20 को अनुज्ञा प्रदान करता है

स्थान :

आदेश द्वारा

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से

अनुसूची – 5

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि)

विनियमावली, 2015

[विनियम 12(ज), 22(8) देखें]

रिपोर्टें और प्रकटन

1. **एनपीएस न्यास, पीएफआरडीए, सीआरए और अन्य पक्षों को रिपोर्टिंग**

पेंशन निधि आवधिक रिपोर्टें तथा वह सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करेगी जो प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण द्वारा समय–समय पर यथा अपेक्षित होंगे। इसमें शामिल होगा किंतु जो निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है –

क. **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को सांकेतिक रिपोर्टें**

प्रत्येक क्रमिक अवधि की लिखित रिपोर्टें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को अवधि के अंतिम दस दिनों में भेजनी चाहिए यदि रिपोर्टें मासिक या तिमाही या छमाही या वार्षिक हों और उनमें कम से कम, अवधि की अंतिम तारीख की निम्नलिखित सूचना अवश्य शामिल हो।

रिपोर्ट	विषय
मासिक	
प्रपत्र 1	एयूएम और यूनिटों का समाधान
प्रपत्र 2	स्कीम सी जी के लिये पोर्टफोलियो का ब्योरा
प्रपत्र 3	स्कीम एसजी के लिये पोर्टफोलियो का ब्योरा
प्रपत्र 4	स्कीम ई–टीयर 1 के लिये पोर्टफोलियो का ब्योरा
प्रपत्र 5	स्कीम सी–टीयर 1 के लिये पोर्टफोलियो का ब्योरा
प्रपत्र 6	स्कीम जी–टीयर 1 के लिये पोर्टफोलियो का ब्योरा
प्रपत्र 7	स्कीम ई–टीयर 2 के लिये पोर्टफोलियो मूल्य का ब्योरा
प्रपत्र 8	स्कीम सी–टीयर 2 के लिये पोर्टफोलियो का ब्योरा
प्रपत्र 9	स्कीम जी–टीयर 2 के लिये पोर्टफोलियो का ब्योरा
प्रपत्र 10	स्कीम एनपीएस लाइट के लिये पोर्टफोलियो का ब्योरा
प्रपत्र 11	स्कीम कारपोरेट सीजी के लिये पोर्टफोलियो का ब्योरा
प्रपत्र 12	पेंशन निधि द्वारा किये क्रयों और बिक्री की विवरणी
प्रपत्र 13	अवधि के दौरान प्राप्त या प्रोद्भूत राशि
प्रपत्र 14	ग्रुप कंपनियों/पीएफ एसोशियट्स में प्रतिभूतियों में लेन देन पर रिपोर्ट
प्रपत्र 15	डाउन ग्रेडेड निवेशों की विवरणी
एमसी	मासिक अंतराल पर अनुपालन प्रमाण पत्र
तिमाही	
प्रपत्र 1क	पीएफ के प्रमुख कार्मिकों द्वारा अपने नाम में प्रतिभूतियों में लेन देन की रिपोर्ट
प्रपत्र 1ख	किसी पीएफ एसोशियट से प्रतिभूतियों में लेन देन की रिपोर्ट
प्रपत्र 2	पोर्टफोलियो परिदृश्य
प्रपत्र 3	म्यूचुयल फंड निवेशों की विवरणी
प्रपत्र 4	तिमाही आधार पर बाजार मूल्य
प्रपत्र 5	निवेश पोर्टफोलियो का ब्योरा – परिपक्वता राशि एवं अतिदेय निवेश (एनपीए) स्थिति प्रतिभूति बाजार के लिये संभावना
प्रपत्र 6	पोर्टफोलियो में स्थिति और परिस्थितियों के मूल्यांकन सहित पोर्टफोलियो का परिदृश्य क. वर्तमान आर्थिक स्थिति ख प्रतिभूतियों के बाजारों के लिये संभावना , ग. पोर्टफोलियों में संव्यवहारों और स्थितियों के लिए औचित्य घ. पिछली तिमाही (और वर्ष जब लागू हो) में निरपेक्ष आधार एवं सापेक्ष आधार पर विशेष बाजार बेंचमार्क की निष्पादकता, ड. पोर्टफोलियो के प्रतिलाभों के लिये दृष्टिकोण क्यूसी तिमाही अंतराल पर अनुपालन प्रमाणपत्र

अर्ध वार्षिक

छमाही 1	स्कीम लेखा विनियमों के अनुसार स्कीमों की छमाही असंपरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (प्रत्येक छमाही बंद होने से एक माह के अंदर)
एच0वाई0सी0	छमाही अंतराल पर अनुपालन प्रमाण पत्र

वार्षिक

ए 1	प्रायोजक के विनियामक लाइसेंसों की वर्तमान स्थिति की विवरणी और पीएफ कंपनी या प्रायोजक के नाम या पूंजीकरण में किन्हीं परिवर्तनों का ब्योरा।
ए 2	प्रोदभूत ब्याज की राशि दर्शाने वाली विवरणी किंतु वित्त वर्ष बंद होने की तारीख तक जिसकी वसूली नहीं हुई।
ए 3	स्कीमओं, पीएफ और उसके एसोशियट्स के बीच हुई सभी सेवा संविदाएं (बाह्य गतिविधियों सहित)।
ए 4	सभी सेवा संविदाएं जैसे प्रतिभूतियों की अभिरक्षा व्यवस्थाएं तथा अंतरण एजेंसी, जो अभिदाताओं के हित में निष्पादित किए गए।
ए 5	सभी कार्यकलापों का संक्षिप्त ब्योरा और विनियमों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन।
ए 6	असंपरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट तथा स्कीम लेखा विनियमों के अनुसार निवेश सहित अन्य सूचना की प्रति। (प्रत्येक वित्त वर्ष बंद होने की तारीख से साठ दिनों में)
ए 7	प्रत्येक स्कीम की असंपरीक्षित अंनन्तिम वित्तीय विवरणी की प्रति (तुलन–पत्र, राजस्व लेखा, नोट्स एवं अनुसूचियां)। (प्रत्येक वित्त वर्ष बंद होने की तारीख से तीस दिनों में)
ए 8	वोटिंग रिपोर्ट एवं डाले गये वोटों की संख्या (समर्थन में, विरोध में या नहीं डाला) और एक बयान कि क्या पेंशन निधि ने ग्राहकों के हित में अपना वोट डालने के दायित्व का निर्वहन किया।
ए 9	निदेशकों के हितों में कोई परिवर्तन प्रत्येक छमाही
एसी	वार्षिक अंतराल पर अनुपालन प्रमाण पत्र

तदर्थ

एम 1	उसके सभी निदेशकों का जीवन वृत्त तथा अन्य कंपनियों में उनका हित, उनकी नियुक्ति से 15 दिन में
एम 2	हितों में टकराव
एम 3	अन्य वह सभी सूचनाएं जिसे एनपीएस न्यास द्वारा आवश्यक समझा गया।

ख. **प्राधिकरण को रिपोर्टें**

1. रिपोर्टों के अतिरिक्त, पेंशन निधि इस अनुसूची के अनुच्छेद 2 के अनुसार प्रकटीकरण करेगा।
2. प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना
3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा प्राधिकरण को अपवादात्मक रिपोर्टिंग
4. राष्ट्रीय पेंशन न्यास पेंशन निधि के परिचालनों के बारे में प्राधिकरण को आवधिक आधार पर सूचित करेगा

ग. **केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण को रिपोर्टें**

पेंशन निधि निम्नलिखित के लिये केन्द्रीय अभिलेखधारक एजेंसी से सम्पर्क करेगी –

1. निर्दिष्ट प्ररूप में रिपोर्टें भेजना और प्राप्त करना,
2. केन्द्रीय अभिलेखधारक एजेंसी द्वारा निवेश संबंधी अनुदेशों का समेकन और संकलन,

3. पेंशन निधि द्वारा केन्द्रीय अभिलेखधारक एजेंसी को पुष्टि रिपोर्ट

4. पेंशन निधि द्वारा दैनिक निवेश रिपोर्ट

5. पेंशन निधि की स्कीमवार भुगतान स्थिति की केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को रपोर्ट

6. प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथा निर्दिष्ट निवल आस्ति मूल्यों की दैनिक रिपोर्ट

7. विभिन्न निवेश स्कीमों ं पर पेंशन निधि द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से प्राप्त निवल निधि की लेखा रिपोर्ट

8. निवल भुगतान पर विसंगति/पुष्टि रिपोर्ट

9. निवल आस्ति मूल्यों के अनुसार स्कीमों की दैनिक निष्पादकता रिपोर्टें

घ. **अन्य पक्षों को रिपोर्टें**

1. पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, न्यासी बैंक, अभिरक्षक तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित अन्य निकायों द्वारा यथा अपेक्षित ये रिपोर्टें भेजेगी जैसेकि प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाता है।

2. पेंशन निधि स्कीम में शामिल विभिन्न स्कीमों ं के कारोबारी मूल्य और निवल आस्ति मूल्य की गणना के आधार को प्रकट करेगा और अभिदाताओं को उन अंतरालों पर जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, सूचित करेगी।

2. **सार्वजनिक प्रकटीकरण – विनियम 22(8) के तहत**

क. पेंशन निधि से प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन करने की आशा की जाएगी ।

ख. प्राधिकरण द्वारा सभी पणधारकों के हित में सूचना के संप्रेषण में एकरूपता और समय पर भेजना सुनिश्चित करने के लिये, निम्नलिखित सार्वजनिक प्रकटीकरण सुनिर्धारित किये गये हैं :–

क्रमांक	**ब्योरा**	**आवृति**	**फार्मेट**	**समय सीमा**	**वेबसाइट पर उप– शीर्षक**
1	नवीनतम निवल आस्ति मूल्य (एन0ए0वी0) (स्कीम–वार)	दैनिक	चार दशमलव प्वाइंट तक	उसी दिन सायं 9.00 बजे तक	एनएबी पूर्ववृत्त
2	एन0ए0वी0 पूर्ववृत्त(प्रारंभ से स्कीमवार –अंक तालिका व ग्राफ, दोनों में)	दैनिक	चार दशमलव प्वाइंट तक	उसी दिन सांय 9.00 बजे तक	एनएबी पूर्ववृत्त
3	प्रत्येक स्कीम के पोर्ट फोलियो का स्क्रिपवार ब्योरा	मासिक	**नीचे दिया गया है**	माह के अंत से 10 दिन के अंदर	पोर्टफोलियो ब्योरा
4	असंपरीक्षित वित्तीय विवरणी तथा स्कीम पोर्टफोलियो की विवरणी*	छमाही	**नीचे दिया गया है** (प्रत्येक स्कीम के पोर्टफोलियों का स्क्रिप वार ब्योरा)	प्रत्येक छमाही बंद होने से एक माह बीतने से पूर्व	वित्तीय
5	वार्षिक रिपोर्ट (वित्त सहित) तथा प्रत्येक स्कीम का पोर्टफोलियो ब्योरा **	वार्षिक	**नीचे दिया गया है** (प्रत्येक स्कीम के पोर्टफोलियों का स्क्रिप वार ब्योरा)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से अनुमोदन के बाद (15 दिन में)	वित्तीय
6	निवेश नीति और निवेश समीक्षा तंत्र	हर समय पर अद्यतन स्थिति	–	बोर्ड से अनुमोदन के बाद 10 दिन में	नीति
7	वार्षिक रिपोर्ट और पेंशन निधि के वित्तीय आंकड़े	वार्षिक	–	एजीएम के बाद (10 दिन में)	वित्तीय
8	स्कीमवार शुल्क (पेंशन निधि द्वारा शुल्क में परिवर्तन होने पर भी साथ ही सार्वजनिक नोटिस को उसकी वेबसाइट पर डाल दिया जाए)	वार्षिक	–	संशोधित होने पर अद्यतन किया जाए (4 दिन में)	निवेश निवेश प्रबंधन शुल्क

*'वित्तीय विवरणियों' में तुलन–पत्र, राजस्व लेखा और नोट्स, अनुसूचियां और अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टें शामिल होती हैं।

**'वार्षिक रिपोर्ट' की सामग्री में वित्तीय विवरणियां और अनुसूची–8 में लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल होती हैं।

ग. पेंशन निधियों को परामर्श दिया जाता है कि उपर्युक्त सार्वजनिक प्रकटीकरण उनकी अपनी–अपनी वेबसाइटों में मुख्य पृष्ठ पर प्रमुख्य स्थान पर शीर्षक 'सार्वजनिक प्रकटीकरण' और उप–शीर्षक जैसे एनएबी, पोर्टफोलियो ब्योरा, वित्तीय ब्योरा, लागू नीतियां आदि के साथ प्रकाशित किया जाए।

प्रत्येक स्कीम के पोर्टफोलियो का स्क्रिप–वार ब्योरा

पेंशन निधि का नाम :

स्कीम का नाम :

पोर्टफोलियो विवरणी को (माह अंत)

लिखत का नाम	आईएसआईएन नं0	उद्योग	मात्रा	बाजार मूल्य	पोर्टफोलियो का प्रतिशत	रेटिंग
इक्विटी लिखत						
शेयर						
1.						
2.						
3.						
इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड						
इक्विटी ईटीएफ						
ऋण लिखत						
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां						
1.						
2.						
राज्य सरकारों के ऋण						
1.						
2.						
पीएसयू/पीएफआई बांडस्						
1.						
2.						
प्राइवेट कारपोरेट बांडस						
1.						
2.						

बैंक सावधि जमा (> 1 वर्ष)

1.

2.

उपहार म्युचुअल फंड

1.

2.

पूंजी बाजार के लिखत :–

राजकोष बिल :

1.

2.

जमाओं/वाणिज्यिक पत्रों के प्रमाण पत्र

1.

2.

लंबित आबंटन का आवेदन

1.

2.

बैंक सावधि जमा (< 1 वर्ष)

1.

2.

नकद/नकद समकक्ष एवं निवल चालू आस्तियां

1.

2.

कुल योग

पोर्टफोलियो की औसत परिपक्वता (वर्षों में)

संशोधित अवधि (वर्षों में)

परिपक्वता पर लाभ (प्रतिशत)

(वार्षिकी) (बाजार मूल्य पर)

क्रेडिट रेटिंग एक्सपोजर

केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां

राज्य सरकारों के ऋण

एएए/समकक्ष

ए1+ (वाणिज्यिक पत्रों के लिए)

एए+ /समकक्ष

एए/समकक्ष

एए -/समकक्ष

ए+ /समकक्ष

ए /समकक्ष

ए- /समकक्ष

बीबीबी+ /समकक्ष

बीबीबी/समकक्ष

बीबीबी- /समकक्ष

निम्न (निवेश ग्रेड से नीचे)

(उपर्युक्त निवल एनपीए में से)

कुल

बैंक सावधि जमा

इक्विटी

इक्विटी म्युचुअल फंड

पूंजी बाजार म्युचुअल फंड

नकद/नकद समतुल्य निवल चालू आस्तियां

लंबित आबंटन का आवेदन –

एनसीडी

अन्य

कुल योग

बकाया यूनिटें

एनएवी

1. समग्र पोर्टफोलियो को चाहे मात्रा कुछ भी हो, प्रत्येक उप–ग्रुप में बाजार मूल्य और किसी भी स्क्रिप के एनएवी का प्रतिशत उसके महत्व के घटते क्रम में दर्शाएं। यदि किसी प्रतिभूति के पोर्टफोलियो का प्रतिशत 0.01 प्रतिशत से कम हो, तो उसे 0.00 में दर्शाने के बजाय स्टार या किसी अन्य चिन्ह से दर्शाएं।

2. ऋण लिखतों के सामने स्टार/अन्य उपयुक्त चिन्ह लगाएं जिसे प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए वर्गीकृत किया गया हो।

4. निम्नलिखित सूचना पादटिप्पणियों में दी जा सकती है :

क. कुल एनपीए और एनएवी में उनका प्रतिशत

ख. चल इक्विटी शेयरों का कुल मूल्य और प्रतिशत

ग. अवधि के आरंभ और अंत में एनएवी

घ. अवधि के अंत में व्युतपन्न लिखतों में कुल बकाया निवेश

3. कुल **'आधारिक निवेश'** को पाद टिप्पणियों में दर्शाएं।

अनुसूची – 6

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि)

विनियमावली, 2015

(विनियम 12(ट), 21 देखें)

आचार संहिता

1. अभिदाता का संरक्षण

(क) निवेशक/प्राधिकरण/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएस न्यास)

पेंशन निधि अभिदाताओं के हितों के संरक्षण के लिये सभी प्रयास करेगी और प्राधिकरण/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को अभिदाताओं की जरूरतों के लिये उत्तम संभव सेवा उपलब्ध कराएगी और वातावरण को अच्छा बनाएगी एवं अपनी व्यावसायिक दक्षता से दर्शाएगी।

(ख) सेवा का उच्च स्तर

पेंशन निधि सुनिश्चित करेगी कि वह स्वयं और उसके प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, कर्मचारी, संविदाकार और एजेंट अपने कारोबार के संचालन में सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, निष्पक्षता, नैतिकता और व्यावसायिक निपुणता को दर्शाएंगे और सभी कारोबारी गतिविधियां शीघ्रता, प्रभावी ढंग और कुशलतापूर्वक की जाएंगी। पेंशन निधि अपने कर्मचारियों और एजेंटों के कारोबार संबंधित कार्यों तथा गलतियों के लिये उत्तरदायी होगी।

(ग) वांछित कर्मठता बरतना तथा टकराव नहीं

पेंशन निधि अपने नियुक्त कर्मचारियों पर सेवा के उच्च स्तर, वांछित दक्षता व निपुणता का हर समय प्रदर्शन करके उचित देखभाल सुनिश्चित करेगी और स्वतंत्र व्यावसायिक निर्णय लेगी तथा अन्य मध्यस्थों के साथ मिल कर कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जो अभिदाताओं के लिये हानिकर हो।

(घ) शुल्क

पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा किये निर्धारण अनुसार अपनी प्रदत्त सेवाओं के लिये प्रभार/शुल्क तय करेगी।

2. राशि संवितरण

पेंशन निधि प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या अभिदाताओं की ओर से स्कीम खातों में प्राप्त या संकलित लाभांश, ब्याज या अन्य कोई प्रोद्भूत आय को शीघ्रतापूर्वक जमा करेगी।

3. सूचना का प्रकटीकरण

(क) पेंशन निधि सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या अभिदाताओं को विस्तारपूर्वक और समय पर सूचित किया जाए ताकि वे संतुलित और सूचना अनुसार निर्णय ले सकें।

(ख) पेंशन निधि कोई गलत सूचना नहीं देगी और सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या अभिदाताओं को प्रेषित कोई सूचना भ्रामक न हो।

(ग) पेंशन निधि प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या अभिदाताओं को ना तो मौखिक या लिखित बयान, और न ही अपनी योग्यता या कुछ सेवाओं के लिये अपनी क्षमता या अन्य प्राधिकरणों, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यासों या अभिदाताओं को दी गई अपनी उपलब्धियों के बारे में कोई बढ़ाचढ़ा कर बयान देगी।

(घ) पेंशन निधि प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या अभिदाताओं के बारे में उसकी जानकारी में आई किसी भी गोपनीय सूचना को मौखिक या लिखित में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी को नहीं बताएगी, सिवाय जब किसी समय विशेष पर लागू नियम के अनुसार सूचना बताना अपेक्षित होगा, तो प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की पूर्व अनुमति लेगी।

4. हित टकराव

(क) पेंशन निधि हितों के टकराब से बचेगी और अपने हितों को पर्याप्त रूप में स्पष्ट करेगी। पेंशन निधि अपने हितों के किसी टकराब को निपटाने के लिये एक तंत्र की स्थापना करेगी जिसके अनुसार अपने कारोबार के संचालन के दौरान उठे किसी टकराव या जब कोई टकराव उत्पन्न हो ही जाता है, उसका निपटान किया जाएगा। पेंशन निधि प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या अभिदाताओं को अपनी ड्यूटी निर्वहन के दौरान कर्तव्यों और हितों के टकराव के संभावित स्रोतों के बारे में सूचित करेगी क्योंकि उनसे उसकी निष्पक्ष, उद्देश्यमूलक सेवाओं की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ख) पेंशन निधि या उसका कोई निदेशक, या कर्मचारी या सम्बद्ध पेंशन निधि न तो अपने खाते से या अपने–अपने खातों से या अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों या मित्रों के माध्यम से किसी अन्तः कारोबार में भागीदारी की जाएगी।

5. अनुपालन और कारपोरेट अभिशासन

5.1 पेंशन निधि सुनिश्चित करेगी कि अच्छी कारपोरेट नीतियां और कारपोरेट अभिशासन हो। वह देश में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में छलपूर्ण और हेराफेरी वाले लेन देन नहीं करेगी और किसी भी अनुचित प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगी (जिनमें अन्य मध्यस्थों, प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को उकसाने वाले अनुचित तरीके भी शामिल हैं) जिससे उन मध्यस्थों या अभिदाताओं के हितों को हानि होने की संभावना हो या उन मध्यस्थों को प्रतियोगिता में या कोई कार्यभार संभालने से नुकसान हो सकता हो।

5.2 पेंशन निधि यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त और आवश्यक कदम उठाएगी कि डाटा और अभिलेख रखने में निरन्तरता बनी रहे और डाटा या अभिलेख गुम या नष्ट न हो जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख और आंकड़े, अद्यतन बैक–अप उसके पास सदैव उपलब्ध हो।

5.3 पेंशन निधि प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मध्यस्थ के साथ, जब कभी अपेक्षित हो और प्राधिकरण को प्रस्तुत किन्हीं दस्तावेजों, रिपोर्टों, पेपरों या सूचना में किसी तथ्य को छुपाएंगी नहीं या झूठा बयान नहीं देगी या प्राधिकरण या अन्य एजेंसी को जिसके साथ यह पंजीकृत है, वे बहियें, दस्तावेज, पत्राचार तथा पेपर या उसका कुछ हिस्सा, जिसकी समय–समय पर मांग/अनुरोध किया गया हो, प्रस्तुत करने से इंकार नहीं करेगी या लापरवाही नहीं बरतेगी।

5.4 पेंशन निधि सुनिश्चित करेगी कि पंजीकरण की स्थिति में कोई बदलाव या प्राधिकरण द्वारा कोई दंडनीय कार्रवाई या वित्तीय स्थिति में कोई ठोस बदलाव जिससे अभिदाताओं के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को शीघ्र सूचित किया जाए या और कोई मामला लंबित चल रहा हो तो उसे प्राधिकरण और संबंधित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतरित कर दिया जाए।

5.5 पेंशन निधि ज्ञान और दक्षता का एक उपयुक्त स्तर बनाए रखेगी और किसी नियम, विनियम, केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एक्सचेंज बोर्ड, स्टॉक एक्सेंज या किसी अन्य सांविधिक या स्व–विनियामक या अन्य निकाय, जो भी मामला हो, और ऐसी पेंशन निधि द्वारा किये जा रहे कारोबार के संबंध में पेंशन निधि पर लागू हों, के परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करेगी। प्रतिभूतियों का अभिरक्षक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम 2015, के अंतर्गत लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय का अनुपालन करेगा।

5.6 पेंशन निधि सुनिश्चित करेगी कि किसी कानून, नियम, विनियम और प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक निकाय के निदेशों के उल्लंघन या अनुपालन नहीं करने के कारण उसके विरूद्ध की जारही किसी कार्रवाई, विधिक कार्यवाही के बारे में प्राधिकरण को शीघ्र सूचित किया जाए।

6. पेंशन निधि की बुनियादी अपेक्षाएं

क. पेंशन निधि की अपनी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय तथा परिचालनात्मक क्षमताएं होंगी जिनसे उसके परिचालनों, प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या अभिदाताओं या अन्य पंजीकृत निकायों को चोरी, धोखाधड़ी, और अन्य बेईमानी वाले कार्यों, व्यावसायिक कदाचार या गलतियों से संरक्षण प्राप्त होने की काफी संभावना हो।

ख. पेंशन निधि जो प्राधिकरण में किसी अन्य रूप या श्रेणी में भी पंजीकृत हो, सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि पेंशन निधि और अन्य अनुमत्य कार्यकलापों के रूप में किए जाने वाले कार्यों के बीच उसकी जनशक्ति और बुनियादी ढांचे से निकट सम्बन्ध बनाये रखे जाएं।

ग. पेंशन निधि अपनी सेवाओं को प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की संतुष्टि के अनुसार सम्पन्न करने के लिये पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं स्थापित करेगी और उनका रख रखाव करेगी और मध्यस्थों की परिचालन प्रक्रियाओं और प्रणालियों का प्रलेखन होगा एवं उनके लिये परिचालन संबंधी मैनुअल होंगे।

घ. पेंशन निधि अपनी सभी गतिविधियों से संबंधित सभी दस्तावेजों और आंकड़ों का अभिलेख इस प्रकार तैयार करेगी जिससे किसी कारणवश मूल अभिलेख या दस्तावेज गुम होने की दशा में उन दस्तावेजों या आंकड़ों को आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।

ड़. (क) पेंशन निधि या उसका कोई कर्मचारी, किसी प्रतिभूति में निवेश के लिए सार्वजनिक रूप से सुगम मीडिया में, चाहे रियल–टाइम हो या नॉन–रियल–टाइम, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रचार नहीं करेगा, जब तक कि उसके हित तथा प्रतिभूति में दीर्घ या अल्पकालिक पोजीशन को सूचना देते समय बताया नहीं गया हो।

(ख) यदि पेंशन निधि का कोई कर्मचारी ऐसी सूचना दे रहा हो तो वह सूचना देते समय कथित प्रतिभूति में अपने आश्रित परिवार सदस्यों व नियोक्ता के हितों, अपनी दीर्घ या अल्प कालिक स्थिति, को भी बताएगा।

अनुसूची – 7

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि)

विनियमावली, 2015

[विनियम 15,16.17,18, और 19देखें]

वित्तीय विवरणियां और लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट

1. वार्षिक रिपोर्ट

प्रत्येक पेंशन निधि एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें उसके प्रबंधाधीन सभी स्कीमों की वित्तीय विवरणियां शामिल होंगी।

वार्षिक रिपोर्ट में शामिल होगा –

1. वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक स्कीम के परिचालनों की रिपोर्ट और आर्थिक स्थिति
2. इन विनियमों की अनुसूची के अनुच्छेद 2 व 3 के अनुसार लेखांकन नीतियां, तुलन–पत्र और राजस्व लेखा
3. इस अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
4. निम्नलिखित पक्षों पर संक्षिप्त विवरणियां, नामतः –

क. पेंशन निधि की देयताएं और उत्तरदायित्व

ख. प्रत्येक स्कीम के निवेश उद्देश्य

ग. स्कीम में निवेशों का आधार और नीति

घ. यदि स्कीम शेयरों, बांडों, डिबेंचरों और अन्य स्क्रिपों या प्रतिभूतियों में अंशतः या पूर्ण निवेश की अनुमति देती है जिनके मूल्य घटते–बढ़ते रहते हैं, निम्नलिखित प्रकार से एक उल्लेख किया जाए –

''यूनिटों का मूल्य और मोचन मूल्य और उनसे प्राप्त आय बढ़ या घट सकती है जो किए गए निवेशों के बाजार मूल्य की घट–बढ़ पर निर्भर करेगा।''

ड़. स्कीम की निष्पादकता पर अन्य बेंचमार्क आय से संभावित तुलना करते हुए पूर्ण औचित्य के साथ टिप्पणी दी जाए यदि कोई हो , जैसा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

च. इस अनुसूची के अनुच्छेद 5 के अनुसार स्कीमों के 'मुख्य आंकड़ों' के साथ विवरणी

छ. इस अनुसूची के अनुच्छेद 6 के अनुसार तुलन–पत्र का संक्षिप्त रूप

ज. इस अनुसूची के अनुच्छेद 7 के अनुसार राजस्व लेखा का संक्षिप्त रूप

झ. इस अनुसूची के अनुच्छेद 8 के अनुसार लेखा टिप्पणियां

2. तुलन–पत्र की सामग्री

1. तुलन–पत्र में उसकी परिसम्पतियों और देयताओं के स्कीम अनुसार ब्योरे दिए जाएंगे। इसमें लेखा नीतियों, निवेशों के मूल्यांकन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों का भी उल्लेख किया जाएगा।
2. तुलन–पत्र में प्रत्येक प्रकार के निवेश के तहत अनुपयोज्य निवेशों के अंकित मूल्य और बाजार मूल्य का कुल योग दर्शाया जाएगा।
3. तुलन–पत्र लेखा वर्ष के अंत में प्रति यूनिट का निवल आस्ति मूल्य दर्शाएगा।
4. तुलन–पत्र प्रत्येक मद के सामने, पिछले वित्त वर्ष के अंत में उनके आंकड़े दर्शाएगा।
5. तुलन–पत्र की टिप्पणियों में निवेशों के बारे में निम्नलिखित सूचना दर्शाएगा –

क. तुलन–पत्र में दिये मुख्य वर्गीकरण के तहत सभी निवेशों को समूहबद्ध किया जाएगा,

ख. प्रत्येक मुख्य वर्गीकरण के तहत, प्रत्येक मुख्य उद्योग ग्रुप के तहत आने वाले निवेशों के कुल मूल्य को (जो मुख्य वर्गीकरण में कुल निवेश का 5 प्रतिशत से कम न हो) दर्शाया जाएगा साथ ही वर्गीकरण में कुल निवेश की तुलना में उनका प्रतिशत भी दिया जाएगा,

ग. निवेशों की विवरणी जिसमें उन कंपनियों के नाम दिए जाएंगे जिनमें निवेश किया गया है तथा प्रत्येक कंपनी में प्रत्येक स्कीम में निवेश की राशि और सभी स्कीमों द्वारा पेंशन निधि के एसोशियटों व ग्रुप कंपनियों में किए गए सकल निवेश को दर्शाया जाएगा, यदि कोई हो।,

घ. यदि सेवाओं के लिये दलाली, अभिरक्षा शुल्क या कोई अन्य प्रभारों का भुगतान किसी निकाय को किया गया या भुगतान करना है जिसमें पेंशन निधि या उसके प्रमुख शेयर धारकों का भारी हित है (इक्विटी पूंजी का 10 प्रतिशत से कम न हो), उन सेवाओं के लिए राजस्व खाते या निवेश की लागत के रूप में नामे की राशि को अलग से पेंशन निधि के ब्याज उसके अधिकांश शेयरधारकों के हित के साथ दर्शाया जाएगा,

ड. वह आधार जिसके अनुसार पेंशन निधि को शुल्क का भुगतान किया गया और उसकी गणना,

च. वर्ष के दौरान निवेशों की खरीदों और बिक्रियों का सकल मूल्य और औसत दैनिक निवल आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाएगा,

छ. जहां निष्क्रिय निवेश जिसे "सद्भाव" में मूल्यांकित किया गया, वर्ष के अंत में प्रबंधाधीन आस्तियों के 5 प्रतिशत से अधिक हो जाये, ऐसे निवेशों का सकल मूल्य,

ज. यूनिट पूंजी में हलचल को दर्शाया जाएगा,

झ. स्कीम के कुल मूल्य में निवेशों से अप्राप्त मूल्य ह्रास या अधिमूल्यन शामिल होगा,

6. संदिग्ध जमाओं, संदिग्ध ऋणों और संदिग्ध बकायों के लिये प्रावधान और प्रोदभूत आय को तुलन पत्र की देयता पक्ष में प्रावधानों के तहत शामिल नहीं किया जाएगा, किंतु उसके संगत आस्तियों के सकल मूल्य से कटौती के रूप में दर्शाया जाएगा,

7.. सभी आकस्मिक देयताओं को दर्शाया जाएगा जिनमें अंशतः चुकता शेयरों पर अनपेक्षित देयता और ब्योरे सहित अन्य प्रतिबद्धताओं को अलग से दर्शाया जाएगा,

8. लेखांकन नीतियां अनुसूची के अनुच्छेद 9 के अनुसार होंगी।

तुलन–पत्र के मुख्य शीर्षक

तुलन–पत्र का परिसम्पति पक्ष

1. तुलन–पत्र की परिसम्पतियों को निम्नलिखित श्रेणियों में समूहबद्ध किया जाएगा –

– निवेश (दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन)

– जमा

– अन्य चालू परिसम्पतियां

2. निवेश (दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन)

निम्नलिखित प्रकार के निवेशों को अलग से दर्शाया जाएगा (केवल वे शीर्षक जिनके अन्तर्गत निवेश करने की अनुमति दी गई है);

क. इक्विटी शेयर

ख. अधिमान्य शेयर

ग. डिबेंचर और बांड जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं/प्रतीक्षा में हैं,

घ. केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (राजकोष बिलों सहित)

ड. वाणिज्यिक पत्र

च. अन्य – म्यूचुअल फंड आदि

3. जमा राशियां

मुख्य रूप से :

– अनुसूचित बैंकों में जमा राशियां

– अन्य

4. अन्य मौजूदा परिसम्पतियां

मुख्य रूप से :

– बैंकों में चालू/बचत खातों में जमा शेष

– दस्ती रोकड़

– विविध देनदार

– निवेशों की बिक्री के लिये निविदाएं

– बकाया और प्रोदभूत आय

– अग्रिम, जमा राशियां आदि

– शेयर/डिबेंचर/अन्य आवेदन राशि जिसका आबंटन लंबित है (प्रतिभूति के नाम के साथ उसका समय–वार उल्लेख किया जाए)

– अन्य

तुलन–पत्र का देयता पक्ष

1. तुलन–पत्र के देयता पक्ष को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाएगा –

 क. यूनिट पूंजी

 ख. आरक्षित और अधिशेष

 ग. चालू देयताएं और प्रावधान

2. यूनिट पूंजी :

 मुख्य रूप से :

– प्रारम्भिक पूंजी

– यूनिट पूंजी (यूनिटों की संख्या और प्रति यूनिट के अंकित मूल्य सहित)

3. आरक्षित एवं अधिशेष :

 मुख्य रूप से :

– यूनिट प्रीमियम रिजर्व (वैकल्पिक)

– सामान्य रिजर्व

– कोई अन्य रिजर्व (उसकी प्रकृति दर्शाते हुए)

– विनियोजन खाता

– अथशेष, रिजर्व से/को अंतरण, अंत शेष उपर्युक्त प्रत्येक प्रकार के रिजर्व को अलग–अलग दर्शाया जाएगा।

4. ऋण

5. वर्तमान देयताएं और प्रावधान :

 निम्नलिखित वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में मुख्य रूप से

 वर्तमान देयताएं :

– विविध लेनदार

– निवेशों की खरीद के लिये संविदाएं

– अदावित संवितरित आय

 प्रावधान (प्रकृति दर्शाएं)

6. आकस्मिक देयताएं

 सभी आकस्मिक देयताओं को अलग–अलग दर्शाना चाहिए –

 क. अंशतः चुकता शेयरों पर अनाहूत देयताएं

 ख. अन्य प्रतिबद्धताएं, और

 ग. अन्य (ब्योरा दर्शाएं)

3. **राजस्व लेखा की सामग्री :**

1. राजस्व लेखा में पेंशन निधि की आय, व्यय और अधिशेष का योंजना–वार ब्योरा दिया जाएगा।

2. यदि निवेशों की बिक्री पर लाभ को दर्शाए राजस्व खाते में, समान पेंशन निधि में निवेशों के अंतः–स्कीम अंतरण पर लाभ/हानि को शामिल किया गया है और उस लाभ के सकल योग में वसूल लाभ माना गया है, तो उसे तृतीय पक्षों को निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि के साथ शामिल नहीं करके अलग दर्शाया जाएगा,

3. राजस्व खाता में अधिशेष के विनियोजन को रिजर्व में अंतरण के रूप में दर्शाएगा,

4. राजस्व खाता में निम्नलिखित का भी उल्लेख किया जाएगा –

क– संदिग्ध जमाओं, ऋणों और बकाया एवं प्रोदभूत आय के सकल मूल्य के लिये प्रावधान,

ख– निवेशों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ या हानि को निवल आधार पर दर्शाया जाए,

ग– अभिरक्षक, न्यासी बैंक और केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिरकण के प्रभार

घ– कुल आय और व्यय जिसे औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, जिसकी गणना दैनिक आधार पर की गई है।

राजस्व खाता के मुख्य शीर्षक

आय

– लाभांश

– ब्याज

– निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ (अन्तः स्कीम अतरण/बिक्री के अतिरिक्त)

– निवेशों की अन्तः स्कीम अतरण/बिक्री पर लाभ

– निवेशों में विनियोजन पर अप्राप्त लाभ

– अन्य आय (प्रकृति दर्शाएं)

व्यय और हानियां

– निवेशों के मूल्य में अप्राप्त हानियां,

– संदिग्ध समझी बकाया प्रोदभूत आय के लिये प्रावधान,

– संदग्ध जमाओं और चालू आस्तियों के लिये प्रावधान,

– निवेशों की बिक्री/मोचन पर हानि (अन्तः स्कीम अंतरण/बिक्री के अतिरिक्त)

– निवेशों के अन्तः स्कीम अतरण/बिक्री पर हानि

– प्रबंधन शुल्क,

– न्यासी/विनियामक शुल्क,

– प्रचार व्यय,

– लेखा परीक्षा शुल्क,

– अभिरक्षा शुल्क,

– न्यासी बैंक शुल्क,

– केन्द्रीय अभिलेखधारक एजेंसी शुल्क

घटाएं – केन्द्रीय अभिलेखधारक एजेंसी शुल्कों के कारण यूनिटों बिक्री से प्राप्त राशि

टिप्पणी :

1. राजस्व से प्राप्त राशि और निवेशों से आय (लाभांश और ब्याज सहित) के लिये लेखांकन नीति टिप्पणी के रूप में दर्शायी जाएगी।

2. औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में दर्शित कुल आय और व्यय की गणना दैनिक आधार पर दर्शानी चाहिए।

4. योजना लेखा परीक्षक रिपोर्ट

(i) लेखा परीक्षक उल्लेख करेंगे कि क्या –

1. उसे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मिल गए हैं जो उसके पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार उसे लेखा परीक्षा के लिए अपेक्षित हैं,

2. तुलन पत्र और राजस्व लेखा स्कीम के खाता बहियों के अनुरूप हैं,

3. क्या प्रत्येक स्कीम की लेखा बहियों का उचित रख रखाव किया गया है,

4. संविदागत सहमत्य/प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीमाओं से अधिक सभी कारोबारी व्ययों को पेंशन निधि द्वारा वहन किया गया है और उन्हें निवल आस्ति मूल्य से प्रभारित नहीं किया गयाा है,

5. इस रिपोर्ट में शामिल स्कीम का तुलन पत्र और राजस्व लेखा इन विनियमों तथा कंपनी अधिनियम के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार उस सीमा तक हैं जहां तक विनियम लागू होते हैं,

(ii) लेखा परीक्षक अपनी राय देगा कि क्या –

1. वित्त वर्ष के अंत में तुलन पत्र निधि के कार्यकलापों की स्कीमवार सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है,

2. वित्त वर्ष के लिए राजस्व लेखा निधि के स्कीमवार अधिशेष/घाटे की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है।

(iii) लेखा परीक्षक यह भी सत्यापित करेगा कि –

1. निवेशों का मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है,

2. विभिन्न निकायों द्वारा किये कारोबार और दावे/शुल्क निर्धारित शुल्क के अनुसार किये गये हैं।

iii. लेखा परीक्षक उस वित्त वर्ष की स्कीम लेखा परीक्षा रिपोर्ट/स्कीम लेखाओं के साथ एक अलग रिपोर्ट जिसे ''एनपीएस स्कीम – विस्तृत लेखा परीक्षा रिपोर्ट'' कहा जाता है (जिसे एनपीएस–डीएआर संदर्भित किया जाए) भी प्रस्तुत करेगा। इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति पेंशन के बोर्ड को दी जाए। रिपोर्ट की विषय–वस्तु प्राधिकरण/एनपीएस न्यास द्वारा निर्धारित प्ररूप पर आधारित होगी। पेंशन निधि के निदेशक बोर्ड विस्तृत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्ति से दो माह के अंदर एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। एनपीएस–डीएआर सभी एनपीएस स्कीमों की एक संयुक्त रिपोर्ट होगी। लेखा परीक्षक निम्नलिखित प्ररूप में प्रमाण पत्र देगा :

सेवा में,

न्यासी बोर्ड

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

प्रथम तल, आईसीएडीआर भवन

6, वसंतकुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज–।।

नई दिल्ली– 110 070

हमने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (पेंशन निधि) की निम्नलिखित स्कीमों की अवधि/वर्ष की एनपीएस न्यास द्वारा हमें उपलब्ध कराई जांच सूची के अनुसार विस्तृत लेखा परीक्षा सम्पन्न की और एतद् द्वारा एनपीएस–डीएआर आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हैं।

स्कीम	वर्ष/अवधि
स्कीम का नाम	1 अप्रैल से 31 मार्च
स्कीम का नाम	1 अप्रैल से 31 मार्च
स्कीम का नाम	1 अप्रैल से 31 मार्च
स्कीम का नाम	1 अप्रैल से 31 मार्च
स्कीम का नाम	1 अप्रैल से 31 मार्च
स्कीम का नाम	1 अप्रैल से 31 मार्च
स्कीम का नाम	1 अप्रैल से 31 मार्च

हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :

1. हमें हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मिले जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

2. हमारी राय में प्रत्येक स्कीम की लेखा बहियों का उचित रख रखाव किया गया है।

3. हमारी कार्रवाई में संस्तुत एनपीएस–डीएआर जांच सूची में शामिल क्षेत्रों का शामिल किया गया। (संदर्भगत यथा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है)।

4. इसके अतिरिक्त, लेखा तैयार करने के लिये लागू लेखा सिद्धान्तों, विनियमों और दिशानिर्देशों में पाये सभी विचलनों को संलग्न रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

पेंशन निधि द्वारा तैयार अभिलेख की परीक्षण जांच के आधार पर, हम निम्नानुसार सत्यापित करते हैं –

1. पेंशन निधि द्वारा अनुसरण की जा रही पद्धति, प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय पर्याप्त हैं,

2. इन विनियमों के पंजीकरण संबंधी नियम व शर्तों व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के साथ हस्ताक्षरित, निवेश प्रबंधन करार शर्तों का अनुपालन पेंशन निधि द्वारा किया जा रहा है,

3. प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी निदेशों और अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

4. पेंशन निधि के कार्यकलापों का संचालन इस प्रकार किया जा रहा है जो अभिदाताओं के हित में है।

5. प्राधिकरण द्वारा संविदागत सहमत्य/अनुमोदित सीमा से अधिक हुए कारोबारी व्ययों को पेंशन निधि द्वारा वहन किया गया है और उन्हें एनएवी से प्रभारित नहीं गया है।

भवदीय,

कृते

..... (फर्म का नाम)

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नम्बर

..... (हिस्सेदार का नाम)

हिस्सेदार

सदस्यता सं. ..

स्थान :

दिनांक :

5. मुख्य सांख्यिकी

पेंशन निधि का नाम :

..... समाप्त अवधि/वर्ष के मुख्य आंकड़े

	स्कीम क		**स्कीम ख**	
	वर्ष चालू वर्ष	वर्ष पिछला वर्ष	वर्ष चालू वर्ष	वर्ष पिछला वर्ष
1. एनएवी प्रति यूनिट (रुपए)				
खुली				
उच्च				
निम्न				
अंत				
2. प्रबंधाधीन अतिम आस्तियां (लाख रुपए)				

अंत

औसत (एएयूएम)

3. सकल आय एएयूएम के प्रतिशत में

4. व्यय अनुपात :

क. कुल व्यय एएयूएम के प्रतिशत में (स्कीम–वार)

ख. प्रबंधन शुल्क एएयूएम के प्रतिशत में (स्कीम–वार)

5. एएयूएम के प्रतिशत के रूप में निवल आय

6. पोर्टफोलियो में कुल कारोबार का अनुपात

7. वर्ष/अवधि के दौरान प्रति यूनिट आधार पर वितरित लाभांश (स्कीमवार)

8प्रतिलाभ : **(प्रतिशत)**

क. पिछला एक वर्ष

बेंचमार्क

ख. स्थापना के समय से

बेंचमार्क

ग. योगिक वार्षिकी लाभ (प्रतिशत)

पिछला 1 वर्ष

पिछला 3 वर्ष

पिछला 5 वर्ष

स्कीम शुरू होने के समय से (शुरू करने की तारीख दें)

1. सकल आय = राजस्व खाते में अर्थात आय, (क) में दर्शाई राशि

2. निवल आय = राजस्व खाते में अर्थात वर्ष/अवधि में निवल प्राप्त लाभ/(हानि), (ग) में दर्शाई राशि,

3. पोर्टफोलियो में कुल कारोबार = वर्ष/अवधि के लिए औसत एयूएम से विभाजित करके बिक्री या क्रय से कम

4. एएयूएम = औसत दैनिक निवल परिसम्पतियां

5. ''संयुक्त वार्षिक लाभ'' की गणना निम्नलिखित फार्मूला के आधार पर की जाए : = (1 + संचयी आय) –1 (जबकि एन = 365/दिनों की संख्या)

6. एनएवी = (स्कीम द्वारा धारित निवेश का बाजार मूल्य + वर्तमान परिसम्पतियों का मूल्य–चालू देयताओं का मूल्य और प्रावधान, यदि कोई हो)/(मूल्यांकन दिनांक को यूनिटों की संख्या (यूनिटों के सृजन/मोचन से पूर्व)

संक्षिप्त तुलन–पत्र का फार्मेट

पेंशन निधि का नाम

संक्षिप्त तुलन–पत्र दिनांक

	स्कीम क		**स्कीम ख**	
	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
देयताएं				
1. यूनिट पूंजी				
2. आरक्षित और अधिशेष				
2.1 यूनिट प्रीमियम रिजर्व				
2.2 अप्राप्त मूल्यवृद्धि रिजर्व				
2.3 अन्य				
4. चालू देयताएं और प्रावधान				
4.1 संदिग्ध आय/जमाओं के लिए प्रावधान				
4.2 अन्य चालू देयताएं और प्रावधान				
कुल				
<u>परिसम्पतियां</u>				
1. निवेश				
इक्विटी				
डिबेंचर				
बांडस				
सीजी/एसडीएल				
पूंजी बाजार				
अन्य				
कुल निवेश				
3. अन्य चालू परिसम्पतियां				
3.1 नकद और बैंक शेष				
3.3 अन्य				
कुल				

संक्षिप्त राजस्व लेखा का फार्मेट

पेंशन निधि का नाम

संक्षिप्त राजस्व लेखा

..... को समाप्त वर्ष/अवधि

	स्कीम क		**स्कीम ख**	
	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. आय				
1.1 लाभांश				
1.2 ब्याज				

1.3 अन्तः स्कीम अंतरण से प्राप्त लाभ

1.4 निवेशों की बिक्री/मोचन से प्राप्त लाभ

1.5 अन्य आय

(क)

2. व्यय

2.1 अन्तः स्कीम अंतरण से हुई हानि

2.2 निवेशों की बिक्री/मोचन से हुई हानि

2.3 निवेश प्रबंधन शुल्क

2.4 अभिरक्षा शुल्क

2.5 बैंक प्रभार

2.6 अन्य परिचालन व्यय

(ख)

3. वर्ष /अवधि में निवल प्राप्त लाभ/(हानि)(क – ख =ग)

4. निवेश मूल्य में अप्राप्त हानि/लाभ में निवल परिवर्तन

7. वर्ष/अवधि में निवल अधिशेष/(हानि)

लेखाओं में टिप्पणियां यथा निम्नलिखित

मार्गदर्शक टिप्पणी

1. महत्वपूर्ण मदों की प्रकृति एवं उनकी राशि दर्शाते हुए लेखा टिप्पणियां दें।

2. अप्राप्त हानि/लाभ की गणना प्रत्येक आस्ति की श्रेणी के आधार पर की जाए और समेकित रूप में दर्शाएं। इसे उस वर्ष/अवधि में अप्राप्त हानि/लाभ में लेखा में बदलाव के साथ शामिल करना चाहिए और उसे पिछले वर्ष के अंत में अप्राप्त हानि/लाभ में दर्शाएं।

लेखा टिप्पणियां – संक्षिप्त तुलन–पत्र और राजस्व लेखा का संलग्नक

स्कीम का नाम :

लेखा टिप्पणियां – को समाप्त वर्ष/अवधि का संक्षिप्त तुलन–पत्र और राजस्व लेखा का संलग्नक

क्रम सं. ब्योरा

1 निवेश :

1.1 पुष्टि टिप्पणी की स्कीमों में निवेश एनपीएस न्यास के नाम से हैं।

1.2 व्युत्पन्नों की खुली स्थिति (वर्ष के अंत में बकाया बाजार मूल्य और निवल परिसम्पतियों का प्रतिशत)

1.3 एसोशियट्स और ग्रुप कंपनियों में निवेश : निर्गमकर्ता का ब्योरा, लिखत की प्रकृति, राशि, सभी स्कीमों द्वारा सकल निवेश का ब्योरा दें।

1.4 स्कीम द्वारा उधार ली गई और/या उधार दी गई प्रतिभूतियों की खुली स्थिति।

1.5 एनपीए का ब्योरा : सकल बाजार मूल्य और उसके प्रावधान

1.6 वित्त वर्ष के अंत में सकल अप्राप्त लाभ/हानि और निवल आस्तियों से प्रतिशत।

1.7 सकल आस्तियों के प्रतिशत में क्रय और विक्रय का सकल मूल्य।

1.8 पोर्टफोलियो में कारोबार नहीं हुई प्रतिभूतियां : इक्विटी का सकल मूल्य, ऋण और पूंजी बाजार लिखतें तथा निवल आस्तियों से प्रतिशत।

2. एसोशियट्स और ग्रुप कंपनियों के साथ किये कारोबार का ब्योरा। एसोशियट का नाम, भुगतान की प्रकृति और राशि का ब्योरा दें।

3. समाप्त वर्ष/अवधि के दौरान यूनिट पूंजी का संचलन। यूनिटों में संचलन का स्कीमवार ब्योरा – खुला, अभिदान, मोचन, बंद। स्कीमवार यूनिटों का अंकित मूल्य दें।

4. पिछले वर्ष से तुलना – एक उपयुक्त विवरणी कि पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है जब कभी वर्तमान के अनुरूप करना अपेक्षित हुआ।

5. आकस्मिक देयता, प्रकृति और राशि का ब्योरा दें।

मार्गदर्शक टिप्पणी: उपर्युक्त सभी प्रकटीकरणों के तदनुसार पिछले वर्ष/अवधि के आंकड़ें दें।

9. लेखा नीतियां

पेंशन निधि द्वारा स्कीमों से संबंधित लेखांकन नीतियों की वित्तीय विवरणियां तैयार करते समय और निवल आस्तियों के मूल्य की गणना के समय अनुपालन किया जाए:

1. पेंशन निधि को स्कीमवार लेखा बहियां प्रोद्भूत आधार पर तैयार करनी चाहिए। निवेश का उल्लेख प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी मूल्याकंन दिशानिर्देशों के अनुसार, तुलन–पत्र की तारीख या आस्ति मूल्य या निवल आस्ति मूल्य की गणना की तारीख को करना चाहिए।

2. निवेशों को अभिरक्षक अभिलेख और यूनिटों को केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिरकण के दैनिक आधार के अभिलेख से मिलान करना चाहिए।

3. मूल्यांकन की तारीख को प्रोद्भूत आय, और सभी अनुमत्य व्यय जिसे आस्ति मूल्य/एनएवी की गणना, बड़े व्यय जैसे प्रबंधन शुल्क और अन्य अनुमत्य आवधिक व्यय जैसे अभिरक्षा प्रभार आदि, दैनिक आधार पर प्रोद्भूत होने चाहिए। प्रोद्भूत गणना के लिये विचाराधीन अवधि वित्त वर्ष होगी।

4. स्कीम द्वारा अर्जित लाभांश आय को लाभांश घोषित होने की तारीख से नहीं मानना चाहिए किंतु उस तारीख से जब शेयर पूर्व–लाभांश आधार पर कोट हुआ था, मानना चाहिए।

5. ब्याज अर्जित होने वाली सभी लिखतों के बारे में, आय दैनिक आधार पर प्रोद्भूत होनी चाहिए। अतः, जब ऐसे निवेश क्रय किये जाते हैं, पिछले ब्याज की देय तारीख से क्रय करने की तारीख तक अवधि का चुकता ब्याज को क्रय लागत के रूप में नहीं मानना चाहिए बल्कि ब्याज वसूल खाते से नामे करना चाहिए। इसी प्रकार, बिक्री के समय, पिछले ब्याज की नियत तारीख से बिक्री की तारीख तक अवधि के प्राप्त ब्याज को बिक्री मूल्य से अतिरिक्त नहीं मानना चाहिए बल्कि ब्याज वसूली लेखा में जमा करना चाहिए।

6. निवेशों की धारक लागत और निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए, ''भारित औसत लागत'' विधि का पालन करना चाहिए।

7. निवेशों के क्रय या बिक्री के लेन देन को ट्रेड दिनांक मानना चाहिए, ना कि उसे निर्धारण दिनांक माना जाए, अतः वित्त वर्ष के दौरान किये गये सभी निवेशों के लेन देनों के प्रभाव को उस वर्ष की वित्तीय विवरणियों में दर्शाएं। जब निवेश संबंधी कारोबार स्टॉक बाजार से बाहर किया जाए, जैसे किसी नियोजन के माध्यम से खरीद करके या प्राइवेट संधि के माध्यम से ब्रिकी व खरीद, तो उस लेन देन को क्रय के मामले में उस तारीख में दर्ज किया जाए जब स्कीम को मूल्य चुकता करने का दायित्व सौंपा गया हो या, बिक्री की दशा में जब स्कीम को बिक्री से प्राप्त राशि वसूल करने का अधिकार मिला हो या बिका हुआ लिखत सौंपने का दायित्व दिया गया हो।

8. बोनस शेयरों को जिसके लिये स्कीम हकदार बनती है, तभी मान्यता दी जाए जब मूल शेयर जिन पर बोनस की हकदारिता बनती है, का लेन देन स्टॉक एक्सचेंज में पूर्व बोनस आधार पर किया जाए। इसी प्रकार, अधिकार हकदारी को तभी मान्यता दी जाए जब मूल शेयर जिन पर अधिकार हकदारी बनती है, जब स्टॉक एक्सचेंज में पूर्व–अधिकार आधार पर उनका लेन देन हो।

9. प्राप्त हुए या खरीदे निवेशों की लागत में लागू कर और स्टाम्प प्रभार शामिल होंगे किंतु दलाली, दलाली पर लागू कर और अन्य कारोबारी प्रभार शामिल नहीं होंगे। निजी तौर पर किये गये ऋण लिखतों के बारे में आरंभ में दी गई किसी छूट कों निवेश की लागत में से घटा देना चाहिए।

10. सभी करों को जो लगाये जाने हैं और वास्तव में चुकता कर दिये गये हैं, निधि के एनएवी को प्रभारित किये जाएंगे और उन्हें अभिदाता वहन करेगा। इस खाते पर किसी भी प्रकार की अनुवर्ती वापसी, यदि कोई हो, उसे आय के रूप में स्कीम/निधि में जोड़ा जाना चाहिए।

11. निवेश प्रबंधन शुल्क में लेन देन से संबंधित प्रभार जैसे दलाली, कारोबारी लागत आदि शामिल होंगे, सिवाय अभिरक्षा शुल्क और अनुमत्य कर के निवेश प्रबंधन शुल्क की गणना पेंशन निधि द्वारा दैनिक आस्ति प्रबंधन आधार पर की जाती है। प्राधिकरण को चुकता किये जाने वाले शुल्कों को स्कीम से प्रभारित नहीं किया जाएगा।

12. अनुपयोज्य आस्तियों के बारे में, अभिज्ञान, वर्गीकरण और प्रावधान प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार करना चाहिए।

अनुसूची – 8

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि)

विनियमावली, 2015

[विनियम 10(1)(ग) देखें]

बैंकिंग या केन्द्रीय अभिलेखपालन समझौते

कारोबार शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले, पेंशन निधि न्यासी बैंक और केन्द्रीय अभिलेखधारक एजेंसी के साथ नीचे दिये ब्योरे के अनुसार बैंकिंग समझौते करेगी:

1. पेंशन निधि केन्द्रीय अभिलेखधारक एजेंसी और न्यासी बैंक को इलैक्ट्रॉनिक परस्पर अंत संबंध व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। पेंशन निधि को भावी बदलावों और प्रौद्योगिकी में विकास के कारण प्रणाली निर्देशों, एवं अभिदाताओं की संख्या, स्कीमों की संख्या में बदलाव को अपनाने और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवाओं तथा कार्यात्मक दायित्वों को संभालने में समर्थ होना होगा।

2. उपर्युक्त किये वर्णन के अनुसार निवेश हेतु निधियों में विगत, वर्तमान व भावी निवेश और आवधिक आय, मोचन और बिक्री से वस्तुतः प्राप्त राशि और जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, न्यासी बैंक जिसके यहां पेंशन निधि का निवेश खाता है और जिसे ऊपर दिये अनुसार विशेष रूप से निवेश के लिए निर्धारित किया गया है, की निर्दिष्ट शाखा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के खाते में अंतरित किया गया है, शामिल होंगे।

3. निर्दिष्ट शाखा और न्यासी बैंक का विवरण प्राधिकरण द्वारा की गई व्यवस्था और अनुमोदन तथा समय–समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

4. जहां और जैसे लागू हो, केन्द्रीय अभिलेखधारक एजेंसी नेटेड निधि न्यासी बैंक की निर्दिष्ट शाखा में अंतरित कर देगी।

5. इस करार के तहत स्वीकृत निधियां एक अलग निवेश खाते में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम निर्दिष्ट शाखा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को नोटिस देकर जमा की जाएंगी। सभी प्राप्तियां, भुगतान, आय, व्यय, बिक्री से प्राप्त राशि, क्रय, निवेशों की लेन देन की लागत इस खाते में जमा या नामे, जो भी मामला हो, की जाएगी।

6. संदेहों को दूर करने के लिए, न्यासी बैंक में जहां से निवेश किये जाने हैं और निवेश के संबंध में किये जाने वाले व्यय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पेंशन निधि द्वारा किये जाने हैं, का रख रखाव पेंशन निधि द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास न्यासी बैंक के साथ हुए करार के अनुसार लेखा का रख रखाव करेगा।

7. पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से निधियां प्राप्त करने के लिये जिसका खाता न्यासी बैंक में है, न्यासी बैंक के यहां स्कीमवार खाता रखेगी और केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के उसी खाते में विप्रेषित करेगी।

8. जहां और जैसे लागू हो, पेंशन निधि आहरण राशि को अभिदाता के बैंक खाते में या प्राधिकरण/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय–समय पर निर्धारित किसी अन्य प्रकार से अंतरित करेगी।

अनुसूची – 9

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि)

विनियम , 2015

[विनियम 10(1)(ग) देखें]

अभिरक्षा संबंधी करार

कारोबार आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व, पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से पूर्व अनुमोदन लेकर निधि की स्कीमों की अभिरक्षा सेवाओं के लिये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिरक्षक के साथ एक अभिरक्षा करार निष्पादित करेगी जैसेकि नीचे उल्लेख किया गया है।

1. पेंशन निधि द्वारा प्रतिभूतियां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम की ओर से खरीदी जाएंगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास इन प्रतिभूतियों और निधियों का पंजीकृत स्वामी होगा। हालांकि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के व्यैक्तिक अभिदाता इन परिसम्पतियों और निधियों के लाभार्थी बने रहेंगे।

2. पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिरक्षक से विस्तृत सूचना और रिपोर्टें प्राप्त करेगी। तद्नुसार, पेंशन निधि अभिरक्षक को इलैक्ट्रॉनिक इंटरकनैक्टीविटी उपलब्ध कराएगी।

3. पेंशन निधि प्रतिभूतियों के खाते को स्कीमवार पृथक करना सुनिश्चित करेगी।

4. पेंशन निधि, निधि की किसी भी परिसम्पति या सम्पति को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की अनुमति के बिना दृष्टिबंधक, गिरवी और उधार नहीं रखेगी।

5. पेंशन निधि प्रतिभूतियों से संबंधित कारोबार केवल डिमैट रूप में करेगी। पेंशन निधि फिजीकल रूप में खरीदी प्रतिभूतियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम स्कीम के खाते में अंतरित कराएगी, सिवाय प्राधिकृत निवेशों के जो केवल फिजीकल रूप में ही उपलब्ध हैं।

6. पेंशन निधि स्कीम के अभिरक्षक से, समय–समय पर, ऐसी वित्तीय रिपोर्टें, प्राक्सी विवरणियां और स्कीम से संबंधित कारोबार तथा मामलों के बारे में प्राप्त करेगी जो निवेश प्रबंधक के रूप में अपने कार्यों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में, या प्राधिकरण के दिशानिर्देशों या निदेशों के अनुपालनार्थ, या किसी लागू कानून, नियम और विनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित हों।

अनुसूची – 10

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि)

विनियमावली, 2015

[विनियम 22(9) देखें]

निवेश और जोखिम प्रबंधन समिति

1. निवेश समिति

1. पेंशन निधि एक निवेश समिति का गठन करेगी जिसमें दो निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य निवेश अधिकारी या निधि प्रबंधक, यदि सीईओ और सीआईओ एक ही अधिकारी हो, शामिल होंगे।

2. पेंशन निधि एक निवेश नीति तैयार करेगा और उसे निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी। यह नीति तैयार करने में, बोर्ड को प्रतिभूतियों के कारोबार, सभी निवेशों और बाजार जोखिम, परिसम्पतियों के प्रबंधन, देयताओं में असंतुलन, निवेश लेखापरीक्षा और निवेश आंकड़ों तथा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों या निदेशों के प्रावधानों के प्रबंधन में चल निधि, विवेकसम्मत मानदंडों, निवेश सीमाओं, स्टाप लॉस सीमा से संबंधित विषयों पर विचार करेगा।

3. बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति को निवेश समिति द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा जो अपनी गतिविधियों के बारे में बोर्ड को आवधिक आधार पर सूचित करती रहेगी।

4. बोर्ड निवेश नीति और उसके कियान्वयन की अर्ध–वार्षिक आधार पर या उस कम अंतराल पर जैसा वह निर्णय करे, समीक्षा करेगा और मौजूदा निवेश नीति में वह सुधार करेगा जो अभिदाताओं के हितों और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवेश प्रणाली के संरक्षण के बारे में कानूनों और विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप करना आवश्यक हों।

5. निवेश नीति और उसकी समीक्षा का ब्योरा जो बोर्ड द्वारा आवधिक आधार पर निर्णय लिया जाता है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को निर्णय की तारीख से तीस दिनों में प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास पेंशन निधि से समय–समय पर कुछ और सूचना भी मांग सकता है जैसाकि वह आवश्यक समझे और जो अभिदाताओं के हित में हो।

6. निवेश समिति परिवर्तनों की समीक्षा और अपनी टीम और निवेश से संबंधित किसी अन्य मामले पर भी विचार कर सकती है और उसे पेंशन निधि के निदेशक मंडल को अपनी सिफारिशें प्रेषित करेगी।

7. निवेश समिति निवेश प्रोफेशनलों की सेवाएं भी आवश्यकतानुसार ले सकती है।

2. जोखिम प्रबंधन समिति

1. पेंशन निधि एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगी जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य निवेश अधिकारी या निधि प्रबंधक, यदि सीईओ और सीआईओ समान अधिकारी हो, और जोखिम या अनुपालन अधिकारी होगा। निवेश समिति का निदेशक जोखिम प्रबंधन समिति का निदेशक नहीं होना चाहिए ।

2. पेंशन निधि एक जोखिम नीति तैयार करेगी और उसे बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। यह नीति तैयार करने में, बोर्ड को निम्न बातों पर विचार करेगा –

क.– जोखिम प्रबंधन कार्य

ख– आपदा वसूली और कारोबारी आकस्मिक स्कीमें

ग– जोखिमों का बीमा

घ– अभिदाताओं को जोखिम समंजित लाभ सुनिश्चित करना जो निधियों के संरक्षण, सुरक्षा और चल निधि के अनुरूप हों।

3. बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम नीति को जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा जो बोर्ड को अपनी गतिविधियों के बारे में आवधिक आधार पर सूचित करेगी।

4. बोर्ड जोखिम नीति की अर्ध–वार्षिक आधार पर या उस कम अंतराल पर जैसा वह निर्धारित करे, समीक्षा करेगा और मौजूदा जोखिम नीति में वह सुधार करेगा जो कानूनों और विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप करने हेतु आवश्यक होंगे। बोर्ड राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को इसके बारे में आवधिक आधार पर अद्यतन करेगा।

5. जोखिम प्रबंधन समिति जोखिम प्रबंधन प्रोफेशनलों की सेवाएं भी आवश्यकतानुसार ले सकती है।

अनुसूची – 11

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियमावली, 2015

[विनियम 10(1)(क) देखें]

निवेश प्रबंधन करार (प्ररूप)

कारोबार आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व, पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के साथ एक करार करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित धाराएं भी शामिल होंगीः

1. पेंशन निधि निवेश और निवेश योग्य निधियों के पुनर्निवेश जिसमें नकद, प्रतिभूतियों तथा अन्य सम्पतियों सहित जैसे प्रत्येक स्कीम की आस्तियां, के संबंध में निवेश नीतियों, प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों या निदेशों के अनुसार स्कीमों के निवेश प्रबंधक के रूप में काम करेगी।

2. पेंशन निधि स्कीमों के प्रबंधन में दैनिक निवेश का अनुमान लगाएगी और उसके अनुसार निवेश करने का निर्णय करेगी और अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों, निदेशों, अधिसूचनाओं, उनके तहत जारी परिपत्रों या विनियमों के प्रावधानों के अनुसार स्कीम का प्रबंधन करेगी।

3. पेंशन निधि न्यासी बैंक द्वारा उसे उपलब्ध कराई निधियों को प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय–समय पर निर्धारित समय–सीमा के भीतर निवेश करेगी।

4. पेंशन निधि अपने कार्यों के निर्वहन और अभिदाताओं के हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिये पूरी समझदारी, निपुणता, शीघ्रता और सतर्कता बरतेगी।

5. पेंशन निधि सभी प्रकार के सट्टे बाजी वाले कारोबार या निवेशों में लेन देन करने से बचेंगी।

6. पेंशन निधि अपने कर्मचारियों या उन व्यक्तियों जिनकी सेवाएं पेंशन निधि द्वारा ली गई हैं, की गलतियों या कार्यों के लिये उत्तरदायी होगी और उनकी प्रतिपूर्ति के लिये सदा जबावदेय होगी।

7. पेंशन निधि निधियों के प्रबंधन के लिये निष्ठापूर्ण रिकार्ड रखने वाले योग्य निपुण व्यक्तियों/अधिकारियों को नियुक्त करेगी।

8. पेंशन निधि अन्य क्रियाकलापों के साथ निधि स्कीमों का स्वतंत्र प्रबंधन करेगी और यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त कदम उठाएगी कि अभिदाताओं के हितों को किसी प्रकार की क्षति न हो।

9. पेंशन निधि (i) कोई अन्य कारोबारी कार्यकलाप नहीं करेगी सिवाय प्राधिकरण द्वारा विनियमित योजना के पेंशन निधि से संबंधित कार्य के या कोई अन्य गतिविधि जिसे प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी गई हो, और (ii) अपनी स्कीमों में अपनी ही आस्तियों के निवेश पर किसी शुल्क को बदलने के लिये हकदार नहीं होगी।

10. पेंशन निधि, प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं और अनुसूची–3 में यथा उल्लिखित अपेक्षाओं का पालन करेगी और उनके अनुसार बहियां तथा अभिलेख तैयार करेगी।

11. स्कीमों का मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों, दिशानिर्देशों या निदेशों के अनुसार किया जाएगा।

12. पेंशन निधि, निधि की कार्यप्रणाली पर एक आवधिक रिपोर्ट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को या उस अंतराल पर और उस रीति में जैसे प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा अपेक्षित या मांगी गई हो, प्रस्तुत करेगी। पेंशन निधि कुछ अन्य अतिरिक्त रिपोर्टें, सूचना या आंकड़े भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर मांगी जाएं या अपेक्षित हो, बिना किसी चूक के प्रस्तुत करेगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त, पेंशन निधि अपने कार्यकलापों की रिपोर्ट निर्दिष्ट प्ररूप में और दिशानिर्देशों के अनुपालन में तिमाही आधार पर या जो निर्धारित किया जाए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रस्तुत करेगी।

13.. पेंशन निधि प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, अभिरक्षक, न्यासी बैंक और अन्य सेवा प्रदाताओं को जैसाकि प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाए, इलैक्ट्रॉनिक इंटरकनैक्टीविटी उपलब्ध कराएगी। पेंशन निधि को भविष्य में होने वाले बदलावों यथा प्रौद्योगिकी में विकास के कारण हुए परिवर्तनों, सिस्टम विनिर्देशों में परिवर्तनों तथा अभिदाताओं की संख्या, स्कीमों की संख्या में बदलाव, और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट सेवाओं एवं कार्यात्मक दायित्वों में हुए परिवर्तनों को अपनाने में भी सक्षम होना चाहिए।

14. पेंशन निधि किसी सहबद्ध को कोई अनुचित लाभ नहीं देगी या पेंशन निधि के किसी सहबद्ध से इस प्रकार कारोबार नहीं करेगी जो अभिदाताओं के हितों के किसी प्रकार विपरीत प्रभाव डालता हो।

15. पेंशन निधि किन्हीं प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए किसी प्रायोजक या अपने किसी सहबद्ध, कर्मचारी या उनके रिश्तेदारों की सेवाओं का ये प्रयोग नहीं करेगी।

16. पेंशन निधि को किसी प्रस्तावित लेन देन या किसी संबंधित पक्ष को शामिल करने के लिये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए और उस प्रस्तावित लेन देन या नियुक्ति के लिये कारणों का सिवाय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की निधियों को निर्दिष्ट सीमा के अंदर निवेश करने के उल्लेख करेगी`। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को इस प्रकार के लेन देन का उल्लेख अपनी आवधिक रिपोर्ट में करेगी।

17. पेंशन निधि प्रतिभूतियों का दलाल के माध्यम से क्रय बिक्रय नहीं करेगी जो पेंशन निधि द्वारा सभी स्कीमों के तहत प्रतिभूतियों के सकल क्रय विक्रय के 5 प्रतिशत या सकल खरीद से अधिक हो जब तक कि पेंशन निधि ने 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक के लिये लिखित औचित्य न दिया हो तथा ऐसे सभी निवेशों की रिपोर्टें प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को तिमाही आधार पर भेजी जाएं।

18. किंतु यह है कि उपर्युक्त 5 प्रतिशत की सीमा वार्षिक पर लागू होगी।

19. पेंशन निधि इस प्रकार के करार प्राधिकरण की अनुमति से करेगी क्योंकि यह उसके उत्तरदायित्वों के प्रभावी निर्वहन के लिये आवश्यक है।

20. पेंशन निधि निष्पादकता, एनएवी पूर्ववृत्त, उसकी स्कीम के तहत पोर्टफोलियो की संरचना, स्कीम की वित्तीय स्थिति के बारे में सूचना प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये अनुसार आवधिक आधार पर अभिदाताओं को भेजेगी और पेंशन निधि की वेबसाइट पर इलैक्ट्रॉनिक फार्म में अपलोड करेगी।

21. पेंशन निधि सुनिश्चित करेगी कि पेंशन निधि दिशानिर्देशों के सभी प्रावधानों का अनुपालन करती है और निधि प्रबंधकों द्वारा किये निवेश अभिदाताओं के हित में हैं।

22. पेंशन निधि, पेंशन निधि का कुछ भी हिस्सा भारत से बाहर, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निवेश नहीं करेगी।

23. पेंशन निधि एक निवेश समिति और एक जोखिम समिति का गठन करेगी। निवेश/निगरानी समिति का गठन और कार्यों का निर्धारण अनुसूची–6 में किया गया है।

24. पेंशन निधि अनुसूची–7 में उल्लिखित रिपोर्टें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रस्तुत करेगी और यह सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त कदम उठाएगी कि वे रिपोर्टें उस सभी सामग्री के बारे में पूरी और सही हों जहां तक अपेक्षित सूचना पेंशन निधि के युक्तिसंगत नियंत्रण में है।

25. पेंशन निधि अपने कार्यों का निर्वहन पर्याप्त सावधानी, सजगता, समझदारी, शीघ्रता और उचित कर्मठता से करेगी और असावधानी, धोखाधड़ी, कदाचार और या अपराध, गलत अनैतिक कार्यों, बौद्धिक सम्पति अधिकारों के उल्लंघन, न्यायी कार्यों के उल्लंघन, विश्वास भंग करने, गोपनीयता तोड़ने, संविदा का उल्लंघन, निष्क्रियता, या किसी लागू कानून, दिशानिर्देश, नियम, विनियम प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों, या अधिनियम, विनियमों या दिशानिर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को हुई किसी हानि या नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगी।

26. पेंशन निधि परिपक्वता, मोचन पर ब्याज संकलित करने, निवेशों से संबंधित बिक्री होने पर हुई राशि को नियत तारीखों पर वसूलने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के संबंधित खातों में समय पर जमा कराने के लिये प्राधिकृत और उत्तरदायी है। ऐसा करते समय, पेंशन निधि का यह कर्तव्य होगा कि संबंधित संस्थानों और प्राधिकारियों को सूचित करे कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा प्राप्त ब्याज राशि पर आयकर अधिनियम के तहत स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

27. उपर्युक्त के बावजूद, यदि ऐसे निवेशों पर स्रोत पर किसी कर की कटौती की जाती है तो पेंशन निधि की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से अपने खर्चे पर उसी वित्त वर्ष में उस कर की राशि को वापस करे, ऐसा करने में असफल पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा अधिसूचित किये जाने पर काटे गए कर की कथित राशि की क्षतिपूर्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को करेगी।

28. पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से सभी लिखतों, प्रपत्रों, विवरणियों, आवेदनों, दस्तावेजों, जो कंपनी, संगठन, संस्थान, प्राधिकरण, सरकारी निकाय या विभाग आदि में दायर करना जरूरी हो जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास निवेशों के प्रबंधन से इस प्रकार संबंधित हों जिसे पेंशन निधि लागू कानून के अनुसार और अभिदाता के लाभार्थ तथा उनके हितों की सुरक्षा के लिये उपयुक्त समझती हो।

29. पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से समन्वय करके वोट देने के अधिकार का प्रयोग करेगा जो प्राधिकरण की मतदान नीति के अनुरूप हैं अनुसार है।

30. निधियां न्यासी बैंक की प्राधिकृत शाखा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम में पृथक निवेश खाते में जमा की जाएंगी। सभी पावतियां, भुगतान, आय, व्यय और निवेशों के लेन देन की लागत इस खाते से नामे या जमा की जाएगी। पेंशन निधि अपना पारिश्रमिक/शुल्क/प्रभारों, यदि कोई हों, को इस खाते से वसूल करने की हकदार नहीं होगी।

31. न्यासी बैंक की मनोनीत शाखा में निवेश खाता का परिचालन पेंशन निधि द्वारा किया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास न्यासी बैंक के साथ निष्पादित करार के अनुसार खाते का रख रखाव करेगा।

32. करार की किसी अन्य धारा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पेंशन निधि द्वारा हस्तगत की गई सभी/किसी प्रतिभूति और अन्य आस्तियों को अभिरक्षक सुविधाओं में रखा जाएगा जैसाकि अनुसूची–9 में उल्लेख किया गया है।

33. पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से ऐसी कोई भी विधिक कार्रवाई करने के लिये प्राधिकृत है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के निवेशों एवं ब्याज आय की सुरक्षा के लिये आवश्यक है और दावों के प्रभावपूर्ण निष्पादन के लिये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से एडवोकेट, सलाहकार या अन्य प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकती है। यदि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास पेंशन निधि को प्रतिभूतियों या निवेशों के संबंध में किसी लेन देन का भार लेने के लिये कहता है जिसमें कोई भुगतान करना हो या पेंशन निधि को किसी रूप में राशि का भुगतान करने या देयता संभालने के लिये कहा जाता है तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास पक्षों द्वारा आपस में सहमत्य आधार पर पेंशन निधि को क्षतिपूर्ति करेगा। हालांकि, पेंशन निधि को उस स्थिति में कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी यदि पेंशन निधि की किसी असफलता, अकर्मण्यता, देरी, गलती, भूल के कारण भुगतान किया जाना हो।

34. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास पेंशन निधि को निधि प्रबंधन या किसी सम्बद्ध कार्य के लिये, पेंशन निधि के मुख्य कार्यों के अतिरिक्त, जिन्हें प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया गया हो, स्वतंत्र विधिक और/या कर सलाहकार तथा किसी अन्य सलाहकार की सेवाएं लेने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

किन्तु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास समय–समय पर इस व्यय की सीमा निर्धारित कर सकता है जिसे उन बाह्य सलाहकारों की सेवाओं पर व्यय किया जा सकता है।

35. पेंशन निधि द्वारा अनुरोध करने पर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास उसे ऐसी मुख्तारी, मुख्तारनामा या अन्य लिखतें दे सकता है जो पेंशन निधि या उसके उप–एजेंट की निष्पादकता, को इस करार के तहत उनके उत्तरदायित्वों या बैंक खाते के परिचालन के लिये आवश्यक हों।

36. **हितों का टकराव**– पेंशन निधि को कार्य आरंभ करने से पूर्व उन हितों के टकराव की पहचान और स्पष्ट कर देना चाहिए जो उठे हों या उठ सकते हों। वे पेंशन निधि से ही या पेंशन निधि द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाताओं की सेवाओं से संबंधित हो सकते हैं। पेंशन निधि कोई कार्रवाई शुरू करने से पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को तुरंत सूचित करेगी कि उन हितों में टकरावों को किस प्रकार निपटाया जा सकता है।

37. पेंशन निधि सुनिश्चित करेगी कि निवेशों, निपटान और बही–लेखन, वितरण और बिक्री, यदि हो, के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के बीच हर समय पृथकता बनी रहे। पेंशन निधि सुनिश्चित करेगी कि प्रायोजक और पेंशन निधि के निवेशों के बीच हर समय उचित फायरवाल हो। उपर्युक्त के बावजूद, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण को उन मुद्दों या/हित टकराव के विषयों को शीघ्र दूर करने के लिये, पेंशन निधि को निवेशों को किसी प्रकार कोई क्षति किये बिना, निदेश देने का पूर्ण अधिकार होगा।

38. पेंशन निधि बाह्य व्यवस्थाओं, यदि कोई हों, के बारे में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को सूचित करेगी, बशर्ते पेंशन निधि के मुख्य कार्य किसी बाह्य निकाय को किसी भी रूप में नहीं दिये जाएंगे। पेंशन निधि बाह्य निकाय को सौंपे किसी कार्य के उत्तरदायित्व से स्वयं को अलग नहीं कर सकेगी और वह उसके लिये उत्तरदायी होगी।

39. पेंशन निधि सुनिश्चित करेगी कि सभी अभिलेख, आंकड़े या कोई अन्य संगत सामग्री राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण के प्रतिनिधियों को आवश्यक पर्यवेक्षण (स्थल पर एवं स्थलेतर दोनों पर) एवं अभिलेखों के निरीक्षण के लिये कभी भी उपलब्ध कराए जा सकें।

40. **गोपनीयता**– कानून या विनियम द्वारा यथा अपेक्षा को छोड़कर, पेंशन निधि किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, या दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई सूचना इस्तेमाल या प्रकट करने की अनुमति नहीं देगी और प्रत्येक पक्ष को वह सब सूचना गोपनीय रखनी चाहिए, सिवाय जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। गोपनीयता उस अन्य सूचना के लिये भी होगी जो अन्य मध्यवर्तियों द्वारा जैसे न्यासी बैंक, संबंधित केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से पेंशन निधि को दी जाती है। पेंशन निधि इस धारा को प्रभावी करने के लिये एक अलग 'गोपनीयता करार' भी करेगी। पेंशन निधि पर यह बाध्यता यह पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त/कालातीत होने के बाद दस वर्ष तक रहेगी।

41. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण सूचना, पत्राचार और दस्तावेजों, तथ्यों, आंकड़ों तथा पेंशन निधि द्वारा उपलब्ध देयों, का प्रयोग अपने किसी प्रयोजन के लिये, जिसे वह उपयुक्त समझे, कर सकता है। अभिदाताओं को कोई भी संबंधित सूचना विशेष कर एनएवी मूल्य और स्कीमों के तहत पोर्टफोलियो की संरचना के बारे में सूचित करने पर पेंशन निधि पर इस धारा से कोई रोक नहीं लगेगी।

42. . **गोपनीयता**– पेंशन निधि समय–समय पर लागू सभी गोपनीयता कानूनों या आंकड़ा संरक्षण कानूनों तथा भारत सरकार द्वारा जारी प्राइवेसी संहिता एवं अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन करना करेगा और उन कानूनों, संहिताओं या दिशानिर्देशों के या संबंधित किसी शिकायत के निपटान के लिए सहयोग करेगा

43. **सुरक्षा**– पेंशन निधि के पास उसके नियंत्रण में रखी सूचना को किसी अनधिकृत पहुंच से हिफाजत करने के लिये अपनी उपयुक्त सुरक्षा नीति और मानक होने चाहिए और वह सुनिश्चित करेगी कि उसके अधिकारी या पर्यवेक्षण प्रतिनिधि उन नीतियों और मानकों का अनुपालन करें।

44. इस विनियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण को प्राप्त किसी अधिकार का प्रयोग नहीं करने पर उसे प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा उसका अधित्याग नहीं माना जाएगा और पेंशन निधि इस करार की गैर–निष्पादकता या उल्लंघन के लिये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के प्रति उत्तरदायी होगी।

45 . उचित अनुदेश

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास उन सभी व्यक्तियों के नाम और हस्ताक्षर तथा प्राधिकार क्षेत्र पेंशन निधि को सत्यापित करेगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से उचित अनुदेश या कोई अन्य नोटिस देने, अनुरोध, निदेश, अनुदेश, प्रमाण पत्र या लिखत देने के लिये प्राधिकृत हैं। उस प्रमाण पत्र को पेंशन निधि द्वारा स्वीकार और यह विश्वास किया जा सकता है कि उसमें लिखित तथ्यों का साक्ष्य सही है और उन्हें तब तक पूरी तरह लागू और प्रभावी माना जाएगा जब तक कि उनके प्रतिकूल कोई वैसा प्रमाण पत्र न मिल जाए।

46. पेंशन निधि उन सभी व्यक्तियों के नाम और हस्ताक्षर तथा प्राधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को सत्यापित करेगी जो पेंशन निधि की ओर से उचित अनुदेश या कोई अन्य नोटिस, अनुरोध, निदेश, अनुदेश, प्रमाण पत्र या लिखत प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत हैं। उन प्राधिकृत व्यक्तियों को दिये गये नोटिस, अनुरोध, निदेश, अनुदेश, प्रमाण पत्र या लिखतों को पेंशन निधि को दिया गया प्रभावी माना जाएगा।

47. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और पेंशन निधि एक दूसरे को नोटिस अथवा कार्य देकर अपने संबंधित प्राधिकृत व्यक्तियों को परिवर्तित कर सकते हैं।

48. पेंशन निधियां प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं।

49. अनन्यता – समझौते के अंतर्गत पेंशन निधि के प्रमुख कार्मिक केवल पेंशन निधि कंपनी और स्कीमों में ही कार्य करेंगे उनके प्रबंधाधीन हैं। प्रमुख कार्मिकों में कोई भी परिवर्तन को क्षेत्र राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण को सूचित कियाा जाएगा। प्रमुख व्यक्तियों में परिवर्तन जिनमें शामिल हैं – मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीईओ एवं मुख्य निवेश अधिकारी, मुख्य निवेश अधिकारी/निधि प्रबंधक, अनुपालन अधिकारी और परिचालन अधिकारी शामिल हैं इसकी सूचना ऐसा परिवर्तन होने के 15 दिन के अपश्चात दी जाएगी।

50. जब पेंशन निधि या उसका कोई नामिती, अधिकारी, नौकर अपने किसी कार्य/गलती से अधिनियम, विनियमों या दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है या पूरी सावधानी और कर्मठता से अपनी ड्यूटी नहीं करता है या करार के तहत दिये किसी प्रतिवेदन, वारंटी या हलफनामे की अनदेखी करता है, जिससे निधि को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई हानि होती है तो इस करार के तहत सौंपे किसी दायित्व के अतिरिक्त, पेंशन निधि अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायी होगी।

51. **स्वामित्व और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार**– सभी अभिलेख, डाटा, सांख्यिकीय विवरणियां और सूचना, चाहे वह इलैक्ट्रॉनिक रूप, या फिजीकल रूप या किसी अन्य रूप में हो, प्राप्त/संकलित किया हो और/या पेंशन निधि द्वारा रखना अपेक्षित हो और जो पेंशन निधि द्वारा प्रबंधाधीन स्कीमों से संबंधित हों, के स्वामित्व से संबंधित अधिकार, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार और सभी अन्य अधिकार प्राधिकरण को प्राप्त हैं। प्राधिकरण के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का पेंशन निधि के नियंत्रण में रखे किन्हीं भी आंकड़ों या सूचना पर स्वामित्व अधिकार या कोई अन्य अधिकार नहीं होगा। पेंशन निधि प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, वे आंकड़े या सूचना साक्ष्य के लिये या किसी अन्य प्रयोजन के लिये, सिवाय जो कानून के तहत यथा अपेक्षित हो, प्रस्तुत नहीं करेगी/देगी। उन अभिलेखों/आंकड़ों/सूचना की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने और प्राधिकरण द्वारा मांग किये जाने पर उन्हें प्रस्तुत करना पेंशन निधि का उत्तरदायित्व और कर्तव्य होगा।

हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन–III/4/असा./203/15 (52)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2015

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (PENSION FUND) REGULATIONS, 2015

No. PFRDA/12/RGL/139/9.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clauses (e) (m), (n), (o) and (p) of sub-Section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement**.— (1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015.

The Objective of the Regulations to standardize the framework for monitoring, supervision and internal control for Pension Funds to enable them to establish high standards for internal control and operational conduct, with the aim of protecting the subscribers and ensuring proper management of risk.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

(b) Business Day: means all days excluding weekly holidays (Saturday and Sunday) and such other days on which the designated Branch of the Trustee Bank is closed under the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881) or a day on which the principal stock exchange as well as the debt market with reference to which the valuation of securities under the scheme is done is closed for business.

(c) "compliance officer" means a person of responsibility from the pension fund; designated as such and charged with the responsibility of monitoring compliance by it of the provisions of the Act or the rules or the regulations made or notifications, guidelines, circulars or instructions issued by the Authority thereunder;

(d) "financial year" means the period from the 1st day of April of a year to the 31st day of March of the following year;

(e) "National Pension System Trust" means the Board of Trustees who hold the assets of subscribers for their benefit;

(f) "principal officer" means any person who is responsible for the activities of a pension fund and includes,-

(i) any whole-time director, executive director, managing director or Chief Executive Officer or Chief Financial Officer, in the case of a body corporate;
(ii) any person designated as a principal officer by the board of directors; and
(iii) any key managerial personnel or any person in accordance with whose directions or instructions the board of directors or any one or more of the directors is or are accustomed to act as such;

(g) "tangible net worth" would comprise of paid-up capital plus free reserves including share premium but excluding revaluation reserves, plus investment fluctuation reserve and credit balance in profit & loss account, less debit balance in profit and loss account, accumulated losses and intangible assets.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

REGISTRATION OF PENSION FUND

3. **Certificate of registration**.— (1) The Authority shall register and grant a certificate of registration to pension funds [in the format specified under *Schedule I]* for managing the assets of the pension schemes regulated by the Authority.

(2) There shall be a choice of multiple pension funds.

(3) The number of pension funds shall be determined by the Authority, which, may in public interest, vary the number of pension funds from time to time:

Provided that at least one of the pension funds shall be a Government company.

Explanation.—for the purposes of this sub-section, the expression "Government company" shall have the meaning assigned to it under section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

(4) No pension fund shall commence any activity relating to a National Pension System or any other pension scheme referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 12 of the Act, except under and in accordance with the conditions of the certificate of registration granted by the Authority in conformity with the provisions of the Act and the regulations made thereunder.

(5) Any pension fund, which has been appointed to act as such by or under any selection process initiated by interim Pension Fund Regulatory and Development Authority, subject to payment of such fee as may be specified by the Authority for transitory period, continue to do so for a period of six months from the notification of these regulations or, until the selection of the pension funds under a fresh selection process specified under regulation 4.

4. **Application for registration and application fee.—** (1) As and when applications are invited by the Authority for grant of certificate of registration to a pension fund, an entity which fulfills the eligibility conditions, under these regulations and the selection process, to act as a sponsor of such pension funds may make an application, accompanied by a non-refundable application fee as specified in Part A of the Schedule II and the manner of payment of such fee specified in Part B thereof.

(2) The joint ventures between the sponsors, may also apply provided the joint venture falls or will fall under the jurisdiction of one of the financial sector regulators. The joint venture shall at least be at the memorandum of understanding execution stage and the joint venture should be finalized within one month from the date of appointment of sponsor.

(3) The Authority may also provide for such additional terms and conditions, which may be deemed necessary, in the selection process and the sponsors shall satisfy such additional terms and conditions.

5. **Application to conform to requirements.—** (1) Any application under regulation 4 shall be liable to be rejected, *interalia* on the following grounds :-

(a) is not complete in all respects and does not contain such information as required by the Authority;

(b) does not conform to the relevant requirements specified in the Act or the regulations;

(c) does not contain such additional information as required by the Authority;

(d) is incorrect, false or misleading in nature;

(e) the applicant is not in compliance with the minimum eligibility requirements as set out under these regulations and the selection process on the date of the application;

(f) in the opinion of the Authority is not in the interest of public or subscribers or the orderly development of pension sector or National Pension System or any other pension scheme regulated by the Authority.

(2) Before rejecting an application on the grounds referred to in sub-regulation (1), the Authority may give an opportunity to the applicant to make good the deficiencies within the time specified by the Authority, for the purpose:

Provided that where an application is rejected for the reason that it contains false or misleading information, no such opportunity shall be given and the applicant shall not make any application for grant of certificate of registration, under these regulations or any other regulations under the Act, for a period of at least one year from the date of such rejection.

6. **Furnishing of information or clarification and disclosure of information.—** (1) The Authority may require the applicant to furnish any further information or clarification, for the purpose of disposal of the application, and, thereafter, in regard to any matter as may be deemed necessary by the Authority.

(2) The applicant shall furnish such information and clarification to the satisfaction of the Authority within the time specified in this regard by the Authority including by way of making a presentation to the Authority.

(3) The Authority, having regard to the interest of the subscribers may make disclosure to the public, the information on the application made by the applicant by placing such information on a website as specified by the Authority, including a website maintained by the applicant.

(4) Any material change in the information furnished or placed on the website pursuant to these regulations shall be intimated to the Authority by the applicant promptly but not later than fifteen days of the occurrence of such change.

7. **Verification of information.—** (1) While considering the application for certificate of registration, based on the information furnished by the applicant and its eligibility, the Authority may, if it so desires, verify the information in any

manner it deems necessary, which may include physical verification of documents, office space, and inspect the availability of office space, infrastructure, and technological support which the applicant is required to have.

(2) For the purpose of verification of information, the Authority may appoint any person including any of its officers or an external auditor.

8. **Eligibility criteria.—** (1) Any applicant satisfying the following minimum eligibility criteria may submit its application to act as a sponsor of a pension fund:-

(a) the sponsor of a pension fund shall have at least five years' experience of fund management (equity as well as debt market);

(b) the sponsor of a pension fund shall be an entity engaged in financial business activity, and regulated by any of the financial sector regulators in the country including the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority and the Authority;

(c) the sponsors, individually or jointly, shall have a positive tangible net worth of at least twenty-five crore rupees on the last day of each of the preceding five financial years;

(d) the sponsor shall have profits after tax in at least three of the preceding five financial years and further that there shall be no cash loss in the last preceding five years;

(e) the sponsor shall be required to incorporate the pension fund as a separate limited company under the Companies Act, 2013 and it shall have the capacity to induct capital so that that the pension fund shall have a minimum positive tangible net worth of twenty-five crore rupees or such other higher amount as stipulated by the Authority in the selection process.

(f) the aggregate holding of equity shares by a foreign company either by itself or through its subsidiary companies or its nominees or by an individual or by an association of persons whether registered or not under any law of a country outside India taken in aggregate in the pension fund shall not exceed twenty-six per cent of the paid-up capital of such fund or such percentage as may be approved for an Indian Insurance Company under the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938),whichever is higher;

(g) the sponsor shall ensure that the pension fund shall have the ability to provide minimum assured return scheme through market based mechanism which may include guarantee to be purchased by the subscriber;

(h) the sponsor has contributed or contributes at least twenty per cent to the tangible net worth of the pension fund. An entity, which contributes twenty per cent or more of the paid up capital of the pension fund, shall be required to fulfill eligibility criteria for a sponsor specified in these regulations;

(i) the sponsor of a pension fund or the pension fund itself shall not hold any equity stake in any other pension fund regulated by the Authority;

(j) the sponsor of a pension fund or the pension fund shall at no time either directly or indirectly hold more than twenty-six per cent of the equity stake in central recordkeeping agency or custodian or the Trustee Bank;

(2) Every applicant shall mandatorily meet the minimum eligibility criteria as specified in sub-regulation (1).

(3) For the purpose of the grant of a certificate of registration, the Authority shall take into account any or all matters which are relevant to the activities of sponsor or pension fund as also all matters which it deems relevant to the pension sector and the National Pension System or any other pension scheme regulated by the Authority, including but not limited to the following:-

(a) the sponsor shall be required to provide the pension fund with adequate and necessary infrastructure, dedicated manpower, systems and procedures, information technology and information security systems with capabilities to adapt to future changes or any other requirement as may be specified by the Authority;

(b) at least fifty percent of the directors of the pension fund shall have adequate professional experience in finance and financial services related field;

(c) the pension fund shall ensure that the key personnel viz. the Chief Executive Officer, Chief Investment Officer, Fund Manager, Operations Manager, compliance officer or other positions, as may be notified by the Authority, from time to time have the adequate professional experience in the requisite field;

(d) the board of directors of such pension fund has at least fifty per cent independent directors;

(e) the sponsor and pension fund is a 'fit and proper person' as specified in Schedule II;

(f) the principal officer of the pension fund or sponsors have not been found guilty of moral turpitude or convicted of economic offence or violation of securities laws or any adverse order has been passed by any of the other financial sector regulators or court of law or tribunal;

(g) whether the sponsor or any of its associates have in the past been refused certificate of registration by any of the financial sector regulators in India including, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, the Insurance Regulatory and Development Authority and the Pension Fund Regulatory and Development Authority and if so, the ground for such refusal;

(h) whether the sponsor or any of its principal officers have in the past five years been convicted or imposed with penalties by any of the financial regulators [referred to in clause (g)] or by a court of law or tribunal, on the matters concerning violation of regulations, directions, guidelines and circulars of the regulator;

(i) grant of certificate of registration is in the interest of the subscribers;

(j) any other criteria as may be specified by the Authority while inviting applications for registration.

(4) If any entity does not fulfill one or more of the criteria specified in sub-regulation (3), it may seek an exemption from the Authority, by making an application citing reasons therefor.

(5) Nothing in these regulations, shall, confer the applicant any right to be granted any exemption sought for.

(6) The Authority may in public interest and for reasons to be recorded in writing, grant such exemption. The Authority may in such circumstances impose such additional conditions as it may deem fit for grant of certificate of registration.

(7) The decision of the Authority, as to whether any applicant satisfies the eligibility criteria shall be final;

(8) Mere submission of the application or satisfaction of eligibility criteria shall not confer the applicant any vested right to seek a certificate of registration for the pension fund.

9. **Procedure for grant of certificate of registration and registration fee.—** (1) The applications received in response to the Authority's invitation under the selection process for registration of the pension fund will be evaluated in accordance with the criteria specified in these regulations and the selection process, at the time of inviting such applications.

(2) The best value proposal shall be given an offer to accept the investment management fees as determined under regulation 20.

(3) After receiving the acceptance of offer given under sub-regulation (2), the Authority may, subject to such terms and conditions as it may specify, permit the Applicant to set up a pension fund and on receipt of the non-refundable registration fee as specified in Part A of Schedule III in the manner specified in Part B (explanations) thereof, may grant a certificate of registration to the pension fund in the format as specified in Schedule I.

10. **Documentation with intermediaries. -** (1) before commencement of operations, the pension fund shall *interalia* execute the following agreements:-

(a) Investment Management Agreement with the National Pension System Trust as specified in Schedule XI;

(b) Non-disclosure agreement with the National Pension System Trust;

(c) agreements with other intermediaries under the National Pension System as may be specified by the Authority like the central recordkeeping agency, Trustee Bank (under Schedule VIII) and custodian (under Schedule IX) or any other intermediary as specified therein;

(d) Any other agreement as may be specified by the Authority.

(2) In case of any divergence between the intermediaries on the interpretation of the agreements, the same shall be forwarded for such determination by the Authority, whose decision shall be final.

(3) The pension fund shall obtain necessary approvals from other sectoral regulators under applicable Acts or laws and shall comply with the documentation requirements of the other intermediaries with regard to opening of accounts, authorizing signatories, obtaining digital signatures, providing connectivity, software installation and other like matters so that it suffers no disability under law or otherwise to act as pension fund.

11. **Commencement of business. -** (1) Upon completion of documentation by the pension fund and other related formalities for undertaking its operations for which it has been granted certificate of registration, the pension fund shall seek issuance of "certificate for commencement of business" from the Authority.

(2) At the time of seeking the certificate of commencement of business, the sponsor or pension fund shall represent and warrant that it has the necessary approvals and permission to act as pension fund and suffers from no disability in law or otherwise to act as such.

(3) The Authority upon being satisfied that the pension fund is fully equipped to commence its operations for managing the scheme assets, may issue "certificate for commencement of business" to the pension fund in the format specified in Schedule IV pursuant to which the pension fund can operationalize the business.

(4) A pension fund granted a certificate of registration shall commence its operations within a period of six months from the date of registration. Any extension in the time limit for such operationalizing shall be permitted by the Authority for a maximum period of six months for reasons to be recorded in writing.

12. **Terms and conditions of registration**. — The certificate of registration granted to the pension fund shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) the sponsor and pension fund shall fulfill and comply at all times the eligibility requirements as specified under the Act, the rules and these regulations and all representations, warranties, information, disclosures, reports, documents or statements relating to the registration as pension fund are true, complete, accurate and correct in all respects and do not contain any untrue or misleading statement of any material fact or do not omit to state any material fact. The sponsor or pension fund shall inform the Authority of any material change in the information or particulars previously furnished, which have a bearing on its certificate of registration;

(b) the sponsor and pension fund have taken all necessary actions and steps to accept the registration as pension fund for managing the pension schemes regulated by the Authority and bind themselves for the due performance of their obligations;

(c) The pension fund shall maintain tangible net worth of Rs. 25 crores or higher as specified by the Authority from time to time.

(d) the sponsor and pension fund shall ensure that the pension schemes are not operated, managed nor the portfolio of securities selected, in the interest of sponsor, the directors of the pension fund or associated persons or to benefit a special class of subscribers and shall avoid conflict of interest in managing the affairs of the pension schemes and keep the interest of subscribers paramount in all matters; the pension fund shall take adequate steps and exercise prudence and due diligence to ensure that the interest of subscribers is not being compromised in any manner;

(e) the pension fund executes such agreements with the parties as directed by the Authority or as specified under these regulations and shall comply with the terms of the agreements so executed;

(f) the pension fund shall maintain confidentiality with respect to all transactions, records, data and information received while discharging its obligations and shall not, without the prior permission of Authority, produce or share such data or information as evidence or for any other purpose except as required under the process of law or as directed by the Authority or the National Pension System Trust;

(g) the sponsor and pension fund shall comply with the provisions of the Act, the rules and the regulation or guidelines, directions/ notifications or circulars issued by the Authority at all times including during the period of suspension of the certificate of registration as also during the transitory phase of transfer of assets or documents till completion of all actions as specified under regulation 34;

(h) the pension fund shall ensure the dissemination to Authority, National Pension System Trust, subscriber and intermediaries of adequate, accurate, explicit and timely information presented in a fairly simple language about the investment policies, investment objectives, financial position and general affairs of the pension schemes they are managing. The pension fund shall communicate requisite information to the subscribers including as specified in Schedule V in the format and periodicity as may be required by the Authority from time to time;

(i) the sponsor shall periodically review the desirability or continuance of the pension fund. If substantial irregularities are observed in any of the pension schemes, sponsor shall immediately report to the Authority of any special developments in the pension fund;

(j) in case of any major change in management or ownership or shareholding pattern or any change in controlling interest of sponsor of the pension fund, prior approval shall be obtained from the Authority. Any change in the key personnel shall be intimated to the Authority within fifteen days of the occurrence of change;

(k) the sponsor and pension fund shall comply with the 'code of conduct' notified by the Authority from time to time and specified in Schedule VI;

(l) The pension fund shall not delegate any core function to any third party. Delegation of any other function shall be done only with the prior approval of the Authority.

(m) the pension fund shall not engage in any other business activity except those relating to pension schemes or funds regulated by the Authority.

13. **Annual Fee .—** Every pension fund shall deposit with the Authority before the 15th of April each year or within 15 days of grant of certificate of registration an annual fee as specified in Schedule III or as amended by the Authority from time to time.

CHAPTER III

SCHEMES, VALUATION, ACCOUNTING, INCOME RECOGNITION

14. **Schemes and investment guidelines** .- (1) The pension fund shall manage schemes as notified by the Authority on such terms and conditions and in accordance with such norms of management of corpus of pension fund, including investment guidelines as approved by the Authority from time to time.

(2) No pension fund shall, directly or indirectly invest outside India, the funds of subscribers.

(3) There shall not be any implicit or explicit assurance of benefits except under market based guarantees mechanism to be purchased by the subscriber.

(4) The subscriber, seeking minimum assured returns, shall have an option to invest his funds in such schemes providing minimum assured returns as may be notified by the Authority;

(5) The pension fund shall provide the subscriber an option of investing upto one hundred per cent of his funds in the Government securities.

15. **Valuation of scheme assets**.-The securities held in the name of National Pension System Trust and managed by the pension funds under the pension schemes regulated by the Authority shall be valued in accordance with the guidelines issued by the Authority from time to time.

16. **Non-performing assets, recognition, classification and provisioning**.-(1) In respect of non-performing assets, income recognition, classification and provisioning should be in compliance with the guidelines issued by the Authority from time to time.

(2) The National Pension System Trust shall monitor the trends and identify slippages of performing assets and income recognition, classification, provisioning and recovery of non-performing assets under report to the Authority.

17. **Books of accounts and records** .- (1) The pension fund shall maintain books and records about the operation of pension schemes to ensure compliance with the provisions of the Income-tax Act, the Companies Actor under any other Act in force and in such manner as may be required or called for by the Authority .

(2) Every pension fund shall keep and maintain proper books of accounts, records and documents, for each scheme so as to give a true and fair view of the state of affairs of the scheme and shall intimate to the Authority and National Pension System Trust the place where such books of account, records and documents are maintained, if not maintained at the registered office of the pension fund. Pension fund is solely responsible for the maintenance and correctness of books of accounts, records and documents.

(3) The pension fund shall follow the accounting policies as may be specified by the Authority from time to time.

18. **Net asset value for schemes**. - (1) The initial price of each unit for every scheme shall be ten rupees.

(2) The pension fund shall compute the net asset value of each scheme by dividing the net assets (to be derived by subtracting allowable charges approved by the Authority from the value of assets) of the scheme by the number of units outstanding on the valuation date of each scheme.

(3) The net asset value of units for each Scheme shall be calculated and declared on each "Business Day".

19. **Annual Report and Auditors Report**.- (1) A pension fund shall prepare an annual report in respect of each financial year as detailed in Schedule VII so as to provide appropriate details of the scheme-wise disposition of the assets at the relevant accounting date and the performance during that period, together with information regarding distribution and accumulation of income accruing to the subscribers in a true and fair manner, in compliance with these regulations or guidelines issued by the Authority from time to time.

(2) The pension fund shall be required to get the accounts of its schemes audited in the manner specified by the Authority and the audit report shall form a part of the annual report. The auditor shall report to the National Pension System Trust.

(3) Every pension fund shall within sixty days from the date of closure of each financial year forward to the National Pension System Trust a copy of the audited annual report and other information including details of investments and deposits held by it so that its entire scheme-wise portfolio is disclosed to the National Pension System Trust.

(4) The financial statement of the schemes should be approved at a meeting of the board of directors of the pension fund and forwarded to the National Pension System Trust for approval. The Board of Trustees of the National Pension System Trust shall, approve and counter sign the financial statement of the schemes of the pension fund, after it is approved and signed by the board of directors of the pension fund. The financial statement of the Scheme shall be submitted to the Authority within ninety days from the date of closure of each financial year.

(5) Every balance sheet and revenue account of schemes shall be in conformity with the Accounting Standards as notified under Companies Act, from time to time except AS 3 (Cash Flow Statement) and AS 17 (Segmental Reporting) to the extent applicable to pension schemes and not inconsistent with these regulations.

(6) The annual report and portfolio details of each scheme shall be prominently placed on the website of the respective pension funds by the pension fund after approval by the National Pension System Trust within ninety days from the date of closure of each financial year.

(7) The scheme wise annual report or an abridged summary thereof shall be provided by the pension fund to the central recordkeeping agency for onward transmission to subscribers. The report provided in the abridged summary to all subscribers shall carry a note that full annual report shall be available on the website of pension fund and the link of the same, where the full report is placed, shall be specified.

(8) The annual report shall be available for inspection at the Head Office of the pension fund and a copy thereof shall be made available to any subscriber on payment of such nominal fee of two hundred rupees or such other fee as may be specified by the Authority.

(9) The pension fund shall within one month from the close of each half year that is 31st March and 30th September of a year, disclose its scheme wise unaudited financial statements along with statement of scheme portfolio on its web site.

(10) The half-yearly unaudited report referred in sub-regulation (9) shall contain details as specified by the Authority or the National Pension System Trust from time to time and such other details which are necessary for the purpose of providing a true and fair view of the operations of scheme.

20. **Investment management fee**.- (1) In consideration for the services provided, the pension fund shall be entitled to charge an investment management fee from the subscriber.

(2) The rate and manner of charging the investment management fee shall be determined in accordance with the procedure as may be laid down by the Authority from time to time and shall be subject to such revision as deemed necessary in subscribers interest and for orderly growth of the pension sector.

(3) The investment management fee is to be calculated on the assets under management on a daily accrual basis and-paid to the pension fund at the end of every quarter of a year.

(4) The investment management fee is inclusive of brokerage but exclusive of custodian fee and applicable taxes. All other costs shall be borne by the pension fund and shall not be reimbursed or charged to the scheme by the pension fund.

(5) The pension fund shall load their charges (investment management fees) onto the net asset value on daily basis and the accrued charges (income) will be collected by them at the end of each quarter, from the scheme bank accounts maintained with Trustee Bank after approval of the National Pension System Trust.

CHAPTER IV

GENERAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF PENSION FUND

21. **Code of conduct**.-Every sponsor or pension fund shall abide by the code of conduct as set out in the Schedule VI.

22. **Duties and functions of pension fund**.- (1) The management of pensions schemes shall be carried in accordance with the objects of the schemes, provisions of the Act, Trust Deed, rules, regulations, guidelines and circulars issued by the Authority from time to time and within the time lines as specified by the Authority or the National Pension System Trust.

(2) The day-to-day management of the pension funds shall be done by the pension fund on behalf of the National Pension System Trust.

(3) The pension fund shall, at all times render high standards of service, exercise reasonable care, prudence, professional skill, promptness, diligence and vigilance while discharging its duties in the best interests of the subscribers. The pension funds shall avoid speculative investments or transactions.

(4)The pension fund shall employ well qualified professionals or staff with high integrity. The pension fund shall be responsible for the acts of commissions or omissions by its employees or authorised persons whose services have been procured and its liability for such acts of commissions or omissions. This liability shall survive despite the cancellation or suspension or withdrawal of certificate of registration or supersession of management by the Authority.

(5) The pension fund shall facilitate and co-ordinate with other intermediaries and other entities *interalia* through agreements, technological platforms for undertaking its functional obligations;

(6) The pension fund shall maintain books of accounts, records, registers and documents relating to the operations of the pension schemes to ensure compliance with the regulations, guidelines, circulars issued by the Authority from time to time, and facilitate audit trail of transactions and business continuity at all times.

(7) The pension fund shall submit periodical and compliance reports as required under these regulations, guidelines or circulars, or as may be called for by the Authority, or as required by the National Pension System Trust from time to time.

(8) The pension fund shall undertake public disclosure of information for the benefit of subscribers in the mode and manner as may be specified by the Authority in Schedule V.

(9) The pension fund shall adopt best governance practices for investments and risk management viz. constitution of Investment Committee and Risk Committee, its composition, functions, policy contents and other like matters as specified in Schedule X.

(10) The pension fund shall prevent conflict of interests that may arise while discharging the obligations as a pension fund and reporting of such instances to the National Pension System Trust.

(11) The pension fund shall ensure exclusivity and segregation of pension fund business activities from its sponsors.

(12) The pension fund shall ensure confidentiality with respect to subscribers information and activities relating to the pension fund and protection of all information within its control except as required by the Authority or the National Pension System Trust or provisions of any law.

(13) The pension fund shall provide such representations and warranties as may be necessary for the protection of subscribers' interest on behalf of the National Pension System Trust.

(14) The pension fund shall pay fees, charges, levies and security deposit as may be required by the Authority.

(15) The pension fund shall be subject to review of its operations and performance by the National Pension System Trust.

(16) The pension fund shall be subject to audit of pension schemes by the National Pension System Trust.

(17) The pension fund shall be subject to other audit and inspection by the Authority.

23. **Monitoring, review and evaluating systems and controls**. - (1) every pension fund shall have adequate mechanisms for reviewing, monitoring and evaluating the controls, systems, procedures and safeguards.

(2) The National Pension System Trust shall be the nodal agency for monitoring, reviewing and evaluation of the pension fund operations or performance.

24. **Appointment of compliance officer.-** (1) Every pension fund shall appoint a compliance officer from amongst the senior management level officers, who shall be responsible for monitoring the compliance by it of the provisions of the Act, the rules or the regulations made or notifications, guidelines or instructions issued by the Authority.

(2) The compliance officer shall immediately and independently report, any non-compliance observed by him or her, to the Authority or the National Pension System Trust .

25. **Information to Authority or National Pension System Trust.-** (1) The Authority or the National Pension System Trust may, at any time, call for any information from a pension fund with respect to any matter relating to its activity as a pension fund.

(2) Where any information is called for by the Authority or National Pension System Trust under sub-regulation (1), it shall be the duty of the pension fund to furnish such information within such period as the Authority or the National Pension System Trust may specify.

CHAPTER V

INSPECTION AND AUDIT

26. **Inspection and audit.-** (1) The Authority may, if it considers necessary at any time, undertake directly or through its authorized representative, or an auditor, an inspection and audit of the books, accounts, records including the telephone records and electronic records and documents of the pension fund for any purpose, including the purposes as specified under this regulation.

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include,-

(a) to ascertain the infrastructural capabilities, systems and procedures;

(b) to ensure that proper books of account, records and documents are maintained;

(c) to ascertain whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established and are being followed by the pension fund;

(d) to ascertain whether the provisions of the Act or the regulations made or circulars, guidelines or notifications issued by the Authority are being complied with;

(e) to inquire into the complaints received from subscribers, nodal offices, intermediaries or any other person on any matter having a bearing on the activities assigned by the Authority to the pension fund;

(f) to inquire suomotu into any other matter in the interest of subscriber or pension system.

(3) The Authority may,-

(a) appoint one or more authorized representatives or, appoint a qualified auditor to undertake the inspection or audit referred to in sub-regulation (1);

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation, the expression "qualified auditor" shall have the meaning derived from section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

(b) appoint a qualified valuer or direct a qualified valuer to be appointed by the National Pension System Trust, if so considered necessary by the Authority and the expenses for carrying out any valuation under this clause shall be borne by the pension fund.

27**. Notice before inspection or audit.-**(1) Before undertaking an inspection or audit under regulation 26, the Authority or its authorized representative or the auditor shall give ten working days' notice to the pension fund:

Provided that no notice shall be required if the Authority is satisfied that an inspection or audit is for immediate safe guarding of the interest of the subscribers.

(2) During the course of an inspection or audit, the pension fund, against which the inspection or audit is being carried out, shall be bound to discharge its obligations as provided in these regulations.

28 . **Obligations on inspection and audit.-** (1) It shall be the duty of the pension fund, the affairs of which is being inspected or audited, and of every director, officer and employee thereof, to produce to the Authority, or its authorized representative or auditor, such books, accounts, records and other documents in its custody or control and furnish to the Authority or its authorized representative or the auditor with such statements and information relating to its activities entrusted to it by the Authority, as it or he may require, within such reasonable time may be specified.

(2) The pension fund shall allow the Authority or its authorized representative or the auditor to have a reasonable access to the premises occupied by it or by any other person on its behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records, documents and computer data in the possession of the pension fund or such other person and also provide copies of documents or other materials which in the opinion of the Authority or its authorized representative or auditor are relevant for the purpose of the inspection or audit.

(3) It shall be the duty of the pension fund to give to the Authority, or its authorized representative or auditor all assistance in connection with the inspection and audit which the Authority or its authorized representative, National Pension System Trust or its authorized representative or auditor may reasonably require in connection with the inspection or audit.

29. **Procedure of audit (internal and scheme).-** The manner in which the audit of the pension fund shall be conducted for internal audit scheme audit and other audits as may be, be specified by the Authority from time to time.

30 **Submission of report.-**(1) On completion of the inspection or audit, a report shall be submitted to the Authority, which after consideration of the report, may take such action as it may deem fit and appropriate in the interest of the subscribers.

(2) The Authority may *suomotu* or after consideration of the inspection or audit report, as the case may be, order an investigation or inquiry to be conducted in the matter.

31. **Payment of inspection and audit fees.-**The Authority shall be entitled to recover from the pension fund such expenses incurred by it for the purposes of inspection or audit undertaken directly or through its authorized representative under sub-regulation (1) of regulation 26.

32. **Inspection and audit by National Pension System Trust.-** (1) The National Pension System Trust shall undertake directly or through its authorized representative, inspection or audit or both of the pension fund, on an annual basis or at such other period as may be specified by the Authority in relation to scheme audit in accordance with the provisions of Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015. The pension fund shall allow the National Pension System Trust, or its authorized representative to have a reasonable access to the premises occupied by it, books of accounts, records, and provide necessary information as may be required by it for the purpose of such inspection or audit, as the case may be. -

(2) The National Pension System Trust shall be entitled to recover from the pension fund such expenses incurred by it for the purposes of inspection or audit undertaken directly or through its authorized representative

(3) The scope of audit or inspection may be specified by the Authority from time to time.

CHAPTER VI

SUSPENSION OR CANCELLATION OF CERTIFICATE AND ACTION IN CASE OF DEFAULT

33. **Cancellation or suspension of certificate of registration.-**(1) Without prejudice to any other action which may be taken by the Authority, the certificate of a registration granted to a pension fund is liable to be suspended, cancelled or withdrawn upon happening any of the following events, namely:-

(a) fails to comply with any of the terms and conditions subject to which a certificate of Registration has been granted to it;

(b) contravenes any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made or guidelines, notifications, directions, instructions or circulars issued by the Authority thereunder;

(c) voluntarily applies to withdraw the certificate of registration granted by the Authority;

(d) a receiver, receiver and manager, administrator or similar person is appointed with respect to the assets and undertakings of the pension fund or the sponsor;

(e) the pension fund or the pension fund's sponsors,-

(i) goes into liquidation (other than for the purposes of a reconstruction or amalgamation on terms previously approved in writing by the Authority);

(ii) ceases to carry on business;

(iii) breaches any provision of the terms and conditions of registration, or fails to observe or perform any representation, warranty or undertaking given by the pension fund or fails to correct such breach or failure within ten working days of receiving notice in writing from the Authority specifying such breach or failure;

(iv) conducts its business in a manner prejudicial to the interest of the National Pension System subscribers;

(v) does not co-operate in any enquiry conducted by the Authority;

(vi) indulges in manipulating the business under the National Pension System or any other pension schemes;

(vii) indulges in unfair trade practices.

(f) if pension fund or sponsor, in the opinion of the Authority, has engaged in corrupt or fraudulent practices in obtaining the certificate of registration or has been blacklisted by any Government authority or regulator;

(g) if pension fund or sponsor submits to the Authority a false statement or information which has a material effect on the rights, obligations or interests of the Authority or the subscribers;

(h) if pension fund or sponsor does not submit periodical returns as required by the Authority;

(i) if pension fund or sponsor fails to furnish any information as required by the Authority relating to its pension business;

(j) there is a change in the ownership, management or key personnel of the pension fund which in the opinion of the Authority adversely affects the interest of the subscribers;

(k) generates returns significantly and consistently below market or peer benchmarks;

(l) acts in a manner prejudicial to the interests of the subscribers;

(m) does not cooperate in an inquiry conducted by the Authority;

(n) commits any acts of defaults as mentioned under section 28 of the Act;

(o) any other reason which in the opinion of the Authority warrants for suspension, cancellation or withdrawal of the certificate of registration granted.

(2) The Authority may without prejudice to the powers under sub-regulation (1) instead of cancelling or suspending or withdrawing the certificate of registration, direct for varying or modifying the terms and conditions of the certificate of registration, as it may deem fit or pass any other order, as may be deemed beneficial in the interest of the subscribers, for reason to be recorded in writing.

(3) No order of cancellation, termination or suspension of registration shall be made unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard under an inquiry conducted as per the Regulations.

34. Effect of suspension or cancellation or withdrawal of certificate of registration.- (1) On and from the date of suspension or cancellation of the certificate of registration, the pension fund shall-

(a) cease to transact fresh business under the National Pension System or other pension schemes, as the case may be;

(b) take such action in respect of the assets, records, documents or information that may be in the custody or control of the pension fund, within the time limit and in the manner as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority..;

(c) transfer at its own cost the assets, records, documents or information that are in its custody or control to another pension fund in the form and manner as may be directed by the Authority;

(d) the pension fund or sponsor shall at its cost and expense provide all the necessary support in ensuring smooth transfer of all the assets under its management and where required by the National Pension System Trust or the Authority, and make such public announcement or disclosure as may be conducive to subscribers interest, regarding such transfer of assets. It shall also ensure that the transfer of all the relevant documents, record or information is made in accordance with the directions issued by the Authority. Any form of non-support or non-cooperation or obstructions from the pension fund or sponsor shall render the pension fund or its sponsor liable for penalty;

(e) the transfer of such assets shall be undertaken in accordance with the guidelines as may be issued by the Authority;

(f) the sponsor or pension fund shall be subject to the directions of the Authority until all such transfers or actions are completed or until, the certificate of registration remains suspended.

35. Appointment of designated authority.- (1)Where it appears to the designated member that any pension fund which has been granted certificate of registration under the Act, these regulations or any other concerned person has committed any default of the nature specified in regulation 33, he may appoint an officer not below the rank of a Chief General Manager, or any other officer of an equivalent rank as a designated authority.

(2) No officer who has conducted investigation or inspection in respect of the alleged violation shall be appointed as a designated authority.

36. Issuance of notice.- (1) The designated authority shall, if it finds reasonable grounds to do so, issue a notice to the pension fund or any other concerned person requiring it to show cause as to why the certificate of registration granted to it, should not be suspended or cancelled or why any other action provided herein should not be taken.

(2) Every notice under sub-regulation (1) shall specify the contravention alleged to have been committed by the noticee indicating the provisions of the Act, regulations, directions or circulars in respect of which the contravention is alleged to have taken place.

(3) There shall be annexed to the notice issued under sub-regulation (1) copies of documents relied on in making of the imputations and extracts of relevant portions of documents, reports containing the findings arrived at in an investigation or inspection, if any, carried out.

(4) The noticee shall be called upon to submit within a period to be specified in the notice, not exceeding twenty-one days from the date of service thereof, a written representation to the designated authority.

37. Reply by noticee. –(1 The noticee shall submit to the designated authority its written representation within the period specified in the notice along with documentary evidence, if any, in support thereof:

Provided that the designated authority may extend the time specified in the notice for sufficient grounds shown by the noticee and after recording reasons of extension in writing.

(2) If the noticee does not reply to the show-cause notice, within the time granted for the purpose, the designated authority may proceed with the matter *exparte* recording the reasons for doing so and make recommendation as the case may be on the basis of material facts available before him.

38. Action in case of default.-After considering the representations, if any, of the noticee, the facts and circumstances of the case and applicable provisions of the Act, regulations, directions or circulars administered by the Authority, the designated authority shall submit a report, where the facts so warrant, recommending,-

(a) suspension of certificate of registration for a specified period;
(b) cancellation of certificate of registration;
(c) prohibiting the noticee to take up any new assignment or contract or launch new scheme for the period specified in the order;
(d) debarring the principal officer of the noticee from being employed or associated with any registered intermediary, for the period as may be specified;
(e) imposition of any other condition , restrictions or compliances as may be deemed necessary upon the noticee or its principal officer or other officers or any other person concerned with it;
(f) warning the noticee.

39. Procedure for action on recommendation.- (1)On receipt of the report recommending measures from the designated authority, the designated member shall consider the same and issue a show-cause notice to the noticee enclosing a copy of the report submitted by the designated authority calling upon the noticee to submit its written representation as to why the action, including passing of appropriate direction, should not be taken.

(2) The noticee may, within twenty-one days of receipt of the notice send a reply to the designated member who may pass appropriate order after considering the reply, if any received from the noticee and providing the person with an opportunity of being heard, as expeditiously as possible and endeavor shall be made to pass the order within one hundred and twenty days from the date of receipt of reply of the notice or hearing.

(3) The designated member may pass a common order in respect of a number of noticees where the subject matter in question is substantially the same or similar in nature.

40.Intimation of order.- (1)Every report made by a designated authority and every order passed by the designated member under these regulations shall be dated and signed.

(2) A copy of the order passed under these regulations shall be sent to the pension fund or any person concerned with it and also placed on the website of the Authority.

41. Penalty and adjudication.-The imposition of penalty, if any, on the pension fund or any person concerned shall be in accordance with the provisions of the Act and the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Procedure for Inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2015.

42.Appeals to Securities Appellate Tribunal.-The pension fund or any person concerned, aggrieved by an order under these regulations, may prefer an appeal to the Securities Appellate Tribunal, against such order in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 36 of the Act.

Explanation.- For the purposes of this Chapter, the expression,-

(a) "designated authority" means an officer of the Authority appointed under sub-regulation (1) of regulation 35;
(b) "designated member" means the Chairperson or a whole-time member of the Authority designated for the purpose;
(c) "noticee" means the person to whom a notice has been issued under this Chapter.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

43. Power of the Authority to issue clarifications and directions.-In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Authority shall have the power to issue clarifications and guidelines in the form of notes or circulars which shall be binding on the pension fund.

44. Directions.-Without prejudice to any order under these regulations, and directions, guidelines and circulars as may be issued by the Authority including an order under Chapter VI of these regulations, the Authority may in the interest of the interest of the subscribers or for the purpose of securing the proper management of pension fund, issue necessary direction:

Provided that before issuing any directions the Authority shall give a reasonable opportunity of being heard to the persons concerned:

Provided further that if the circumstances warrant any interim direction is required to be passed immediately, the Authority may give a reasonable opportunity of hearing to the persons concerned after passing the direction, without any undue delay.

SCHEDULE I

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(PENSION FUND) REGULATIONS, 2015

[See regulation 9(3)]

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Pension Fund Regulatory and Development Authority

CERTIFICATE OF REGISTRATION AS PENSION FUND

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 27 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), read with regulations made thereunder, the Authority hereby grants this certificate of registration to_____ as pension fund subject to the terms and conditions specified in the Act and the regulations made thereunder.

The Registration Code for the Pension Fund is _____.

Date :_____
Place : _____

By order

For and on behalf of
Pension Fund Regulatory and Development Authority

SCHEDULE II

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(PENSION FUND) REGULATIONS, 2015

[See regulation 8(3) (e)]

CRITERIA FOR 'FIT AND PROPER'

For the purpose of determining as to whether the sponsor or pension fund is a 'fit and proper person', the Authority may take account of any consideration as it deems fit, including but not limited to the following criteria in relation to the applicant or the intermediary , the principal officer and the key management persons , by whatever name called:

(a) financial integrity;

(b) absence of convictions or civil liabilities;

(c) competence;

(d) good reputation and character;

(e) efficiency and honesty; and

(f) financial solvency and net worth.

A sponsor or pension fund shall not be considered as a" fit and proper person" for the purpose of appointment, if it incurs any of the following disqualifications:-

(a) the sponsor or pension fund or its principal officer or key management personnel has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude, economic offence, securities laws or fraud;

(b) an order for winding up has been passed against the sponsor or pension fund;

(c) the sponsor or pension fund or its key promoter has been declared insolvent and has not been discharged;

(d) an order(other than an order of suspension of appointment as an intermediary), restraining, prohibiting or debarring the sponsor or pension fund or its principal officer or key management personnel from dealing in securities in the capital market or from accessing the capital market has been passed by any regulatory authority or court and a period of three years from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed;

(e) an order cancelling the appointment of the sponsor or pension fund has been passed by the Authority or the concerned financial sector regulator on the ground of its indulging in insider trading, fraudulent and unfair trade practices or market manipulation and a period of three years from the date of the order has not elapsed;

(f) an order withdrawing or refusing to grant any license or approval to the sponsor or pension fund or its whole time director or managing partner which has a bearing on the capital market, has been passed by the concerned financial sector regulator or any other regulatory authority and a period of three years from the date of the order has not elapsed; however, the Authority may for reasons to be recorded in writing, allow the sponsor or pension fund to seek appointment before the lapse of three years as specified in clauses (d), (e) and (f);

(g) the sponsor or pension fund is financially not sound;

(h) there is a notice of any action or investigation or other proceedings of any nature whatsoever, against the sponsor or pension fund, or its Chief Executive Officer, any of its directors or employees, or a related group concern, by any governmental or statutory authority which would restrain, prohibit or otherwise challenge or impede the performance of obligations as sponsor or pension fund of the pension schemes regulated by the Authority, and that there is adverse proceedings against it from any financial sector regulator including the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority or the Securities and Exchange Board of India, of a nature that could adversely affect the ability to provide the services as sponsor or pension fund for the pension schemes regulated by the Authority;

(i) any other reason, to be recorded in writing by the Authority, which in its opinion renders such sponsor or pension fund or its principal officer or key management personnel unfit to operate in the pension or financial market.

Explanation.- For the purpose of clause (g), the Authority may take into consideration the capital adequacy or tangible net worth of the sponsor or pension fund, wherever it has been so specified in the relevant application for appointment.

SCHEDULE III

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(PENSION FUND) REGULATIONS, 2015

[See regulations 4(1), 9(3) and 13]

FEES PAYABLE UNDER THE REGULATIONS

PART A

AMOUNT TO BE PAID AS FEES TO THE AUTHORITY

Type of Fee	Amount	Nature/Calculation	Time of Payment
Application fee	-Rs 10,00,000	Non Refundable / Flat Rate	At the time of submission of application for acting as sponsor of pension fund .
Registration fee	Rs 25,00, 000	Non Refundable / Flat Rate	At the time of grant of Certificate of Registration (One time)
Annual fee	0.005% of Assets under Management or Rs 10,00, 000 Whichever is higher	Non-Refundable / % of AUM: Assets under Management shall be considered as on 31st March of preceding financial year.	Payable by 15th of April of every financial year or within fifteen days of grant of Certificate of Registration.

PART B

I. —For the purpose of this part, the expression "assets under management" shall mean the value of the assets held by the pension fund as disclosed by it under sub-paragraph VI of Part B below.

II. The fees specified in part A shall be payable by demand draft or bankers cheque in favour of " Pension Fund Regulatory and Development Authority" payable at New Delhi or through e-payment .

III. A pension fund shall pay pro rata annual fee on quarterly basis,if the business is done for a part of the year. The payment of annual fee shall be accompanied by a statement of assets under management which shall be in such format as may be specified by the Authority and shall be certified to be true and complete by the functional head of the pension fund. The pension fund shall pay any extension fees as may be determined by the Authority where the registration granted to it has been extended beyond the period of registration.

IV. The Authority reserves the right to amend all or any of the fees from time to time.

SCHEDULE IV

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(PENSION FUND) REGULATIONS, 2015

[See regulation 11(3)]

CERTIFICATE FOR COMMENCEMENT OF BUSINESS

Pension Fund Regulatory and Development Authority

CERTIFICATE FOR COMMENCEMENT OF BUSINESS AS PENSION FUND

_____ which has been granted a certificate of registration as pension fund vide _____ on _____ is hereby allowed to commence the activities as pension fund for the pension Schemes regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority on this ____ day of _____ 20

Place : _____

By order

For and on behalf of
Pension Fund Regulatory and Development Authority

SCHEDULE V

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(PENSION FUND) REGULATIONS, 2015

[See regulations12(h),and 22(8)]

REPORTS AND DISCLOSURE

1. **Reporting to NPS Trust, PFRDA, CRA and Other Parties**

The pension fund shall furnish periodic reports as well as such information and documents as may be required by the Authority, National Pension System Trust and the central recordkeeping agency from time to time. This would include, but not limited to the following:-

(a) Indicative Reports to National Pension System Trust

Reports must be provided in writing for each successive period by delivery to the office of National Pension System Trust within ten days of the end of the period in the case of a monthly or quarterly or half yearly or yearly report and must contain at least the following information as at a stated end of period date.

Report	**Contents**
Monthly	
Form 1	Reconciliation of AUM and Units
Form 2	Details of Portfolio for - Scheme CG
Form 3	Details of Portfolio for - Scheme SG
Form 4	Details of Portfolio for - Scheme E- Tier I
Form 5	Details of Portfolio for - Scheme C - Tier I
Form 6	Details of Portfolio for -Scheme G Tier I

Form 7	Details of Portfolio Value for - Scheme E -Tier II
Form 8	Details of Portfolio for - Scheme C - Tier II
Form 9	Details of Portfolio for - Scheme G Tier II
Form 10	Details of Portfolio for - Scheme NPS Lite
Form 11	Details of Portfolio for - Scheme Corporate CG
Form 12	Statement of Purchases and Sales effected by PFM
Form 13	Amount Received or Accrued during the Period
Form 14	Report on transactions in securities in Group company / PF's associates
Form 15	Statement of Down Graded Investments
MC	Compliance Certificate at Monthly Interval
Quarterly	
Form 1a	Report on Transactions in securities by the key personnel of the PF in their own name
Form 1b	Report on transactions in securities with any of the PF's associates
Form 2	Portfolio overview
Form 3	Statement of mutual fund investments
Form 4	Market value - quarter - on -– quarter
Form 5	Details of investment portfolio - maturity proceeds & interest overdue (NPA)
Form 6	Overview of portfolio positioning including evaluation of a) Current economic conditions b) Prospects for securities markets, c) Justification for the positions and transactions in the portfolio, d) Attribution of performance over last quarter (and year when applicable) on absolute basis as well as relative to the specific market benchmark, e) Outlook for returns for the portfolio
QC	Compliance Certificate at Quarterly Interval
Half-Yearly	
HY.1	Copy of half yearly unaudited accounts of Schemes as per Scheme accounting regulations. (before the expiry of one month from the close of each half year)
HYC	Compliance certificate at half yearly Interval
Annual	
A.1	Statement regarding the current status of the sponsor's regulatory licenses and details of any changes in the name or capitalisation of the PF company or Sponsor(s)
A.2	Statement showing the amount of interest accrued but not realised as on closing date of the financial year
A.3	All service contracts carried out between Schemes, PF and its associates. (Including outsourced activity).
A.4	All service contracts such as for custody arrangements and transfer agency of the securities are executed in the interest of subscribers.
A.5	Summary of all activities and compliance with regulations and guidelines.
A.6	Copy of the Audited Annual Report and other information including details of investments as per the Scheme accounting regulations. (within sixty days from the date of closure of each financial year)

A.7	Copy of unaudited provisional financial statements (Balance Sheet, Revenue Account , notes and schedules) of each scheme. (within thirty days from the date of closure of each financial year)
A.8	Voting report including the number of votes cast (for, against, or abstained) and a statement of whether the PF has complied with its obligation to exercise its voting rights in the client's interests only.
A.9	Any change in the interests of Directors every six months
AC	Compliance certificate at annual Interval
Ad hoc	
M.1	Bio-data of all its Directors along with their interest in other companies within 15 days of their appointment
M.2	Conflicts of interest
M.3	All such information as is considered necessary by the NPS Trust

(b) **Reports to Authority**

(i) In addition to the reports, pension fund would need to adhere to disclosures in accordance with para 2 of this Schedule.

(ii) Any other information as required by the Authority.

(iii) Exception reporting to be done by the National Pension System Trust to Authority.

(iv) National Pension Trust shall keep the Authority informed of the operations of the Pension Fund on periodic basis.

(c) Reports to central recordkeeping agency

The pension fund shall interface with the central recordkeeping agency for:-

(i) Sending and receiving reports in the required format.

(ii) Compilation and consolidation of investment instruction by central recordkeeping agency

(iii) Confirmation Report by pension fund to central recordkeeping agency.

(iv) Daily investment report by pension fund

(v) Report of scheme wise payout position of pension fund to central recordkeeping agency

(vi) Daily Report on Net Asset Values as specified by the Authority from time to time.

(vii) Net fund receipt from National Pension System Trust Account report by PFs on different investment schemes.

(viii) Discrepancy/confirmation report on net payout.

(ix) The daily performance reports of the schemes measured using Net Asset Values

(d) Reports to other parties

(i) The pension fund shall interface and provide such reports as may be required by the National Pension System Trust, Trustee Bank, Custodian and other entities of the National Pension System architecture as may be prescribed by Authority and National Pension System Trust from time to time.

(ii) The pension fund will disclose the basis of calculating the transaction price and Net Asset Value of the various schemes in the Scheme particulars and disclose the same to subscribers at such intervals as may be specified by the National Pension System Trust and the Authority.

2. **Public disclosures -Under Regulation22(8)**

(a) The pension fund shall be expected to comply with the disclosure requirements specified by Authority from time to time.

(b) In order to ensure uniformity and timeliness of dispensation of information by the Authority in the interest of all stakeholders, the following public disclosures have been prescribed:

Sl	Particulars	Frequency	Format	Time Limit	Sub-heading on website
1	Latest Net Asset Value (NAV)_ (Scheme wise)	Daily	Up to four decimal points	By 9.00 PM on the same day	NAV
2	NAV History (since inception) (scheme wise- both in Tabular data as well as graphical form)	Daily	--- do ---		NAV History
3	Scrip wise details of Portfolio of each scheme	Monthly	**Appended below**	Within 10 days from the end of month	Portfolio Details
4	Unaudited financial statements* along with statement of *scheme portfolio*	Half-Yearly	-----do---- *(For scrip wise details of Portfolio of each scheme)*	before the expiry of one month from the close of each half year	Financials
5	Annual Report (with Financials) and portfolio details of each *scheme***	Yearly	-----do---- *(For scrip wise details of Portfolio of each scheme)*	after approval by the National Pension System Trust (within 15 days)	Financials
6	Investment Policy and Investment Review Mechanism	Updated version at all times	-	Within 10 Days after Board approval	Policy
7.	Annual Report and Financials of *pension fund.*	Yearly	-	After AGM (within 10 days)	Financial
8.	Scheme wise Fee (pension fund *should also simultaneously upload the Public Notice for change in fee on its website*)	Yearly	-	To be updated when revised (within 4 days)	Investment Management Fee

* 'Financial Statements' includes balance sheet, revenue account and notes, schedules and other integral reports.

** Contents of 'Annual Report' are as per Financial Statements and Auditor's Report under Schedule VIII

(c) Pension Funds are advised to publish the above Public Disclosures on their respective websites at a prominent place on home page with heading 'Public Disclosure' and with sub-headings like NAV, Portfolio Details, Financials, Policy etc as applicable.

Scrip wise details of Portfolio of each scheme

Name of the Pension Fund :

Name of the scheme :

Portfolio Statement as on…… (month end)

Name of the instrument	ISIN No.	Industry	Quantity	Mkt value	% of Portfolio	Ratings
Equity Instruments						
Shares						
1						
2						
3…..						
Equity oriented MFs						
Equity ETFs						
Debt Instruments -						
Central Government Security						
1						
2 …….						
State Development Loans						
2 …….						
2						
PSU / PFI Bonds:-						
1						
2 …….						
Private Corporate Bonds:-						
1						
2 …….						
Bank Fixed Deposits (> 1 Year)						
1						
2 …….						
Gilt Mutual Fund						
1						
2 …….						
Money Market Instruments:-						
Treasury Bills :						
1						
2 …….						
Certificate of Deposits / Commercial Papers						
1						
2 …….						
Application Pending Allotment						
1						
2 …….						
Bank Fixed Deposits (< 1 Year)						
1						
2 …….						
Cash / cash Equivalent & Net Current Assets						
1						
2 …….						
GRAND TOTAL						

Average Maturity of Portfolio (in yrs)						
Modified Duration (in Yrs)						
Yield to Maturity (%) (annualised)(at market price)						
Credit Rating Exposure						
Central Govt. Securities						
State Development Loans						
AAA / Equivalent						
A1+ (For Commercial Paper)						
AA+ / Equivalent						
AA / Equivalent						
AA- / Equivalent						
A+ / Equivalent						
A / Equivalent						
A- / Equivalent						
BBB+ / Equivalent						
BBB / Equivalent						
BBB- / Equivalent						
Lower (Below Investment Grade)						
(out of above Net NPA)						
Total						
Bank FD						
Equity						
Equity Mutual Funds						
Money Market Mutual Funds						
Cash / Cash Equivalent Net Current Assets						
Application Pending Allotment – NCDs						
Others						
Grand Total						

Units Outstanding
NAV
1. Entire portfolio irrespective of the quantity, market value and percentage to NAV of any scrip should be disclosed in descending order of weightage within each sub-group. If percentage to portfolio of any security is less than 0.01%, it may be indicated by giving asterisk or any other mark instead of showing 0.00.
2. An asterisk/suitable mark should be given against debt instruments which are classified NPAs in accordance with Authority's guidelines issued from time to time.
4. The following information may be given by way of footnotes :
a. Total NPAs provided for and its percentage to NAV.
b. Total value and percentage of illiquid equity shares.
c. NAV at the beginning and end of the period.
d. Total outstanding exposure in derivative instruments at the end of the period.
3. Total **'Infrastructure investments**' may be disclosed by way of foot note.

SCHEDULE VI

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(PENSION FUND) REGULATIONS, 2015

[See regulations 12(k) and 21]

CODE OF CONDUCT

I. SUBSCRIBER PROTECTION

(a) Investors/Authority/National Pension System Trust (NPS Trust)

A pension fund shall make all efforts to protect the interests of subscribers and shall render the best possible service to the Authority/ National Pension System Trust having regard to the subscribers needs and the environments and its own professional skills.

(b) High Standards of Service

A Pension fund shall ensure that it and its key management personnel, employees, contractors and agents, shall in the conduct of their business, observe high standards of integrity, dignity, fairness, ethics and professionalism and all professional dealings shall be affected in a prompt, effective and efficient manner. A pension fund shall be responsible for the acts or omissions of its employees and agents in respect to the conduct of its business.

(c) Exercise of Due Diligence and no Collusion

A Pension fund shall at all times render high standards of service, exercise due skill and diligence over persons employed or appointed by it, ensure proper care and exercise independent professional judgment and shall not at any time act in collusion with other intermediaries in a manner which is detrimental to the subscribers.

(d) Fees

A pension fund shall levy charges/ fees for the services rendered as may be determined by the Authority.

II. DISBURSAL OF AMOUNTS

A pension fund shall be prompt in crediting dividends, interests or any such accrual income received or collected by it on behalf of the Authority, the National Pension System Trust or subscribers to the scheme accounts.

III. DISCLOSURE OF INFORMATION

(a)A pension fund shall ensure that adequate disclosures are made to the Authority, the National Pension System Trust or subscriber in a comprehensible and timely manner so as to enable them to make a balanced and informed decision.

(b)A pension fund shall not make any misrepresentation and ensure that the information provided to the Authority the National Pension System Trust or subscriber is not misleading.

(c) A pension fund shall not make any exaggerated statement whether oral or written to the Authority, the National

Pension System Trust or subscribers, either about its qualification or capability to render certain services or its achievements in regard to services rendered to other Authority ,National Pension System Trusts or subscribers.

3.4 A Pension fund shall not divulge to anybody, either orally or in writing, directly or indirectly, any confidential information about the Authority, the National Pension System Trusts or subscribers, which has come to its knowledge, without taking prior permission of the Authority, the National Pension System Trusts, except where such disclosures are required to be made in compliance with any law for the time being in force.

IV. CONFLICT OF INTEREST

(a) A pension fund shall avoid conflict of interest and make adequate disclosure of its interest and shall put in place a mechanism to resolve any conflict of interest situation that may arise in the conduct of its business or where any conflict of interest arises, shall take reasonable steps to resolve the same in an equitable manner. A pension fund shall make appropriate disclosure to the Authority, the National Pension System Trust or subscribers of its possible source or potential areas of conflict of duties and interest while acting as a pension fund which would impair its ability to render fair, objective and unbiased services.

(b) A pension fund or any of its directors, or employee or an associate of the pension fund shall not, either through its account or their respective accounts or through their family members, relatives or friends indulge in any insider trading.

V. COMPLIANCE AND CORPORATE GOVERNANCE

5.1 A pension fund shall ensure that good corporate policies and corporate governance is in place. It shall not engage in fraudulent and manipulative transactions in the securities listed on any stock exchange in the country and shall not indulge in any unfair competition (including resorting to unfair means for inducing another intermediaries, the Authority or the National Pension System Trust) which is likely to harm the interests of other intermediaries or subscribers or is likely to place such other intermediaries in a disadvantageous position while competing for or executing any assignment.

5.2 A pension fund shall take adequate and necessary steps to ensure that continuity in data and record keeping is maintained and that the data or records are not lost or destroyed. It shall also ensure that for electronic records and data, up-to-date back up is always available with it.

5.3 A pension fund shall co-operate with the Authority, or any intermediary designated by the Authority, as and when required and shall not make any untrue statement or suppress any material fact in any documents, reports, papers or information furnished to the Authority or neglect or fail or refuse to submit to the Authority or other agencies with which it is registered, such books, documents, correspondence and papers or any part thereof as may be demanded/requested from time to time.

5.4 A pension fund shall ensure that any change in registration status or any penal action taken by Authority or any material change in financials which may adversely affect the interests of subscribers is promptly informed to the Authority, National Pension System Trust or and any business remaining outstanding is transferred in accordance with the instructions of the Authority and the provisions of the relevant regulations.

5.5 A pension fund shall maintain an appropriate level of knowledge and competency and abide by the provisions of any Act, regulations, circulars and guidelines of the Central Government, the Reserve Bank of India, Securities Exchange Board of India, the Authority, the stock exchange or any other applicable statutory or self-regulatory or other body, as the case may be, and as may be applicable to the Pension fund in respect of the business carried on by such pension fund. A pension fund shall also comply with the award of the Ombudsman passed under the Pension fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance)Regulations, 2015.

5.6 A pension fund shall ensure that the Authority is promptly informed about any action, legal proceedings, initiated against it in respect of any material breach or non-compliance by it, of any law, rules, regulations, and directions of the Authority or of any other regulatory body.

VI. PENSION FUND INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS

(a) A pension fund shall have internal control procedures and financial and operational capabilities which can be reasonably expected to protect its operations, the Authority, the National Pension System Trust or subscribers and other registered entities from financial loss arising from theft, fraud, and other dishonest acts, professional misconduct or omissions.

(b) A pension fund also registered with the Authority in any other capacity or category shall endeavor to ensure that arm's length relationship is maintained in terms of both manpower and infrastructure between the activities carried out as a Pension fund and other permitted activities.

(c) A pension fund shall establish and maintain adequate infrastructural facility to be able to discharge its services as such Pension fund to the satisfaction of Authority, the National Pension System Trusts and the operating procedures and systems of the intermediaries shall be well documented and backed by operations manuals.

(d) A pension fund shall create and maintain the records of all documents and data pertaining to its activities in such manner that the tracing of such document or data is facilitated in the event of loss of original records or documents for any reason.

(e) (a) A pension fund or any of his employees shall not render, directly or indirectly any investment advice about any security in the publicly accessible media, whether real-time or non-real-time, unless a disclosure of his interest including long or short position in the said security has been made, while rendering such advice.

(b) in case an employee of the pension fund is rendering such advice, he shall also disclose the interest of his dependent family members and employer including their long or short position in the said security, while rendering such advice.

SCHEDULE VII

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(PENSION FUND) REGULATIONS, 2015

[See regulations 15,16,17,18 and 19]

FINANCIAL STATEMENTS AND AUDIT REPORT

ANNUAL REPORT

I. Annual Report

Each pension fund shall prepare a *consolidated* annual report comprising financial statements of all the schemes managed by them.

The annual report shall contain—

(i) Report on the operations of each scheme during the financial year and economic scenario;
(ii) Accounting Policies, Balance Sheet and Revenue Account in accordance with these regulations **Paras II and III** of this Schedule;
(iii) Auditor's Report in accordance with **Para IV** of this Schedule;
(iv) Brief statement on the following aspects, namely :—
 (a) Liabilities and responsibilities of the pension fund ;
 (b) Investment objective of each scheme ;
 (c) Basis and policy of investments underlying the scheme;
 (d) If the scheme permits investments partly or wholly in shares, bonds, debentures and other scripts or securities whose value can fluctuate, a statement on the following lines:
 "The price and redemption value of the units, and income from them, can go up as well as down with the fluctuations in the market value of its underlying investments";
 (e) Comments on the performance of the scheme, with full justification with possible comparison with other benchmark yields, if any, as specified by the Authority.
 (f) Statement giving "key statistics" of schemes in accordance with **ParaV** of this Schedule;
 (g) Abridged version of the Balance sheet as per Para VI of the Schedule.
 (h) Abridged version Revenue account as per para VII of the Schedule.
 (i) Notes to account as per Para VIII of the schedule.

II. Contents of Balance Sheet:

(i) The Balance Sheet shall give scheme wise particulars of its assets and liabilities. It shall also disclose, inter alia, accounting policies, valuation of investments and other important areas.
(ii) The balance-sheet shall disclose under each type of investment, the aggregate carrying value and market value of non-performing investments
(iii) The Balance Sheet shall disclose the per unit Net Asset Value (NAV) as at the end of the accounting year.
(iv) The Balance Sheet shall give against each item, the corresponding figures as at the end of the preceding financial year.
(v) The notes to the Balance Sheet shall disclose the following information regarding investments:—
 (a) all investments shall be grouped under the major classification given in the balance sheet;
 (b) under each major classification, the total value of investments falling under each major industry group (which constitutes not less than 5 per cent of the total investment in the major classification) shall be disclosed together with the percentage thereof in relation to the total investment within the classification;
 (c) a statement of investments showing the name of the companies in which investments have been made including the amount of investment in each company by each scheme and the aggregate investments made by all schemes in the associates and group companies of the pension fund, if any;

(d) if brokerage, custodial fees or any other charges for services are paid to or payable to any entity in which the PF or its major shareholders have a substantial interest (being not less than 10% of the equity capital), the amounts debited to the Revenue Account or amounts treated as cost of investments in respect of such services shall be separately disclosed together with details of the interest of the pension fund or its major shareholders;
(e) the basis on which fees have been paid to pension fund and the computation thereof;
(f) aggregate value of purchases and sales of investments during the year and expressed as a percentage of average daily net asset value;
(g) where the non-traded investments which have been valued "in good faith" exceed 5% of the Assets under management (AUM) at the end of the year, the aggregate value of such investments;
(h) movement in unit capital shall be stated;
(i) the total income of the scheme shall include unrealised depreciation or appreciation on investments.

(vi) Provisions for doubtful deposits, doubtful debts and for doubtful outstandings and accrued income shall not be included under provisions on the liability side of the balance sheet, but shall be shown as a deduction from the aggregate value of its relevant asset.

(vii) Disclosure shall be made of all contingent liabilities showing separately uncalled liability on partly paid shares and other commitments with specifying details.

(viii) The accounting policies shall be as per Para IX of the Schedule.

Major Headings of Balance Sheet

ASSETS SIDE OF THE BALANCE SHEET:

I. The assets of the balance sheet shall be grouped into the following categories :

- Investments (Long term and short term)

- Deposits

- Other Current Assets

II. INVESTMENTS (Long term and short term):

The following types of investments shall be separately disclosed (only those heads under which investments is permitted to be kept):

(i) Equity shares;

(ii) Preference shares;

(iii) Debentures and Bonds listed/awaiting listing on a recognized stock exchange;

(iv) Central and State Government Securities (including treasury bills);

(v) Commercial Paper;

(vi) Others- Mutual Funds etc.

III. DEPOSITS

Distinguishing between :

- Deposits with scheduled banks;

- Others.

IV. OTHER CURRENT ASSETS

Distinguishing between:

- Balances with banks in current/savings account;

- Cash on hand;

- Sundry Debtors;

- Contracts for sale of investments;

- Outstanding and accrued income;

- Advance, Deposits etc.;

- Shares/debentures/ others application money pending allotment (for this age wise disclosure is to be made along with security name);

- Others.

LIABILITIES SIDE OF THE BALANCE SHEET

I. Liabilities side of the balance sheet shall be divided into the following groups :

(i) Unit Capital;

(ii) Reserves & Surplus;

(iii) Current Liabilities and Provisions.

II. Unit Capital:

Distinguishing between:

- Initial capital;

- Unit capital (including number of units and face value per unit).

III. Reserves & surplus

Distinguishing between:

- Unit Premium Reserve (Optional)

- General reserve;

- Any other reserve (disclosing its nature);

- Appropriation account;

-Opening balance, transfer from/to reserve, closing balance shall be separately disclosed for each above type of reserve.

IV. Borrowings

V. Current liabilities and provisions

Distinguishing between the following current liabilities and provisions

Current liabilities:

- Sundry creditors;

- Contract for purchase of investments;

- Unclaimed distributed income;

Provisions (Indicate nature):

VI. Contingent liabilities

- Disclosure should be made of all contingent liabilities, showing separately:—

(i) Uncalled liability on partly paid shares;

(ii) Other commitments; and

(iii) Others (specifying details).

III. Contents of Revenue Account:

(i) The Revenue Account shall give scheme wise particulars of the income, expenditure and surplus of the pension fund.

(ii) If profit on sale of investments shown in the Revenue Account includes profit/loss on inter-scheme transfer of investments within the same pension fund the aggregate of such profit recognised as realised, shall be disclosed separately without being clubbed with the profit/loss on sale of investments to third parties.

(iii) The Revenue Account shall indicate the appropriation of surplus by way of transfer to reserves.

(iv) The following disclosures shall also be made in the Revenue Account:
 (a) provision for aggregate value of doubtful deposits, debts and outstanding and accrued income;
 (b) profit or loss on sale and redemption of investments may be shown on a net basis;
 (c) custodian, Trustee Bank and central recordkeeping agency charges
 (d) Total income and expenditure expressed as a percentage of average net assets, calculated on a daily basis.

Major Headings of Revenue Account

Income:

- Dividend;

- Interest;

- Profit on sale/redemption of investments (other than inter-scheme transfer/sale);

- Profit on inter-scheme transfer/sale of investments;

- Unrealized gain on appreciation in investments

- Other income (indicating nature).

Expenses and losses:

- Unrealized losses in value of investments
- Provision for outstanding accrued income considered doubtful;
- Provision for doubtful deposits and current assets;
- Loss on sale/redemption of investments (other than inter-scheme transfer/sale);
- Loss on inter-scheme transfer/sale of investments;
- Management fees;
- Trusteeship/regulatory fees;
- Publicity expenses;
- Audit fees;
- Custodian fees;
- Trustee Bank fees
- Central recordkeeping agency fees

Less : Amount recovered on sale of units on account of central recordkeeping agency charges

Note :

(i) Accounting policy in respect of recognition of revenue and income from investments (including dividend and interest) shall be disclosed by way of a note.
(ii) The total income and expenditure expressed as a percentage of average net assets, calculated on a daily basis should be indicated.

IV. **Scheme Auditor's Report**

(i)The auditor shall state whether;-

1. he has obtained all information and explanations which, to the best of his knowledge and belief, were necessary for the purpose of his audit;
2. the Balance Sheet and the Revenue Account are in agreement with the books of account of the scheme;
3. whether proper books of accounts of each scheme have been maintained;
4. all transaction expenses in excess of the limits contractually agreed to/approved by Authority are borne by the pension fund and are not charged to the Net Asset Value;
5. the Balance Sheet and Revenue Account of the Scheme dealt with by this Report comply with these regulations and the Accounting Standards notified under the Companies Act, to the extent made applicable by the regulations.

(ii) The auditor shall give his opinion as to whether;-

1. the Balance Sheet gives a true and fair view of the scheme wise state of affairs of the fund as at the end of the financial year,
2. the Revenue Account gives a true and fair view of the scheme wise surplus/deficit of the fund for the financial year.

(iii) The Auditor shall further certify that;-

1. Investments have been valued in accordance with the guidelines issued by the Authority;
2. Transaction and claims/ fee raised by different entities are in accordance with the prescribed fee.

(iii) The Auditor shall also submit a separate report called as "*NPS Scheme - Detailed Audit Report"* (to be referred as NPS-DAR) along with the scheme audit report / scheme accounts for a particular financial year. A copy of the said Audit Report should be given to the Board of Pension Fund. The contents of the report would be based on the format prescribed by Authority/NPS Trust. The Board of Directors of Pension Fund should submit a Compliance Report within two months of the receipt of Detailed Audit Report. NPS-DAR will be a combined report for all the NPS Schemes. The Auditor will give a certificate in the following format;

To

The Board of Trustees

National Pension System Trust

1st Floor, ICADR Building,

6, Vasant Kunj Institutional Area- Phase II,

New Delhi 110 070

We have conducted the Detailed Audit of under mentioned schemes of National Pension System of …… (The 'Pension Fund Manager') for the Period/Year …. as per the check list provided to us by the NPS Trust and hereby submit the NPS-DAR for your perusal.

Schemes	Year/Period
Scheme Name	From 1st April …to 31st March ……
Scheme Name	From 1st April …to 31st March ……
Scheme Name	From 1st April …to 31st March ……
Scheme Name	From 1st April …to 31st March ……
Scheme Name	From 1st April …to 31st March ……
Scheme Name	From 1st April …to 31st March ……
Scheme Name	From 1st April …to 31st March ……

We report as under:

1. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit,
2. In our opinion, proper books of accounts of each scheme have been maintained.
3. Our procedures covered all the areas listed in the recommended NPS-DAR Checklist (Enclosed, duly signed by us under reference to this certificate.)
4. Further, all deviations with regards to applicable accounting principles, regulations and guidelines for preparation of accounts are being disclosed in the attached report.

Based on our test checking of the records maintained by the pension fund, we certify as under:

1. The system, procedures and safeguards followed by the pension fund are adequate.
2. The terms and conditions of registration of these regulations, Investment Management Agreement signed with the National Pension System Trust are being complied with by the Pension Fund.
3. Directions issued by the Authority from time to time or any other statutory requirements have been followed.
4. Affairs of the pension fund are being conducted in a manner which is in the interest of the subscribers.
5. All transaction expenses in excess of the limits contractually agreed to / approve by Authority are borne by the pension fund and are not charged to NAV.

Yours truly

For

…… (Name of Firm)

Chartered Accountants

Firm Regn. No…

…….. (Name of Partner)

Partner

Membership No:

Place:

Date:

V. Key Statistics

Name of the Pension Fund :

Key Statistics for the year / period ended _____

	Scheme A		**Scheme B**	
	As at Current Year	As at Previous Year	As at Current Year	As at Previous Year
1. NAV per unit (Rs.):				
Open				
High				
Low				
End				
2. Closing Assets Under Management (Rs. in Lakhs)				
End				
Average (AAuM)				
3.Gross income as % of AAuM				
4. Expense Ratio:				
a. Total Expense as % of AAuM (scheme wise)				
b. Management Fee as % of AAuM (Scheme wise)				
5. Net Income as a percentage of AAuM				
6. Portfolio turnover ratio				
7. Total Dividend per unit distributed during the year / period (scheme wise)				
8. Returns: (%)				
a. Last One Year				
Benchmark				
b. Since Inception				
Benchmark				
c. Compounded annualised yield (%)				
Last 1 year				
Last 3 years				
Last 5 years				
Since launch of the scheme (date of launch to be given)				
1. Gross income = amount against (A) in the Revenue account i.e. Income.				
2. Net income = amount against (C) in the Revenue account i.e. NET REALISED GAINS / (LOSSES) FOR THE YEAR / PERIOD				
3. Portfolio Turnover = Lower of sales or purchase divided by the Average AUM for the year/period.				
4. AAUM=Average daily net assets				
5 'Compounded annualised yield' is to be calculated based on the following formula: ₹= (1 + cumulative return) $^{i/n}$ -1 *(where n = 365/no. of days)*				
6. NAV= (Market value of Investment held by scheme + value of current assets- value of current liability and provisions , if any)/ (no. of units at the valuation date (before creation/ redemption of units)				

ABRIDGED BALANCE SHEET FORMAT

Name of the Pension Fund :

Abridged Balance Sheet as at _____

		Scheme A		**Scheme B**	
		As at	As at	As at	As at
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	LIABILITIES				
1	Unit Capital				
2	Reserves & Surplus				
2.1	Unit Premium Reserve				
2.2	Unrealised Appreciation Reserve				
2.3	Others				
4	Current Liabilities & Provisions				
4.1	Provision for doubtful Income/Deposits				
4.2	Other Current Liabilities & Provisions				
	TOTAL				
	ASSETS				
1	**Investments**				
	Equity				
	Debenture				
	Bonds				
	CG/ SDL				
	Money Market				
	Others				
	Total Investments				
3	**Other Current Assets**				
3.1	Cash & Bank Balance				
3.3	Others				
	TOTAL				

ABRIDGED REVENUE ACCOUNT FORMAT

Name of the Pension Fund :

Abridged Revenue Account For The Year / Period Ended

		Scheme A		**Scheme B**	
		As at	As at	As at	As at
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previ-ous Year
1	**INCOME**				
1.1	Dividend				
1.2	Interest				
1.4	Realised Gains on Interscheme transfer				
1.5	Realised Gains on sale / redemption of investments				
1.7	Other Income				
	(A)				
2	**EXPENSES**				
2.1	Realised Losses on Inter scheme transfer				
2.2	Realised Losses on sale / redemption of investments				
2.3	Investment Management fees				
2.4	Custodian fees				
2.5	Bank Charges				
2.6	Other operating expenses				
	(B)				
3	**NET REALISED GAINS / (LOSSES) FOR THE YEAR / PERIOD (A -B = C)**				
4	Net Change in Unrealised Depreciation/ appreciation in value of investments				
7	**NET SURPLUS / (DEFICIT) FOR THE YEAR / PERIOD**				
	Notes to Accounts as specified below				
	Guidance Note				
	1 : Provide details of significant items indicating nature & corresponding amount in Notes to accounts				
	2. Unrealised Depreciation/Appreciation to be computed by each asset category and shown on an aggregated basis. This should take into account change in unrealised depreciation/ appreciation for the year/period and write back of unrealised depreciation/ appreciation provided in the previous year end.				

NOTES TO ACCOUNTS - ANNEXURE TO THE ABRIDGED BALANCE SHEET AND REVENUE ACCOUNT

Name of the scheme :

Notes to Accounts - Annexure to the Abridged Balance Sheet and Revenue Account for the Year / Period ended _____

Sr. No.	Particulars
1	**Investments:-** 1.1. Note confirming that Investments of the Schemes are in the name of the NPS Trust. 1.2. Open Position of derivatives (outstanding market value & % to Net Assets as of the Year end). 1.3. Investments in Associates and Group Companies: Provide details of issuer, nature of instruments, amount, aggregate investments by all schemes. 1.4. Open position of Securities Borrowed and / or Lend by the scheme. 1.5. Details of NPA: Aggregate market value and provision thereof. 1.6. Aggregate Unrealised Gain / Loss as at the end of the Financial Year / Period and percentage to net assets. 1.7. Aggregate Value of Purchase and Sale with Percentage to average assets. 1.8. Non-Traded securities in the portfolio: Provide Aggregate Value of Equity, Debt & Money Market Instruments and percentage to net assets.
2	Details of Transaction with Associates and Group Companies. Provide details of name of associate, nature of payment and amount
3	Unit Capital movement during the year ended / period ended. Scheme wise details of movement in units - opening, subscription, redemption, closing. Indicate scheme wise face value of units.
4	Prior Year Comparison - a suitable statement that prior year figures have been reclassified whenever necessary to conform to current years' presentation.
5	Contingent Liability. Provide details of nature and amount.

Guidance Note: Provide corresponding previous year/period figures for all the above disclosures.

IX. Accounting Policies

The Accounting Policies related to schemes has to be complied by pension fund for preparation of financial statements and calculation of Net Assets Value:

1. The Pension Fund should maintain their scheme-wise books of account on an accrual basis. Investment should be stated as per the valuation guidelines issued by the Authority from time to time, at the Balance Sheet date or date of computation of asset value or Net Asset Value.
2. Investments should be tallied with the custodian records and units should be tallied with Central Recordkeeping Agency records on daily basis.
3. All allowable expenses and incomes accrued upto the valuation date, which are considered for computation of asset value/ NAV, major expenses like management fees and other allowable periodic expenses like custodian charges etc, should be accrued on a day-to-day basis. The period to be considered for accrual will be the financial year.
4. Dividend income earned by a scheme should be recognised, not on the date the dividend is declared, but on the date the share is quoted on an ex-dividend basis.

5. In respect of all interest-bearing investments, income must be accrued on a day to day basis. Therefore, when such investments are purchased, interest paid for the period from the last interest due date upto the date of purchase must not be treated as a cost of purchase but must be debited to Interest Recoverable Account. Similarly interest received at the time of sale for the period from the last interest due date upto the date of sale must not be treated as an addition to sale value but must be credited to Interest Recoverable Account.

6. In determining the holding cost of investments and the gains or loss on sale of investments, the "weighted average cost" method must be followed.

7. Transactions for purchase or sale of investments should be recognised as of the trade date and not as of the settlement date, so that the effect of all investments traded during a financial year are recorded and reflected in the financial statements for that year. Where investment transactions take place outside the stock market, for example, acquisitions through private placement or purchases or sales through private treaty, the transaction should be recorded in the event of a purchase, as of the date on which the scheme obtains in enforceable obligation to pay the price or, in the event of a sale, when the scheme obtains an enforceable right to collect the proceeds of sale or an enforceable obligation to deliver the instruments sold.

8. Bonus shares to which the scheme becomes entitled should be recognised only when the original shares on which the bonus entitlement accrues are traded on the stock exchange on an ex-bonus basis. Similarly, rights entitlements should be recognized only when the original shares on which the right entitlement accrues are traded on the stock exchange on an ex-rights basis.

9. The cost of investments acquired or purchased will include applicable taxes and stamp charges but *exclude* brokerage, applicable taxes on brokerage and other transactional charges. In respect of privately placed debt instruments any front-end discount offered should be reduced from the cost of the investment.

10. All taxes which are leviable and actually paid shall be charged to the NAV of the Fund and be borne by the Subscriber. Any subsequent refund on this account, if any, should be added to the scheme/fund as income.

11. The Investment Management Fee is inclusive of all transaction related charges such as brokerage, transaction cost etc. except custodian charges and applicable taxes. The Investment Management Fee is calculated on the daily assets managed by the pension fund. The fees to be paid to the Authority will not be charged to the scheme.

12. In respect of non-performing assets, recognition, classification and provisioning should be in compliance with the guidelines issued by the Authority.

SCHEDULE VIII

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (PENSION FUND) REGULATIONS, 2015

[See regulation 10(1)(c)]

BANKING AND CENTRAL RECORDKEEPING AGREEMENTS

Before obtaining the certificate of commencement of business, the pension fund shall undertake to enter into a banking agreement with Trustee Bank and central recordkeeping agency as per details given below:

1. The pension fund shall provide electronic interconnectivity to the central recordkeeping agency and Trustee bank. The pension fund shall need to be able to adapt to future changes including changes on account of technology advancements, changes in system specifications including number of subscribers, number of schemes, and services and functional obligations specified by the Authority.
2. Funds for investment purposes as referred to hereinabove, would comprise past, present and future investment and periodical income, redemption and sale proceeds actually received there from and transferred to the credit of the National Pension System Trust, National Pension System Trust A/c at a designated branch of the Trustee Bank with which the investment account of the Pension Fund is held and specifically earmarked for investment purposes as above.
3. The details of the designated branch and the Trustee Bank would be as per arrangements made and approved by the Authority and notified from time to time.
4. Where and as applicable, the central recordkeeping agency shall cause to transfer the netted fund to the designated branch of the Trustee Bank.
5. The funds accepted under this Agreement shall be credited to be held in a separate investment account in the name of the National Pension System Trust with the designated branch with due notice to the National Pension System Trust. All receipts, payments, income, expenses, sale proceeds, purchase, cost of transactions of investments shall be debited or credited, as the case may be, to this account.
6. For the removal of doubts, while the account of the pension fund with the Trustee Bank where from the investments are to be made and the expenses to be incurred in connection with the investment thereof by

pension fund on behalf of the National Pension System Trust shall be maintained by the pension fund, the National Pension System Trust shall maintain the account as per the agreement with the Trustee Bank.

7. The pension fund shall maintain scheme wise bank account with the Trustee Bank to receive funds from the National Pension System Trust account maintained with the Trustee bank and remit funds into the same National Pension System Trust account as per instructions of the central recordkeeping agency from time to time.

8. Where and as applicable, the pension fund shall cause to transfer the withdrawal amount to the subscribers Bank account or in any other manner that is prescribed by the Authority/ National Pension System trust from time to time.

SCHEDULE IX

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(PENSION FUND) REGULATIONS, 2015

[See regulation 10(1)(c)]

CUSTODIAL AGREEMENTS

Before obtaining the certificate of commencement of business, the pension fund shall undertake to enter into a custodian agreement with the National Pension System custodian to carry out the custodial services for the schemes of the fund with the prior approval of the National Pension System Trust as detailed below.

1. Securities shall be purchased by the pension fund on behalf of, and in the name of the National Pension System Trust. The National Pension System Trust shall be the registered owners of these securities and funds. However, individual National Pension System subscribers' shall remain beneficial owners of these assets and funds.

2. The pension fund shall interface with the National Pension System custodian to receive detailed information and reports from the custodian. Accordingly, the pension fund shall provide electronic interconnectivity to custodian.

3. The pension fund shall ensure Scheme wise segregation of securities account.

4. The pension fund shall not hypothecate, pledge and lend any assets or property of the Fund without the approval of the National Pension System Trust.

5. The pension fund shall enter into transactions relating to securities only in dematerialised form. The pension fund shall, for securities purchased in physical form get the securities transferred in the name of the National Pension System Trust on account of the scheme in dematerialised form except for authorised investments that are available only in physical form.

6. The pension fund shall obtain from the custodian of the scheme, from time to time, such financial reports, proxy statements and other information relating to the business and affairs of the scheme as the Investment Manager may reasonably require in order to discharge its duties and obligations, or to comply with the Authority's guidelines or directions, or any applicable law, rules and regulations.

SCHEDULE X

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(PENSION FUND) REGULATIONS, 2015

[See regulation 22 (9)]

INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

I INVESTMENT COMMITTEE

1. Pension fund shall constitute an Investment Committee consisting of two directors, the Chief Executive Officer and the Chief Investment Officer or Fund Manager in case CEO and CIO are the same official.

2. Pension fund shall draw up an investment policy and place the same before the board of directors for its approval. In framing such a policy, the board will be guided by issues relating to liquidity, prudential norms, exposure limits, stop loss limits in securities trading, management of all investment and market risks, management of assets liabilities mismatch, investment audits and investment statistics and the provisions of the Authority's guidelines or directions.

3. The investment policy as approved by the board will be implemented by the Investment Committee, which shall keep the board informed periodically about its activities.

4. The board shall review its investment policy and its implementation on an half- yearly basis or at such short intervals as it may decide and make such modifications in its existing investment policy as are necessary to bring them in tune with the requirements of law and regulations in regard to protection of subscribers' interest and pattern of investment laid down by the Authority.
5. The details of the investment policy or its review as periodically decided by the board shall be submitted to the National Pension System Trust within thirty days of its decision thereto. The National Pension System Trust may call for further information from time to time from the pension fund as it deems necessary and in the interest of the subscribers.
6. The Investment Committee shall also review the changes, if any, in its team and any other matter relating to investments and forward its recommendation to the Board of Directors of Pension Fund.
7. The Investment Committee may engage services of investment professionals, as may be required.

II RISK MANAGEMENT COMMITTEE

1. Pension fund shall constitute a Risk Management Committee which shall consist of at least one independent director, the Chief Executive Officer, Chief Investment Officer or fund manager in case CEO and CIO are the same official and the Risk or Compliance Officer. The director should not be the same as the one on the Investment Committee.
2. The pension fund shall draw up a Risk Policy and place the same before its board of directors for its approval. In framing such a policy, the Board shall be guided by:
 (a) Risk management functions
 (b) Disaster recovery and business contingency plans
 (c) Insurance cover against risks
 (d) Ensuring a risk adjusted return to subscribers consistent with the protection, safety and liquidity of such funds.
3. The Risk policy as approved by the Board will be implemented by the Risk Management Committee, which shall keep the Board informed periodically about its activities.
4. The Board shall review the Risk policy on a half-yearly basis or at such intervals as it may be decided and make such modifications in its existing risk policy as are necessary to bring them in tune with the requirements of law and regulations. The Board shall periodically update the National Pension System Trust on the same.
5. The Risk Management Committee may engage services of risk management professionals, as may be required.

SCHEDULE XI

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(PENSION FUND) REGULATIONS, 2015

[See regulation 10(1)(a)]

INVESTMENT MANAGEMENT AGREEEMNT (Format)

Before obtaining the certificate of commencement of business, the pension fund shall enter an agreement with the National Pension System Trust *inter alia* containing the following clauses:

1. The pension fund shall act as the Investment Manager of the schemes with respect to the investment and reinvestment of the investible funds including cash, securities and other properties comprising the assets of each scheme in accordance with the investment policies, guidelines or directions issued by the Authority from time to time.
2. The pension Fund shall assume day to day investment management of the Schemes and, in that capacity, make investment decisions and manage the Scheme in accordance with the provisions of the Act , rules, guidelines, directions, notifications, circulars or regulations thereunder.
3. The pension fund shall invest funds made available to it by the Trustee Bank within the time lines specified by the Authority or the National Pension System Trust from time to time.
4. The pension fund shall exercise all due diligence, prudence, promptness and vigilance in carrying out its duties and in protecting the rights and interests of the subscribers.
5. The pension fund shall avoid all nature of speculative transactions or dealing in investments..
6. The pension fund shall be responsible for the acts of omissions or commissions, if any, by its employees or the persons whose services have been procured by the pension fund and shall remain liable to compensate for the same at all times.
7. The pension fund shall deploy well qualified professionals/officers with track record of integrity to manage the funds.
8. The pension fund shall manage the Fund schemes independently of other activities and take adequate steps to ensure that the interests of the subscribers are not being compromised in any manner.

9. The pension fund shall (i) not undertake any other business activities except activities relating to pension fund for schemes regulated by the Authority or any other activity as permitted by the Authority and (ii) not be entitled to charge any fees on investment of its own assets in its schemes.
10. The pension fund shall maintain books and records and comply with the disclosure requirements specified by the Authority or National Pension System Trust from time to time and as detailed in Schedule Ill.
11. The valuation of the schemes would be done in accordance with the regulations, guidelines or directions issued by the Authority from time to time.
12. The pension fund shall submit a periodical report on the functioning of the fund to the National Pension System Trust or at such intervals and in such manner as may be required or called for by the National Pension System Trust or the Authority. Pension fund shall also send any additional reports, information or data, without fail as may be required or called for by the Pension System Trust or Authority from time to time. Besides the above pension fund shall submit to the National Pension System Trust, reports on quarterly basis or at such intervals in specified formats of its activities and the compliances with the guidelines.
13. The pension fund shall provide electronic interconnectivity to the Authority, National Pension System Trust, central recordkeeping agency, custodian, Trustee Bank and other service providers as advised or specified by the Authority or National Pension System Trust from time to time. The pension fund will need to be able to adapt to future changes including changes on account of technology advancements, changes in system specifications including number of subscribers, number of schemes, and services and functional obligations prescribed by the Authority.
14. The pension fund shall not give any undue or unfair advantage to any associates or deal with any of the associates of the pension fund in any manner detrimental to interest of the subscribers.
15. The pension fund shall not utilise the services of the sponsor or any of its associates, employees or their relatives, for the purpose of any securities transaction
16. The pension fund must take prior approval of National Pension System Trust for any proposed transactions or engagement of a related party and must provide reasons for the proposed transactions or engagement except investments of National Pension System Trust funds within the specified threshold limit. It shall make disclosure of such transactions undertaken to the National Pension System Trust in its periodic reports.
17. The pension fund shall not purchase or sell securities through any broker which is average of 5 per cent or more of the aggregate purchases and sale of securities under all schemes made by the pension fund unless the pension fund has recorded in writing the justification for exceeding the limit of 5 per cent and reports of all such investments are sent to the Authority the National Pension System Trust on a quarterly basis:
18. Provided that the aforesaid limit of 5 per cent shall apply for a annually .
19. Pension fund shall enter into such agreements with the permission of the Authority as is necessary for effective discharge of its responsibilities.
20. Pension fund shall provide information regarding performance, NAV history, portfolio composition under its schemes, scheme financials. to subscribers on a periodic basis as specified by the Authority, the National Pension System Trust from time to time including uploading of such information in electronic form on the website of the pension fund.
21. Pension fund shall ensure that the pension fund complies with all the provisions of the guidelines and that the investments made by the fund managers are in the interest of subscribers.
22. The pension fund shall not invest any part of the pension fund outside the territory of India either directly or indirectly.
23. The pension fund shall constitute an Investment Committee and a Risk Committee. The constitution and functions of the Investment / Monitoring Committee are as set forth in Schedule VI
24. The pension fund shall provide the National Pension System Trust with the reports specified in Schedule **VII** and must take reasonable steps to ensure that these reports are complete and accurate in all material respects to the extent the necessary information is within the reasonable control of the Pension Fund.
25. The pension fund shall discharge its duties with adequate care, caution, prudence, promptness and due diligence and shall be liable to indemnify the National Pension System Trust for any loss or damages caused to the National Pension System Trust out of bad faith, negligence, fraud, misconduct and or misdemeanor, improper or unethical practices, infringement of intellectual property rights, breach of fiduciary duty, breach of trust, breach of confidentiality, breach of contract, inaction, or any breach of applicable law, guidelines, rules, regulations or directions issued by the Authority or of the provisions of the Act, regulations or guidelines on the part of pension fund or its employees, agents or subagents.
26. The pension fund is authorised and responsible to collect interest on maturity, redemption and sale proceeds relating to the investments, on due dates and credit them to the appropriate accounts of the National Pension System Trust in time. While doing so, it shall be the duty of the pension fund to inform the relevant institutions and authorities that the interest received by the National Pension System Trust is not liable for deduction of tax at source under the Income-tax Act.
27. Despite the above, if any tax is deducted at source (TDS) on such investments, it shall be the entire responsibility of the pension fund to obtain the refund of such tax within the financial year on behalf of the National Pension System Trust, at its own cost and expense, failing which the pension fund shall reimburse the

National Pension System Trust, of the said amounts, being deducted as tax, upon being notified by the National Pension System Trust.

28. The pension fund is authorised to execute on behalf of the National Pension System Trust all writings, forms, returns, applications, documents, as may be necessary to be filed with a company, organisation, institution, authority, government body or department, etc. in any manner relating to the management of the National Pension System Trust investments in such manner as the pension fund may deem fit in accordance with the applicable law and for the benefit of subscribers' only and to protect their interest.
29. The pension fund shall exercise the voting rights on behalf of the National Pension System Trust as per the voting policy of the Authority in co-ordination with the National Pension System Trust.
30. The funds shall be credited to a separate investment account in the name of the National Pension System Trust with the designated branch of the Trustee Bank. All receipts, payments, income, expenses and cost of transactions of investments shall be debited or credited to this account. The pension fund shall not be entitled to recovery of its remuneration/fee/charges, if any, from this account.
31. The Investment account of the pension fund with the designated branch of the Trustee Bank shall be operated by the pension fund, whereas the National Pension System Trust shall maintain the account as per the agreement with Trustee Bank.
32. Without prejudice to any other clauses of the agreement all/any securities and other assets acquired by pension fund on behalf of the National Pension System Trust be kept at custodian facilities as detailed in the Schedule IX**.**
33. The pension fund is authorised to take such legal proceedings on behalf of the National Pension System Trust as may be necessary for the protection of the National Pension System Trust's investments including interest income and to engage advocates, counsel or other representatives for the effective execution of the claims on behalf of the National Pension System Trust as per the National Pension System Trust guidelines. If the National Pension System Trust requires the pension fund To undertake any proceedings with respect to securities or investments which involve payment of money or render the pension fund materially liable for the payment of money or incurring liability of some form, the National Pension System Trust shall provide indemnity to the pension fund mutually agreed by the parties. However, no such indemnity will be provided to the pension fund if the reasons for payment of money by the pension fund were on account of any failure, inaction, delay, error, omission or commission on the part of pension fund.
34. The National Pension System Trust may authorise the pension fund to engage the services of independent legal and/or tax consultants and any other consultants, as may be required for the fund management or any allied activity excluding core functions of pension fund, as may be specified by the Authority, the National Pension System Trust from time to time:
 Provided that the National Pension System Trust may specify from time to time the limit on the expense that may be incurred towards such external consultants.
35. Upon request by the pension fund, the National Pension System Trust shall deliver to it such proxies, power of attorney or other instruments as may be necessary in connection with the performance by the pension fund or it's sub-agent, custodian their respective obligations under this agreement or for the operation of the bank account.
36. Conflicts of Interest**-** The pension fund must pro-actively identify and disclose any conflicts of interest that arise or may arise. These may relate to the pension fund itself or to service providers engaged by the pension fund. The pension fund must promptly advise the National Pension System Trust as to how these conflicts of interest are to be managed prior to taking any action affected by these conflicts of interest.
37. The pension fund shall ensure, at all times, separation between its staff responsible for investments, settlement and book-keeping, distribution and sales, if any. The pension fund shall ensure, at all times, adequate firewalling between the investments of the sponsor and the pension fund. Notwithstanding the above, the National Pension System Trust or the Authority shall be fully empowered to give directions to the pension fund to forthwith remove such issue or /instances of conflict of interest without causing any prejudice to the investments in any manner.
38. The pension fund shall provide information on outsourcing arrangements, if any, to the National Pension System Trust, provided that core functions of the pension fund shall not be outsourced in any manner. The pension fund shall not absolve itself of any responsibility for the outsourced activities and shall be liable for the same.
39. The pension fund shall ensure access to all records, data or any other relevant material to the National Pension System Trust or to the representatives of the Authority for ensuring necessary supervision (both on-site and off-site) at all times including inspection of records.
40. **Confidentiality -**Except as required by law or regulation , the pension fund may not directly or indirectly disclose to any other person, or use or permit to be disclosed without the prior written consent of the other party and each party must keep all such information confidential, except where publicly available . The confidentiality shall also extend to such other information as may be provided to the pension fund by other intermediaries like Trustee Bank, central recordkeeping agency in relation to National Pension System. The pension fund shall also execute a separate non-disclosure agreement to give further effect to this clause.
 This obligation on the part of the pension fund shall survive till ten years after the termination/expiry of this registration certificate.

41. The National Pension System Trust or the Authority may use the information, correspondence and documentation, facts, figures, data and deliverables provided by the pension fund , in any appropriate manner as deemed fit, for its own purposes. Nothing in this clause shall prevent the pension fund from disclosure of pertinent information to subscribers particularly the NAV value and composition of portfolio under the schemes.
42. **Privacy-**The pension fund must comply with all applicable privacy laws or data protection laws in force from time to time, including the privacy code and any guidelines issued by Government of India, and agree to co-operate in the resolution of any complaint under or relating to any of those laws, codes or guidelines.
43. **Security-**The pension fund must have appropriate security policy and standards to protect information within its control from unauthorised access and will ensure that its officers or supervised agents comply with those policies and standards.
44. Non- exercise of any of the rights, available to the National Pension System Trust or the Authority under this regulation shall not be construed as waiver by the Authority or National Pension System Trust of such rights and pension fund shall remain liable for non-performance or breach of this agreement to National Pension System Trust.
45. **Proper Instructions**
The National Pension System Trust shall certify to the pension fund the names and signatures and scope of authority of all persons authorised to give proper instructions or any other notice, request, direction, instruction, certificate or instrument on behalf of the National Pension System Trust. Such certificate may be accepted and relied upon by the pension fund as conclusive evidence of the facts set forth therein and may be considered in full force and effect until receipt of similar certificate to the contrary.
46. The pension fund shall certify to the National Pension System Trust the names and signatures and scope of authority of all persons authorised to receive proper instructions or any other notice, request, direction, instruction, certificate or instrument on behalf of the pension fund . The service of any notice, request, direction, instruction, certificate or instrument on such authorised persons shall be deemed to be effective notice or service to the pension fund .
47. The National Pension System Trust and pension fund may vary their respective authorized persons by notice to the other.
48. The pension funds shall submit to the exclusive jurisdiction of the Securities Appellate Tribunal at New Delhi only.
49. **Exclusivity-**The key personnel of the pension fund shall exclusively service only the pension fund company and the schemes managed by them under the agreement. Any change in the key personnel shall be duly intimated to the National Pension System Trust or the Authority. Key personnel shall include the Chief Executive Officer, CEO cum Chief Investment Officer, Chief Investment Officer/Fund Manager, Compliance Officer and Operations Manager within 15 days of change.
50. Where the pension fund or any its nominees, officers, servants have by any acts of omission or commission on its/their part, committed any breach of the Act , regulations or guidelines or have failed to discharge its duty with due care and diligence or have failed to observe or perform any representation, warranty or undertaking given under the agreement, thereby causing any loss to the fund, in any manner, either directly or indirectly, then besides any liability as provided elsewhere under this agreement, the pension fund shall be liable in terms of the provisions of the Act and the regulations.
51. **Ownership and Intellectual Property rights -**The ownership rights, intellectual property rights and all other rights relating to ownership of all the record, data, statistical returns and information whether in electronic form, or physical form or in any other form obtained collected and/or required to be maintained by the pension fund and relating to the schemes managed by the pension fund shall vest in the Authority. No person other than the Authority shall have any ownership rights or any other rights over any data or information in the possession of the pension fund. The pension fund will not, without the prior permission of Authority, produce / share such data or information as evidence or for any other purpose except as required by the due process of law. It shall be the responsibility and duty of the pension fund to maintain absolute confidentiality of such records/data/information and to produce these as and when called for by the Authority.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson
[ADVT-III/4/Exty./203/15/(52)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.